वर्ष 12 • अंक 251 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

सोमवार 9 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

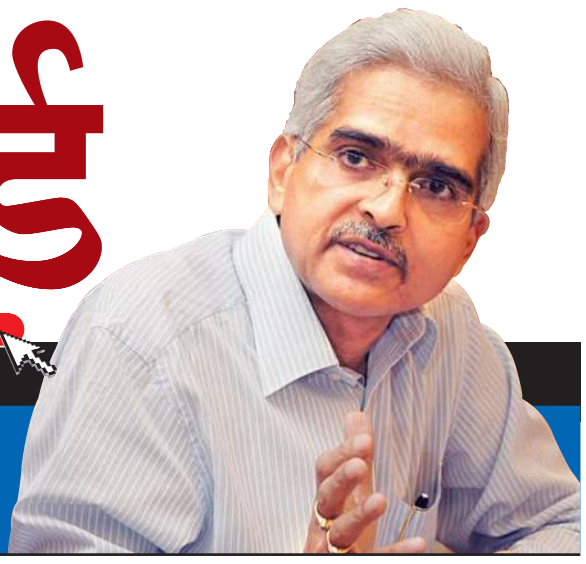

पृष्ठ 3

कपास की नरमी से कताई मिलों को आस

शक्तिकांत दास पृष्ठ 12

शांति से काम को दिया अंजाम

एक नज़र

वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी बाजार की चाल

अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता की प्रगति, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय तथा औद्योगिक उत्पादन एवं मुद्रास्फीति के आंकड़े इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय करेंगे। विश्लेषकों ने यह राय प्रकट की है। फेडरल रिजर्व गुरुवार को ब्याज दर पर निर्णय लेने वाला है। इसका वैश्विक शेयर बाजारों पर व्यापक असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर निर्णय के अलावा निवेशक अमेरिका और चीन की व्यापार वार्ता की प्रगति पर भी नजर रखेंगे। घरेलू स्तर पर इस सप्ताह गुरुवार को औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने वाले हैं। बाजार की धारणा पर इसका भी असर देखा जा सकता है।

कार्वी के ऋणदाता को सेबी से राहत की संभावना कम

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से उन 4 फर्मों को राहत मिलने की संभावना कम है, जिन्होंने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को उधारी दी है। कार्वी ने अपने ग्राहक की प्रतिभूतियों को गिरवी रखा था। प्रतिभूति नियामक अपील पंचाट के दिशानिर्देशों के बाद सेबी ने पिछले सप्ताह एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण मसले पर सुनवाई का मौका दिया था। इन प्रतिभूतियों को कार्वी के खाते से संबंधित बैंकों के लिए गैर कानूनी तरीके से गिरवी रखा गया था। सूत्रों ने कहा कि सेबी कर्जदाताओं को प्रतिभूतियों के मालिकाना को लेकर उचित नियमों का पालन न करने के मामले में जवाबदेह ठहरा सकता है। पृष्ठ 4

लगातार कटौती के बाद मारुति ने बढ़ाया उत्पादन

देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने नवंबर में अपना उत्पादन 4.33 फीसदी बढ़ाया है। इससे पिछले नौ माह के दौरान मांग में कमी की वजह से कंपनी को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी थी। स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि नवंबर में उसने 1,41,834 वाहनों का उत्पादन किया जबकि एक साल पहले इसी महीने में कंपनी ने 1,35,946 कारों का उत्पादन किया था।

5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी सीजी पावर

धोखाधड़ी का शिकार सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस 5,000 करोड़ रुपये जुटाने को शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। अपनी कार्यशील पूंजी और अन्य कारोबारी जरूरतों के लिए कंपनी यह राशि जुटाना चाहती है। सीजी पावर ने 14 दिसंबर को शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक बुलाई है जिसमें कर्ज लेने के प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। कंपनी ने कहा कि मौजूदा समय में कर्ज और अतिरिक्त कोष की जरूरत के हिसाब से कंपनी को दीर्घावधि की पूंजी और कार्यशील पूंजी की जरूरत है।

आज का सवाल

क्या नई व्यवस्था से शहरी सहकारी बैंकों की बढ़ेगी जवाबदेही

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या सरकार को दूरसंचार कंपनियों से करनी चाहिए शुल्क वसूली?	
हां	60.00%
नहीं	40.00%

बड़े सहकारी बैंकों का अकेला नियामक होगा आरबीआई!

रघु मोहन एवं अभिजित लेले
मुंबई, 8 दिसंबर

बड़े आकार के शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को एकल रूप से बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाया जा सकता है जबकि छोटे सहकारी बैंक पहले की ही तरह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की निगरानी में बने रहेंगे। ऐसा होने पर 53 वर्षों से जारी दोहरे नियमन का विवादास्पद मुद्दा सुलझ सकता है।

बैंकिंग अधिनियम में मार्च 1966 से लागू हुए बदलावों के बाद यूसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दायरे में लाया गया था। हालांकि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का भी इन बैंकों के बोर्ड एवं प्रबंधन से संबंधित मामलों में नियंत्रण बना रहा। इस तरह शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरा नियमन चलता रहा। लेकिन दोहरे नियमन की वजह से बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए अब बड़े यूसीबी को सीधे आरबीआई की निगरानी में रखने पर विचार किया जा रहा है। संशोधित योजना में छोटे एवं बड़े दोनों तरह के यूसीबी में जमा राशि को भारतीय जमा बीमा निगम से सुरक्षा कवर मिलेगा। बीमित जमा में बढ़ोतरी होने पर उसे भी लाभ मिलेगा।

नया प्रारूप के दायरे में देश भर के 1,551 यूसीबी आएंगे। रिजर्व बैंक की भारत में बैंकिंग प्रगति रिपोर्ट (2017-18) के मुताबिक इन बैंकों का कुल कारोबार 7.36 लाख करोड़ रुपये था और उन्होंने 2.80 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हुए थे।

- **1,551 शहरी सहकारी बैंक होंगे प्रभावित, जिनका कुल कारोबार 7.36 लाख करोड़ रुपये का है**
- **बीआर अधिनियम के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों को बेसल-3 के दिशानिर्देशों का करना होगा पालन**
- **लाइसेंस शर्तों की वजह से बड़े सहकारी बैंकों को छोटे फाइनैंस बैंक में बदलना संभव नहीं**
- **इसके पहले केवल एक बार 1996 में शहरी सहकारी बैंक को वाणिज्यिक बैंक में अपग्रेड किया गया है**

एक आधिकारिक सूत्र ने संभावित बदलावों पर कहा, 'आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। इस आशय के बदलाव वाले विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जा सकता है। इतना साफ है कि दोहरा नियमन खत्म हो जाएगा।'

शहरी सहकारी बैंकों का नोडल प्रभार कृषि मंत्रालय के पास है। इस संबंध में राज्य सरकारों की तरफ से भी सूचनाएं आने की संभावना है।

आर गांधी समिति ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंक बना दिया जाए। इस सुझाव पर फिर से गौर किया जा रहा है। यहां तक कि इस स्तर से नीचे के सहकारी बैंकों को भी बैंकिंग अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। मसलन, संकट में फंसे पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक का कारोबारी आकार 12,000 करोड़ रुपये ही था। एक अन्य सूत्र कहते हैं, 'भले ही 20,000 करोड़ रुपये की सीमा रखने पर चर्चा चल रही है लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि इसे नीचे नहीं लाया जा सकता।'

गांधी समिति ने यह भी कहा था कि सहकारी बैंकों का वाणिज्यिक बैंक में रूपांतरण 'कानूनी तौर पर सही होना' जरूरी नहीं है। इसके अलावा यूसीबी के अनियंत्रित विस्तार पर लगाम रखने के लिए शाखाओं की संख्या, परिचालन क्षेत्र एवं कारोबार पर सजग नजर रखनी होगी।

बड़े यूसीबी अमूमन एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं और एक निश्चित सीमा से ऊपर होने पर उन्हें अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक बनाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाएगा।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

दर्दनाक हादसा

फोटो: पीटीआई

उत्तरी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित एक इमारत में रविवार सुबह आग लग गई। इस हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य में लगे दमकलकर्मी और एनडीआरएफ टीम के सदस्य।

दिल्ली: फैक्टरी में आग, 43 की मौत

बीएस संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

- **अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना संकरी गली में चल रही थी फैक्टरी**
- **फैक्टरी मालिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार**
- **हादसे की जांच के आदेश, सात दिन में रिपोर्ट तलब**

उत्तरी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले अनाज मंडी क्षेत्र में स्थित चार मंजिला इमारत की अवैध फैक्टरी में रविवार की सुबह आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान और उसके प्रबंधक फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में उपहार सिनेमा हादसे के बाद अनाज मंडी की यह दुर्घटना दूसरी सबसे भयावह त्रासदी है। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई क्योंकि इमारत की दूसरी मंजिल पर सुबह लगभग पांच बजे जब आग लगनी शुरू हुई तो लोग सो रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि इमारत के लिए दमकल विभाग की मंजूरी भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'अनाज मंडी क्षेत्र में आग लगने की घटना बेहद भयानक है। मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हूं।' प्रधानमंत्री ने घटना में जान गंवाने लोगों के परिजन के लिए दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सात दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा आग पर काबू करने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने इमारत में गैस डिटेक्टरों की सहायता से जहरीली गैस का पता लगाया।

घायलों और मृतकों को आरएमएल अस्पताल, एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया।

रियल एस्टेट पर शापूरजी का दांव

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 8 दिसंबर

- **शापूरजी पलोनजी समूह 10 नई परियोजनाएं शुरू करने की तलाश रहा संभावना**
- **मौजूदा परियोजनाओं में नए चरण की होगी शुरुआत**
- **एसपी रियल एस्टेट, जॉयविल और एसडी कॉर्प के तहत शुरू होंगी ये परियोजनाएं**
- **नई परियोजनाएं मुंबई, पुणे, कोलकाता और मोहाली में शुरू होंगी**
- **अगले कुछ वर्षों में कंपनी की आय 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य**

154 साल पुराना शापूरजी पलोनजी समूह ऐसे समय में अपनी रियल एस्टेट इकाई पर दांव लगा रहा है, जब बड़े समूह की कई कंपनियां कर्ज से जूझ रही हैं और आवासीय संपत्ति का बाजार भी नरमी के दौर से गुजर रहा है।

शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट अगले चार महीने में 10 नई परियोजनाएं शुरू करने और देश भर में अपनी मौजूदा परियोजनाओं में विकास के नए चरण आरंभ करने की संभावना तलाश रही है। उसकी प्रतिस्पर्द्धी गोदरेज प्रॉपर्टीज चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में 13 से 14 नई परियोजनाएं लाने या पहले से चल रही परियोजनाओं में नए चरण शुरू करने जा रही है।

शापूरजी की नई परियोजनाएं मुख्य रूप से मुंबई, पुणे, कोलकाता और मोहाली में शुरू की जाएंगी। ये परियोजनाएं प्रीमियम, लक्जरी और मध्य आय वर्ग की होंगी।

समूह के पास मुख्य ब्रांड शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट (1 से 2 करोड़ रुपये के अपार्टमेंट) के अलावा मझोले आय वर्ग के लिए हाउसिंग ब्रांड जॉयविल (35 लाख से 1 करोड़ रुपय तक) और दिलीप ठक्कर के साथ पुनर्विकास के लिए संयुक्त उपक्रम एसडी कॉर्प भी है। जॉयविल शापूरजी, ऐक्टिस, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनैशनल फाइनैंस कॉर्पोरेशन का संयुक्त उपक्रम है।

कुल मिलाकर समूह ने अगले कुछ वर्षों में 8.8 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र का विकास करने की योजना बनाई है। इसकी तुलना में गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास 17.5 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र निर्माणाधीन है। शापूरजी की करीब आधी आगामी परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम, संयुक्त विकास और विकास प्रबंधन अनुबंध के तहत बनाई जाएंगी। इनमें समूह ब्रांड शुल्क, मार्केटिंग और निर्माण के जरिये कमाई करेगी।

शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट के मुख्य कार्याधिकारी वेंकटेश गोपालकृष्णन ने कहा, 'नरमी वाले बाजार में भी हमारी विकास दर उचित है। मांग में इजाफा होगा। जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी हम चरणबद्ध तरीके से परियोजनाएं पेश करते जाएंगे।'

शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट अगले कुछ वर्षों में अपनी आय बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये करने की संभावना तलाश रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपये का है। गोपालकृष्णन ने कहा कि उनका उद्देश्य कंपनी को बिक्री के लिहाज से शीर्ष पांच डेवलपरों में शुमार करना है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

देश में क्लिनिकल परीक्षण की बदलेगी तस्वीर

सोहिनी दास
मुंबई, 8 दिसंबर

एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम करने वाली क्षमता लगातार बढ़ने और विदेश में विकसित दवाओं के भारत पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सरकार अब अपनी निगरानी में देश के भीतर ही नई दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण कराने पर विचार कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तत्वावधान में ये परीक्षण कराने की तैयारी चल रही है।

यह क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित भारतीय व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके पहले सरकार ने क्लिनिकल परीक्षण कराने की कोशिश शायद ही की है। अभी तक नई दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण मूलत: भारत की निजी दवा कंपनियों या विदेशी दवा कंपनियों ने ही कराए हैं। लेकिन क्लिनिकल परीक्षण को लेकर नियामकीय सख्ती के कारण तमाम दवा कंपनियां ये परीक्षण भारत के बाहर कराने लगी हैं। इसका असर यह हुआ कि दुनिया भर में होने वाले क्लिनिकल परीक्षण में से महज 1.2 फीसदी ही भारत में हो रहे हैं जबकि बीमारी के वैश्विक बोझ में भारत का हिस्सा 20 फीसदी है। इतने कम परीक्षण होने से नई दवाओं को भारतीय मरीजों तक पहुंचाने में लंबा वक्त भी लगता है। ऐसे में अगर भारतीय आबादी पर नई दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण सरकार ही कराती है तो नई दवाएं जरूरतमंद लोगों तक जल्द पहुंच सकेंगी।

- **भारत में क्लिनिकल परीक्षण के प्रावधान हैं काफी सख्त**
- **वैश्विक क्लिनिकल परीक्षण में से महज 1.2 फीसदी ही भारत में**
- **दवा कंपनियां अक्सर विदेश में कराती हैं क्लिनिकल परीक्षण**
- **सरकार भारत में ही नई दवाओं के परीक्षण पर कर रही विचार**
- **आईसीएमआर से संबद्ध संस्थानों में खोले जाएंगे परीक्षण केंद्र**

पिछले महीने हुई एक बैठक में अधिकारियों ने क्लिनिकल परीक्षण से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। आईसीएमआर से संबद्ध संस्थानों में क्लिनिकल परीक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जो निजी क्लिनिकल शोध संगठनों द्वारा संचालित परीक्षण की मौजूदा प्रणाली की जगह लेगा। आईसीएमआर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और शोध संगठनों के अधिकारियों ने नई एंटीबायोटिक दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण के लिए सरकारी केंद्र खोलने की व्यवहार्यता पर चर्चा की। वैसे यह महज शुरुआत है। अगर यह पहल परवान चढ़ती है तो इस मॉडल को दूसरी तरह की दवाओं के लिए भी आजमाया जा सकता है।

बैठक में वैश्विक नियामकीय ढांचे के अनुरूप व्यवस्था बनाने पर भी चर्चा हुई। वहां मौजूद रहे एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमारे अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। लेकिन ऐसे परीक्षणों के लिए नैतिक मसलों पर बेहद सावधानी से गौर करना होगा। अध्ययन के प्रारूप एवं मरीजों की संख्या को भी स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने की जरूरत होगी।' सरकार अपने परीक्षण केंद्र खोलने के पहले शोध संगठनों के अनुभवों के बारे में जानना चाहती है। क्लिनिकल परीक्षण एवं नैतिक मसलों से जुड़ी चुनौतियों को समझने की कोशिश भी हो रही है। इस दिशा में अंतिम फैसला लिए जाने के पहले कई बैठकें होंगी। हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय औषधि महानियंत्रक से अंतिम मंजूरी लेनी होगी।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

संक्षेप में

2020 के आखिर तक मुनाफे में आएगी जोमैटो

ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए खाने पीने के सामान की डिलिवरी करने वाले कंपनी जोमैटो का 2020 के अंत तक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनने का लक्ष्य है। कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी डी गोयल ने कहा, एक साल में हम मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन जाएंगे। हम अपने नकद खर्चों को सात माह पहले की तुलना में 70 फीसदी तक कम कर चुके हैं। फिलहाल कंपनी का हर महीने का खर्च करीब 1.5 करोड़ डॉलर है। इससे पहले जोमैटो ने अक्टूबर में कहा था कि अप्रैल-सितंबर 2019 में उसकी आमदनी तीन गुना से अधिक होकर 20.5 करोड़ डॉलर या 1,458 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो इससे एक साल पहले समान अवधि में 6.3 करोड़ डॉलर या 448 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने हाल में वित्तपोषण के नए दौर के तहत अगले महीने तक 60 करोड़ डॉलर या 4,277 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की है। *भाषा*

एफपीआई ने बाजार से निकाले 244 करोड़ रुपये

आर्थिक में गिरावट के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घरेलू पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल बन गए। उन्होंने दिसंबर में अब तक घरेलू पूंजी बाजार से 244 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में अब तक एफपीआई ने शेयरों से 1,668.8 करोड़ रुपये निकाले। हालांकि उन्होंने ऋणपत्रों या बॉन्डमें 1,424.6 करोड़ रुपये लगाए। इस तरह वे 244.2 करोड़ रुपये के शुद्ध बिकवाल रहे। *भाषा*

एनटीटी इंडिया का एक अरब डॉलर का आय लक्ष्य

जापान की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एनटीटी ने अपने भारतीय परिचालन से अगले दो साल में एक अरब डॉलर (7,100 करोड़ रुपये) से अधिक का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने कहा, वर्तमान में कंपनी की पूरे भारत से आय 5,000 करोड़ रुपये (70 करोड़ डॉलर) से ऊपर है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी (दक्षिण एशिया) किरण भगवानानी ने बताया, हम घरेलू कारोबारी अवसर पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और अगले दो साल में कारोबार में बढ़ाकर एक अरब डॉलर पर ले जाना चाहते हैं। *भाषा*

ऑर्किड फार्मा के समाधान की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

एनसीएलएटी के आदेश पर रोक

गिरीश बाबू
चेन्नई, 8 दिसंबर

ऑर्किड फार्मा का दिवालिया समाधान

- लेनदारों की समिति के अहम सदस्य भारतीय स्टेट बैंक ने एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था
- नवंबर में एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की तरफ से ऑर्किड फार्मा के लिए धानुका लैबोरेटरीज की मंजूर समाधान योजना को निरस्त करते हुए मामला एनसीएलटी के पास भेज दिया था
- एनसीएलएटी में एकॉर्ड ने अपनी अपील में आरोप लगाया था कि धानुका की वास्तविक समाधान कीमत 570 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी जबकि परिसमापन कीमत 1,309 करोड़ रुपये थी

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्ज में फंसी ऑर्किड फार्मा की समाधान प्रक्रिया से संबंधित नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर हुआ। नवंबर में एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की तरफ से ऑकिड फार्मा के लिए गुड़गांव की धानुका लैबोरेटरीज की मंजूर समाधान योजना को निरस्त करते हुए मामला एनसीएलटी के पास भेज दिया था। एनसीएलएटी ने पाया कि धानुका ने कंपनी की परिसमापन कीमत से कम बोली लगाई और इसे कानून के मुताबिक मंजूर नहीं किया जा सकता।

लेनदारों की समिति के अहम सदस्य भारतीय स्टेट बैंक ने एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। एसबीआई का आरोप था कि अपील ट्रिब्यूनल सीओसी की वाणिज्यिक समझ का अंदाजा लगाने में गलती की है जबकि समिति के अधिकांश सदस्यों ने लंबी बातचीत व योजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद धानुका की योजना को मंजूरी दी थी। एनसीएलएटी ने एकॉर्ड लाइफ की अपील के आधार पर फैसला सुनाया था। एकॉर्ड लाइफ, एकॉर्ड समूह का हिस्सा है, जिसकी स्थापना द्रमुक नेता व पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एस जगतरक्षकन ने की थी, जिसकी समाधान योजना एनसीएलटी ने ठुकरा दी थी और धानुका की योजना को मंजूरी दी थी।

एनसीएलएटी के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम रोक की पुष्टि करते हुए लॉ फर्म इंडिया लॉ एलएलपी के पार्टनर विपिन वारियर (जो एनसीएलटी की प्रक्रिया में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के अधिकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं) ने कहा, एक संभावना यह है कि आर्किड फार्मा के परिसमापन के कारण एनसीएलएटी का आदेश आया होगा, जिसका सभी हितधारकों पर असर होता और इनमें कंपनी के करीब 1,400 कर्मचारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एकॉर्ड लाइफ, ऑर्किड फार्मा और धानुका लैब को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह दूसरा मौका है जब एक निवेशक ऑर्किड फार्मा को बचाने के लिए सामने आए, जिसके ऊपर विभिन्न बैंकों का 3,000 करोड़ रुपये बकाया है। इससे पहले एनसीएलटी ने अमेरिकी कंपनी इंजेन कैपिटल की समाधान योजना को अमान्य घोषित कर दिया था क्योंकि कथित तौर पर निवेशक नियम के मुताबिक रकम नहीं ला पाए।

एनसीएलएटी में एकॉर्ड ने अपनी अपील में आरोप लगाया था कि धानुका की वास्तविक समाधान कीमत 570 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी जबकि परिसमापन कीमत 1,309 करोड़ रुपये थी। एकॉर्ड ने अपील ट्रिब्यूनल से एनसीएलटी के फैसले को दरकिनार करने का आग्रह किया था, जिसने धानुका की योजना को मंजूरी दी थी। कंपनी ने एकॉर्ड की योजना को खारिज करने के एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ भी अपील की है। एनसीएलएटी ने दूसरी अपील खारिज कर दी। एकॉर्ड की समाधान योजना परिसमापन कीमत से कम की है।

इस साल जून में अपने आदेश में एनसीएलटी ने कहा था कि धानुका की समाधान योजना 570 करोड़ रुपये की है, जो परिसमापन कीमत 1,309 करोड़ रुपये से कम है। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के मुताबिक, ऑर्किड फार्मा के पास नकद व बैंक शेष 321.98 करोड़ रुपये का है जबकि धानुका की तरफ से कंपनी में 40 करोड़ रुपये की इक्विटी लाने पर सहमत होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 184.06 करोड़ रुपये दिया, जिसके बाद कुल रकम करीब 1,116.04 करोड़ रुपये बैठती है, जो कंपनी की परिसमापन कीमत के करीब-करीब बराबर है।

इससे पहले धानुका लैब की योजना को सीओसी ने मंजूर किया था, पर यह संकट में तब फंस गया जब सीओसी सदस्य पीएनबी इंटरनैशनल ने ईमेल भेजकर ई-वोटिंग पर अपने फैसले में बदलाव की मांग की थी। धानुका की योजना को 67.07 फीसदी वोट मिले थे जबकि नियामकीय जरूरत 66 फीसदी वोट की है, लेकिन पीएनबी इंटरनैशनल के मत में बदलाव के बाद यह 65.53 फीसदी बैठती है, जो जरूरी मतदान प्रतिशत से कम है।

एकॉर्ड की दलील है कि इसका मतलब यह हुआ कि धानुका की योजना को सीओसी के जरूरी मत नहीं मिले, लिहाजा एनसीएलएटी इसे स्वीकार नहीं करेगा।

नवंबर में पटरी पर लौटा फार्मा बाजार

बीएस संवाददाता
मुंबई, 8 दिसंबर

अक्टूबर में बढ़त की रफ्तार घटकर 5.1 फीसदी रह जाने के बाद नवंबर में देसी फार्मा बाजार में सुधार दर्ज हुआ है। भारतीय दवा बाजार ने नवंबर में सालाना आधार पर 14.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, जो पिछले 32 महीने की बेहतर रफ्तार में से एक है।

बाजार शोध फर्म एआईओसीडी अवैक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर में भारतीय फार्मा बाजार की बढ़त की रफ्तार सात फीसदी रही थी।

मूविंग एनुअल टर्नओवर (एमएटी) के लिहाज (जो पिछले 12 महीने के टर्नओवर पर विचार करता है) से देखें तो नवंबर में मैट 9.8 फीसदी बढ़ा।

भारतीय दवा बाजार में 47 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले अल्पावधि की बीमारी के इलाज वाले क्षेत्र (एक्युट थैरेपी) की बढ़त की रफ्तार 8.9 फीसदी रही, वहीं 33 फीसदी हिस्सेदारी वाले लंबी अवधि की बीमारी (क्रॉनिक थैरेपी) के इलाज वाले क्षेत्र की बढ़त की रफ्तार 11.7 फीसदी रही।

नवंबर के मूविंग एनुअल टर्नओवर में संक्रमणरोधी बाजार सबसे आगे रहा और इसकी बढ़त की रफ्तार 8.6 फीसदी रही जबकि दिल की बीमारी के इलाज का बाजार 12.2 फीसदी, मधुमेह-रोधी बाजार 13.6 फीसदी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन 8.9 फीसदी, विटामिन व मिनरल 8.9 फीसदी और दर्द निवारक आदि की रफ्तार 9.7 फीसदी रही।

नवंबर के आंकड़े पर टिप्पणी करते हुए एआईओसीडी ने कहा, हमें मौसमी तत्व पर भी नजर डालना चाहिए। पिछले साल दीवाली नवंबर में थी और बिक्री पर इसका असर पड़ा था। चूंकि 2019 में दीवाली अक्टूबर में मनाई गई, लिहाजा नवंबर के महीने पर कोई दबाव नहीं था और नवंबर 2018 के निचले आधार पर नवंबर 2019 में प्रदर्शन बेहतर रहा।

इसमें कहा गया है, अगर हम अक्टूबर की 5.1 फीसदी की रफ्तार और नवंबर 2019 की 14.5 फीसदी की रफ्तार का औसत देखें तो दोनों का औसत 9.8 फीसदी बैठता है, जो भारतीय दवा बाजार के मूविंग एनुअल टर्नओवर की 9.8 फीसदी की रफ्तार के बराबर है। ऐसे में हम बढ़त का स्थायी चरण देख रहे हैं।

रिटेलर शॉपर्स स्टॉप ने पेश किए दो और स्टोर फॉर्मेट

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 8 दिसंबर

देश की सबसे पुरानी डिपार्टमेंटल स्टोर शॉपर्स स्टॉप ने दो और स्टोर फॉर्मेट पेश किए हैं जबकि कंपनी अपने लक्जरी आउटलेट्स के जरिए धनाढ्य ग्राहकों को सेवाएं दे रही हैं। दो नए स्टोर का लक्ष्य मिड-मार्केट और इकनॉमी खुदरा क्षेत्र है, लिहाजा तीन दशक पुरानी शृंखला को हर कीमत श्रेणी में अपना कामकाज कर पाएंगी।

उदाहरण के लिए लक्जरी स्टोर सबसे ऊपर रहेगा और शहर के समृद्ध इलाकों में होगा। खुदरा का दूसरा फॉर्मेट शहर के मध्य वर्ग वाले इलाकों को लक्षित करेगा। वहीं तीसरा फॉर्मेट शहर की सीमा पर रहने वाले ग्राहकों पर नजर डालेगा।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र पहला इलाका है जहां शॉपर्स स्टॉप तीन स्तरीय खुदरा ढांचे की परख विपणन के लिहाज से कर रही है। कंपनी ने मध्यम कीमत वाला अपैरल व गैर-अपैरल ब्रांड नई दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में खोला है। कम कीमत वाला अलग स्टोर नोएडा के गौड़ सिटी में खोला गया है। इस बीच, शॉपर्स स्टॉप का लक्जरी स्टोर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर पिछले महीने खोला गया।

शॉपर्स स्टॉप के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी राजीव सूरी ने कहा, कंपनी मुंबई व अन्य अग्रणी शहरों में इसी तरह का कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा, हर तरह के लोगों के लिए एक स्टोर की रणनीति कारगर नहीं होगी क्योंकि किसी शहर में धनाढ्य लोग अलग-अलग इलाके में रहते हैं। किसी स्टोर के आसपास रहने वाले ग्राहकों का प्रोफाइल वहां के उत्पादों व माहौल में प्रतिबिंबित होना चाहिए। अपने आउटलेट खोलने के समय हम इन बातों का ध्यान रखते हैं।

सूरी ने कहा, शॉपर्स स्टॉप के लक्जरी स्टोर में उत्पादों की औसत बिक्री कीमत 4,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति इकाई होगी, जो श्रेणी पर निर्भर है। बड़ी कीमत वाले लेबल मसलन माइकल कोर्स, केट स्पेड और हैंडबैग में कोच, जो मैलोन और सौंदर्य प्रसाधन में टोम फोर्ड और अपैरल में अरमानी एक्सचेंज व जोन्स न्यू यॉर्क यहां उपलब्ध होंगे।

मिड-मार्केट पर केंद्रित स्टोर में औसत बिक्री कीमत 1,600-2,000 रुपये प्रति इकाई होगी और ऐसे स्टोर में शॉपर्स स्टॉप के कुछ प्राइवेट ब्रांड भी उपलबब्ध होंगे। एंट्री लेवल स्टोर में 1,000 रुपये से कम कीमत वाले उत्पाद होंगे। कुछ श्रेणियों में औसत बिक्री कीमत 1,300 रुपये से 1,500 रुपये प्रति इकाई हो सकती है।

शॉपर्स स्टॉप ने दो अलग डिजाइन कंपनियों की भी नियुक्ति की है, जो उसके स्टोर फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लक्जरी स्टोर का डिजाइन लंदन की कंपनी डेलजियल ऐंज पो ने किया है। मध्यम कीमत व इकनॉमी शृंखला वाले स्टोर का डिजाइन डेसलड्रॉप की डिजाइन फर्म श्विज्क ने किया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि अलग-अलग श्रेणी में शॉपर्स स्टॉप के स्टोर ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब इंटरनैशनल फैशन रिटेलरों की बाजार में भीड़ बढ़ रही है। पिछले दो महीने में वैश्विक ब्रांड मसलन यूनिक्लो ने भारत में प्रवेश किया है और इस तरह से वह एचऐंडएम, जारा और मार्क्स ऐंड स्पेंसर की सूची में शामिल हो गई है, जो यहां पहले से ही हैं।

स्थानीय दिग्गज मसलन रिलायंस रिटेल (जिसने मार्क्स ऐंड स्पेंसर व अन्य इंटरनैशनल लेबल के साथ गठजोड़ किया है) और ट्रेंट (जिसका जारा संग संयुक्त उद्यम है), आदित्य बिड़ला फैशन व रिटेल (जो पैंटालून शृंखला का परिचालन करती है) और फ्यूचर ग्रुप (सेंट्रल व ब्रांड फैक्टरी) भी आक्रामक हो रही हैं।

सूरी ने कहा, तीन स्तरीय खुदरा मॉडल का खाका फैशन व लाइफस्टाइल बाजार का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद तैयार हुआ है। उन्होंने कहा, देसी खुदरा बाजार तेजी से बदल रहा है। प्रीमियम ग्राहक दुनिया भर में घूम रहे हैं और सबसे अच्छा उत्पाद चाहते हैं। दूसरी ओर मध्यवर्गीय ग्राहक महत्वाकांक्षी है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सबकुछ दे सकें जो वे चाहते हैं।

फैशन व लाइफस्टाइल का आकार

साल 2000	**50,000** करोड़ रुपये
साल 2010	**1.9** लाख करोड़ रुपये
साल 2019	**5.5** लाख करोड़ रुपये

बढ़त की रफ्तार

2000-2010	**10** साल में **3.8** गुना
2010-2019	नौ साल में 3 गुना

- एक स्टोर फॉर्मेट की नजर मिड-प्राइस क्षेत्र पर जबकि दूसरे की इकनॉमी रेंज पर है
- ये स्टोर पहले से चल रहे प्रीमियम स्टोर के अतिरिक्त हैं

क्षेत्रवार हिस्सेदारी

इकनॉमी	**50** फीसदी
मिड-मार्केट	**36** फीसदी
प्रीमियम	**14** फीसदी

स्रोत : टेक्नोपाक /उद्योग

विदेशी बाजार से देसी फर्मों ने जुटाए 3.41 अरब डॉलर

एजेंसियां
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से ऋण के तौर पर जुटाई गई रकम अक्टूबर 2019 में दोगुनी होकर 3.41 अरब डॉलर पर पहुंच गई। एक साल पहले इसी महीने घरेलू कंपनी ने 1.41 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज जुटाया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में घरेलू कंपनियों द्वारा जुटाई गई रकम में से 2.87 अरब डॉलर स्वत: मंजूरी वाली बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) से जुटाए गए। वहीं, 53.8 करोड़ डॉलर का कर्ज ईसीबी के मंजूरी मार्ग से जुटाया गया है। ईसीबी श्रेणी में, स्वत: मार्ग से पूंजी जुटाने वाली प्रमुख कंपनियों में मुथूट फाइनैंस (40 करोड़ डॉलर), एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी (30 करोड़ डॉलर) वर्धा सोलर (25.1 करोड़ डॉलर), लार्सन ऐंड टुब्रो (20 करोड़ डॉलर), डेक्कन फाइन केमिकल्स (14 करोड़ डॉलर) और आदित्य बिड़ला फाइनैंस (7.5 करोड़ डॉलर) शामिल रही।

मंजूरी मार्ग से इस साल अक्टूबर में दो कंपनियों जेएसडब्ल्यू स्टील (40 करोड़ डॉलर) और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस (13.8 करोड़ डॉलर) ने पूंजी जुटाए है। इस दौरान मसाला बॉन्ड या रुपये आधारित बॉन्ड से कोई राशि नहीं जुटाई गई।

भारती टेलीकॉम ने सरकार से मांगी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत

एजेंसियां
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

विदेशी इकाई बनने का इरादा

- इस पूंजी निवेश से भारती टेलीकॉम में विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी से अधिक हो जाएगी, जिससे यह एक विदेशी स्वामित्व वाली इकाई बन जाएगी

भारती टेलीकॉम ने सिंगापुर की सिंगटेल और अन्य विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। इस कदम से देश की सबसे पुरानी निजी क्षेत्र की यह दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एक विदेशी इकाई बन जाएगी। भारती टेलीकॉम, भारती एयरटेल की प्रवर्तक कंपनी है। मामले से जुड़े एक अधिकारिक सूत्र ने बताया कि इस पूंजी निवेश से भारती टेलीकॉम में विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी से अधिक हो जाएगी, जिससे यह एक विदेशी स्वामित्व वाली इकाई बन जाएगी। वर्तमान में सुनील भारती मित्तल और उनके परिवार की भारती टेलीकॉम में करीब 52 फीसदी हिस्सेदारी है।

भारती टेलीकॉम की भारती एयरटेल में करीब 41 फीसदी हिस्सेदारी है, वहीं विदेशी प्रवर्तक इकाइयों की इस फर्म में 21.46 फीसदी हिस्सेदारी है। इस कंपनी में सार्वजनिक शेयरधारिता करीब 37 फीसदी है। सूत्र ने कहा, भारती टेलीकॉम ने कंपनी में 4,900 करोड़ रुपये के निवेश के लिए आवेदन किया है। इसमें सिंगटेल और कुछ अन्य विदेशी निवेशकों की ओर से होने वाला निवेश शामिल है। इसके साथ ही भारती टेलीकॉम विदेशी इकाई बन जाएगी क्योंकि इसकी बहुलांश हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के पास होगी। दूरसंचार विभाग की तरफ से इसी महीने इस निवेश को मंजूरी देने की उम्मीद है।

दूरसंचार विभाग ने इससे पहले इस साल की शुरुआत में भारती एयरटेल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवेदन को खारिज कर दिया था क्योंकि कंपनी ने विदेशी निवेश के बारे में स्पष्ट नहीं किया था। सूत्र ने कहा कि वर्तमान में भारती एयरटेल में कुल विदेशी हिस्सेदारी 43 फीसदी है। प्रवर्तक इकाई भारती टेलीकॉम के विदेशी इकाई बन जाने के साथ ही कंपनी (भारती एयरटेल) में विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर 84 फीसदी के पार हो जाएगी। भारती एयरटेल पहले ही सिंगटेल व अन्य इकाइयों से रकम निवेश पर बातचीत कर रही है।

कंपनी ने अगस्त में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि अपने कुछ कर्ज समाप्त करने के लिए भारती टेलिकॉम मौजूदा प्रवर्तक समूह से इक्विटी मांग सकती है, जिसमें विदेशी इकाई और सिंगटेल शामिल हो सकती है।

भारती एयरटेल ने कहा है कि विदेशी इक्विटी में मामूली बढ़ोतरी से भारती टेलीकॉम में विदेशी निवेश 50 फीसदी के पार चली जाएगी, जिससे यह कंपनी विदेशी इकाई हो जाएगी।

भारती एयरटेल पहले ही कंपनी में 100 फीसदी एफडीआई के लिए आवेदन कर चुकी है। पिछले हफ्ते भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने क्यूआईपी, हिस्सा बिक्री और ऋण प्रतिभूतियों के जरिए 3 अरब डॉलर जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है क्योंकि कंपनी पर सरकार का 43,000 करोड़ रुपये एजीआर बकाया है।

वैश्विक गठजोड़ पर ऑडिट फर्मों की नजर

घरेलू ऑडिट कंपनियां अपनी कुशलता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के मकसद से वैश्विक लेखा परीक्षकों (ऑडिटर) के साथ गठजोड़ पर विचार कर रही हैं। इसका मकसद वैश्विक ऑडिट कंपनियों की तरह मजबूत लेखा परीक्षण प्रकिया अपनाकर घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। वैश्विक ऑडिट कंपनियां पहले से मजबूत प्रक्रिया अपना रही हैं।

घरेलू कंपनी के लिए विदेशी साझेदार की तलाश कर रहे एक सलाहकार ने कहा, हाल के दिनों में वैश्विक साझेदारों की खोज कर रही मध्यम आकार की भारतीय ऑडिट कंपनियों की संख्या में उल्लेखनीय तेजी आई है। पिछले कुछ हफ्तों में इस तरह की एक दर्जन कंपनियों ने विभिन्न वैश्विक कंपनियों का रुख किया है।

इसका मूल कारण कारोबार में बढ़ती जटिलताएं हैं, जिसमें लेखा परीक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाला ऑडिट पेश करना होता है। साथ ही कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामलों में जांच एजेंसियों और नियामकीय एजेंसियों की सख्त कार्रवाई का भी डर रहता है। उल्लेखनीय है कि आईएलऐंडएफएस समेत अन्य मामलों में कुछ ऑडिटर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच के दायरे में हैं जबकि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) इन्फोसिस में कथित लेखा परीक्षण खामियों की जांच-पड़ताल कर रहा है। *भाषा*

कपास की नरमी से कताई मिलों को आस

कताई मिलों ने वित्त वर्ष 20 की पहली छमाही में दर्ज किया कमजोर मुनाफा, दूसरी छमाही से उम्मीद

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 8 दिसंबर

सुधार के आसार

- वित्त वर्ष 20 की दूसरी छमाही में नजर आ रहा सुधार का परिदृश्य
- इस वर्ष उपभोग 5 प्रतिशत बढ़कर रहा 2.88 करोड़ गांठ, पिछले वर्ष था 2.74 गांठ
- अप्रैल के बाद से कपास की कीमतों में आई 8 प्रतिशत की गिरावट, जबकि धागे की कीमतें रही हैं स्थिर
- कपास सलाहकार बोर्ड ने पूर्वानुमान जताया है कि कपास उत्पादन में आएगी नौ प्रतिशत की उछाल

कच्चे माल कपास के दामों में तीव्र गिरावट के साथ-साथ धागे से होने वाली आय में स्थिरता रहने के कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान देश में कताई मिलों के परिदृश्य में सुधार नजर आ रहा है। शनिवार को एमसीएक्स पर बेंचमार्क किस्म वाली कपास का भाव 18,650 रुपये प्रति गांठ (170 किलोग्राम) रहने के साथ ही कपास के दामों में अप्रैल के बाद से आठ प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है, जबकि अप्रैल के पहले सप्ताह में दाम प्रति गांठ 22,600 रुपये थे। हालांकि इसके विपरीत 42 काउंट किस्म वाले सूती धागे की कीमतें 250 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर स्थिर रही हैं।

भारतीय कपास संघ (सीएआई) के अध्यक्ष अतुल गणत्र ने कहा कि फिलहाल कपास की कीमतें नरम हैं, लेकिन सूती धागे की मांग में लगातार सुधार कताई मिलों के लिए बेहतर है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ऐंड इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अध्यक्ष आरके डालमिया का मानना है कि कपास की कीमतों में गिरावट के कारण शायद कपड़ा विनिर्माताओं को अपने उत्पाद की कीमतों में शीघ्र कमी करने की जरूरत न पड़े। अलबत्ता इससे निश्चित रूप से आने वाली तिमाहियों के दौरान लाभ में सुधार में मदद मिलेगी। इस बीच वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कताई करने वालों के लिए भारतीय कपास का परिदृश्य प्रतिकूल रहा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर दाम गिरकर प्रति पॉउंड लगभग 50 से 60 सेंट हो चुके हैं, जबकि घरेलू कपास के दाम (कपास की फसल में कमी के कारण) प्रति पॉउंड 80 सेंट के दायरे में रहे हैं। दूसरी तरफ कपास के दामों में भारी गिरावट की वजह से धागे के अंतरराष्ट्रीय दामों में सुधार हुआ है।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट सेक्टर रेटिंग्स) जयंत रॉय ने कहा कि अप्रैल से कपास के घरेलू दामों में आठ प्रतिशत से अधिक कमी होने के बावजूद घरेलू कपास अक्टूबर तक महंगी (सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में सात प्रतिशत प्रीमियम के मुकाबले अक्टूबर में लगभग दो प्रतिशत प्रीमियम) रही है। इससे घरेलू कताई करने वालों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है।

कपास की कीमतों में गिरावट को और समर्थन देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत कपास सलाहकार बोर्ड ने पूर्वानुमान लगाया है कि इस साल देश का कपास उत्पादन नौ प्रतिशत तक बढ़कर 3.6 करोड़ गांठ रहेगा, जबकि पिछले साल उत्पादन 3.3 करोड़ गांठ था।

चूंकि बोर्ड ने कपास उपभोग में छह प्रतिशत तक की वृद्धि (उत्पादन वृद्धि की तुलना में तीन प्रतिशत कम) का अनुमान लगाया है, इसलिए इस साल फाइबर की कीमतों में नरमी रहने का अनुमान है। बोर्ड का पूर्वानुमान है कि पिछले साल के 2.74 करोड़ गांठों की तुलना में इस साल मिलों की कपास खपत पांच प्रतिशत बढ़कर 2.88 करोड़ गांठ हो जाएगी। अप्रैल से सितंबर के बीच पहले छह महीनों के दौरान देश का धागे का औसत मासिक निर्यात 28 प्रतिशत तक गिरकर 7.4 करोड़ किलोग्राम रह गया, जबकि पिछले साल का औसत मासिक निर्यात 10.2 करोड़ किलोग्राम था। पहले छह महीने के दौरान चीन को किया जाने वाला सूती धागा निर्यात गिरकर दो करोड़ किलोग्राम रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में चार करोड़ किलोग्राम निर्यात किया गया था।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषक भरत छोड़ा ने कहा कि हाल के दिनों में धीरे-धीरे नई कपास आने की वजह से अंतरराष्ट्रीय दामों की तर्ज पर भारतीय कपास के दामों में गिरावट आई है। साथ ही धागे के दाम स्थिर रहे हैं, इसलिए वर्धमान टेक्सटाइल्स जैसी भारतीय कताई कंपनियों के लिए लाभ के परिदृश्य में सुधार हो रहा है। इस कारण हमारा मानना है कि पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही बेहतर रह सकती है।

रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा प्याज

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 8 दिसंबर

महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में बाढ़ के बाद लगभग 30 प्रतिशत फसल को नुकसान होने के कारण इस साल लासलगांव मंडी में प्याज के दाम बढ़कर 130 रुपये प्रति किलोग्राम का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। एक ओर जहां खरीफ प्याज की आवक में लगभग दो महीने की देरी हुई है और आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई, वहीं दूसरी ओर सीजन के आखिर में बारिश की वजह से मिट्टी में आवश्यकता से अधिक नमी के कारण रबी की बुआई की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। तीसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2018-19 के लिए देश का वार्षिक प्याज उत्पादन 2.35 करोड़ टन रहने की संभावना जताई गई है।

वर्ष 2019-20 में प्याज की उपलब्धता गिरकर 1.65 करोड़ टन रहने के आसार हैं। 10 प्रतिशत बेकार और खराब प्याज को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019- 20 के दौरान व्यापार योग्य कुल प्याज 1.485 करोड़ टन बैठता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018-19 के दौरान भारत का प्याज निर्यात लगभग 30 लाख टन है। इसका मतलब यह है कि देश की प्याज खपत लगभग 1.9 करोड़ टन है। इसके परिणामस्वरूप अगर सरकार अब से एक साल तक निर्यात प्रतिबंध जारी रखती है, तो भी करीब 40 लाख टन की कमी रहेगी। इस बीच सरकार ने इस कमी की भरपाई के लिए लगभग 17,000 टन प्याज आयात की जो योजना बनाई है, वह अपर्याप्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती कीमतें किसानों को रबी सत्र में रकबा बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी जिससे प्याज उत्पादन में इजाफा हो सकता है।

प्याज की देशव्यापी आवक

महीना	5 वर्ष का औसत*	2018	2019
जनवरी	1,286	1,107	1,323
फरवरी	1,052	1,101	1,369
मार्च	986	949	1,211
अप्रैल	998	920	1,285
मई	1,161	1,457	1,165
जून	1,053	1,533	1,355
जुलाई	797	993	1,111
अगस्त	716	1,043	1,018
सितंबर	710	1,011	887
अक्टूबर	804	1,096	801
नवंबर	874	868	832
दिसंबर	1,111	1,110	

आंकड़े हजार टन में, *2013 से 17 तक

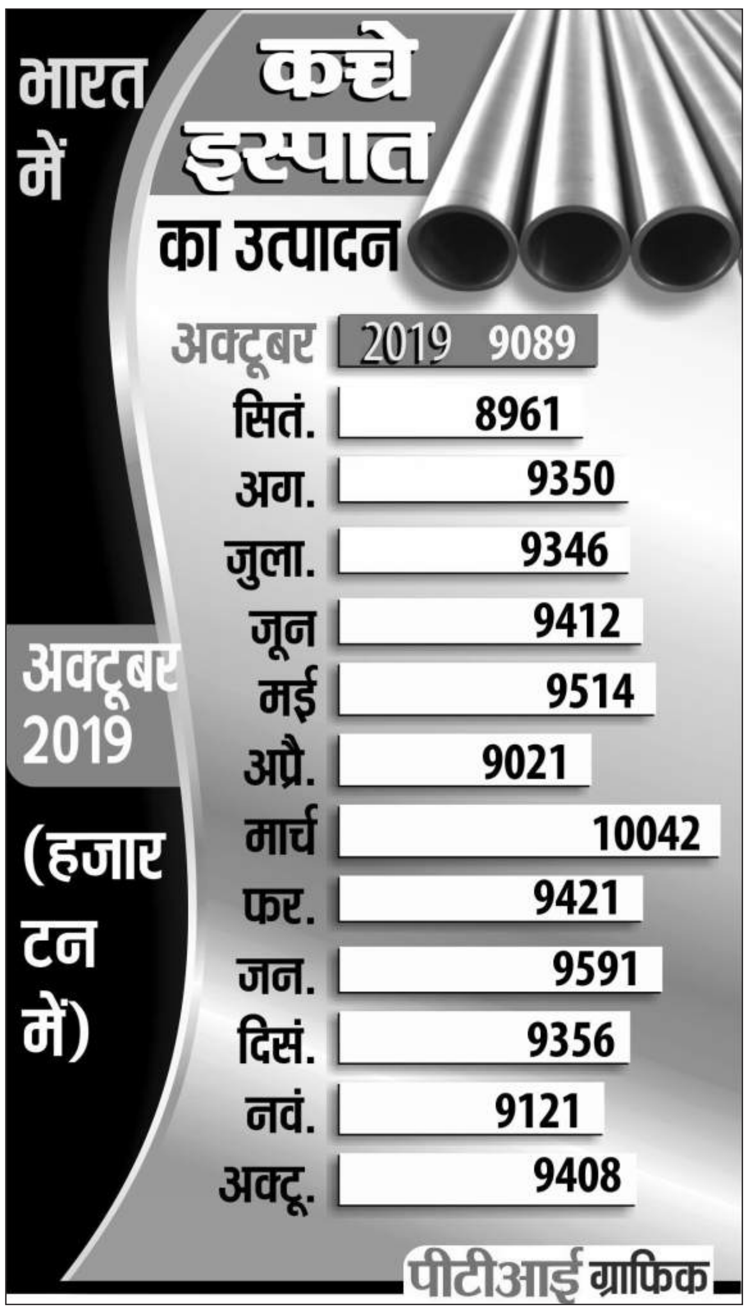

एथनॉल मिश्रण की नीति को प्रोत्साहन की दरकार

केंद्र सरकार ने चीनी मिलों में एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

- वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10 फीसदी एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया गया
- एथनॉल गन्ने का एक उपोत्पाद है, जो चीनी उत्पादन के दौरान पैदा होता है
- एक टन गन्ने से 4 से 5 फीसदी शीरा निकलता है
- शीरे के प्रसंस्करण से इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल बनाया जाता है

सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10 फीसदी एथनॉल मिश्रण का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, लेकिन अगर इस नीति की विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह लक्ष्य पटरी से उतर सकता है।

यह नीति चीनी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव का व्यवहार्य और दीर्घकालिक समाधान हो सकती है। इससे देश के तेल आयात के बढ़ते बिल का भी समाधान मिल सकता है, लेकिन इसमें विभिन्न स्तरों पर समस्याएं हैं। इसमें मुख्य समस्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में शीरे की आपूर्ति से पैदा होती है। शीरा एथनॉल उत्पादन का सबसे बुनियादी कच्चा माल है। ये दोनों राज्य देश के कुल चीनी उत्पादन में 65 फीसदी और शीरे के उत्पादन में 67 फीसदी योगदान देते हैं।

उत्तर प्रदेश की शीरे की सख्त नीति

एथनॉल गन्ने का एक उपोत्पाद है, जो चीनी उत्पादन के दौरान पैदा होता है। हर एक टन गन्ने की पेराई से 4-5 फीसदी शीरा प्राप्त होता है। शीरे के प्रसंस्करण से इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल बनाया जाता है। इथाइल एल्कोहल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन मिथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल डिस्टिलरी मुख्य रूप से शराब बनाने में करती हैं।

पिछले महीने देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया था। नई नीति में चीनी विनिर्माताओं के लिए पेय एल्कोहल विनिर्माताओं को शीरे की अनिवार्य आपूर्ति की मात्रा बढ़ाई गई है। वर्ष 2018-19 में यह मात्रा 16 फीसदी थी, जिसे 2019-20 में बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसमें पिछला संशोधन महज दो महीने पहले ही हुआ था। उस समय यह मात्रा 12.5 फीसदी से बढ़ाकर 16 फीसदी की गई थी। कोटा नीति में त्वरित बदलावों से चीनी मिलें नाखुश हैं। उनकी शिकायत यह है कि पेय एल्कोहल विनिर्माताओं के लिए न केवल आरक्षित मात्रा में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि अब आवंटन में खुद के इस्तेमाल के लिए उत्पादित शीरे को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के लिए शीरे की आरक्षित कीमत 87 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार दर करीब 450 रुपये प्रति क्विंटल है।

कुल मिलाकर उस स्थिति में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को न केवल पेय एल्कोहल विनिर्माताओं को पिछले साल की तुलना में ज्यादा मात्रा में शीरे की बिक्री करनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें बाजार कीमत से काफी कम पर शीरा बेचना पड़ेगा। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शीरे का कुल उत्पादन 48 लाख टन रहने का अनुमान है।

महाराष्ट्र और कर्नाटक की पहेली

देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी मिलों के लिए शीरे से एथनॉल के उत्पादन के बजाय रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ईएनए) का उत्पादन करना ज्यादा फायदे का सौदा है।

इस समय कुछ राज्यों में रेक्टिफाइड स्पिरिट की कीमत 43 से 44 रुपये प्रति लीटर है, जबकि ईएनए की कीमत 58 से 60 रुपये प्रति लीटर है। रेक्टिफाइड स्पिरिट को एथनॉल बनाने की लागत पांच रुपये प्रति लीटर आती है, जिससे एथनॉल की लागत बढ़कर करीब 49 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। सरकारी तेल विपणन कंपनियां 2019-20 के लिए सी-भारी (चीनी की मात्रा से मुक्त) शीरे से तैयार एथनॉल की एक्स-डिस्टिलरी कीमत 43.75 रुपये प्रति लीटर है। वहीं तुलनात्मक रूप से कम उत्पादित बी भारी शीरे (जिसमें चीनी की कुछ मात्रा होती है) की कीमत 54.27 रुपये प्रति लीटर दी जा रही है।

रियायती ऋण पैकेज की सुस्त रफ्तार

केंद्र सरकार ने चीनी मिलों में एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये का बड़ा रियायती ऋण पैकेज भी शामिल है। हालांकि अब तक केवल 800 करोड़ रुपये के वितरण की ही प्रक्रिया चल रही है।

अधिकारियों ने कहा कि 19 जुलाई, 2018 से 8 मार्च, 2019 के बीच 349 एथनॉल क्षमता परियोजनाओं को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इनमें से 33 फीसदी ही अंतिम वितरण के स्तर तक पहुंचे है क्योंकि बैंकों ने बहुत सी चीनी मिलों की बैलेंस शीटों को समस्याग्रस्त पाया है। शुरुआती अनुमानों में कहा गया है कि देश के अहम उत्पादक राज्यों में सूखे के कारण चीनी उत्पादन 2019-20 में पिछले साल की तुलना में छह फीसदी कम रहेगा। गन्ने की कम उपलब्धता का मतलब है कि मिलें एथनॉल के लिए कम शीरा इस्तेमाल कर पाएंगी। यही वजह है कि पहली निविदा में ज्यादातर राज्यों ने तेल विपणन कंपनियों को कम एथनॉल 1.63 अरब लीटर की आपूर्ति की पेशकश की है।

कर्नाटक की चीनी मिलों ने 2019-20 में 2018-19 की तुलना में 47.27 फीसदी कम एथनॉल की पेशकश की है। वहीं महाराष्ट्र की मिलों ने 48.3 फीसदी कम एथनॉल आपूर्ति की पेशकश की है। केवल उत्तर प्रदेश की मिलों ने पिछले साल से 51 फीसदी अधिक एथनॉल आपूर्ति की पेशकश की है।

धन की कमी से फीका पड़ सकता है चाय का स्वाद

अभिषेक रक्षित और नम्रता आचार्य
कोलकाता/हैदराबाद, 8 दिसंबर

- चाय कंपनियों के लिए कोष की कमी के मद्देनजर आय बढ़ाने की पश्चिम बंगाल, असम सरकार की पहल को लग सकता है झटका
- पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय पर्यटन के लिए भूमि की सीमा कुल बागान क्षेत्र के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की है
- चाय बागान में सिर्फ बेकार पड़ी भूमि का ही चाय पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा

चाय कंपनियों में वित्तीय किल्लत से इस उद्योग की कंपनियों की आय बढ़ाने की पश्चिम बंगाल और असम सरकार की पहल को झटका लग सकता है। ये राज्य सरकारें चाय बागानों में बेकार पड़ी भूमि पर्यटन और अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की सीमा बढ़ाकर इन कंपनियों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना चाहती हैं।

जहां शुरू में कुल भूमि के सिर्फ पांच प्रतिशत का ही इस्तेमाल पर्यटन जैसी गतिविधियों के लिए करने की अनुमति थी, वहीं हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया। हालांकि इस उद्देश्य के लिए चाय बागान की अधिकतम भूमि की सीमा 150 एकड़ पर सीमित की गई है। असम सरकार द्वारा भी इसी तरह का कदम उठाए जाने की संभावना है।

हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की पहल में उद्योग ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और कुछ ही कंपनियां (जो अपने बागानों में पहले ही पर्यटन केंद्र स्थापित कर चुकी हैं) और अधिक निवेश को इच्छुक हैं।

कैमेलिया पीएलसी के स्वामित्व वाली गुडरिक पिछले साल मैकलॉयड रसेल से खरीदे गए बागानों में 91 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और मौजूदा समय में वह चाय कैफे चेन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस साल मुंबई और कोलकाता में अपना टी ज्वाइंट 'टी पॉट' खोलने के बाद अब वह दिसंबर के अंत तक दार्जिलिंग में अपने थुरबू चाय बागान में एक अन्य टी पॉट खोलने की तैयारी कर रही है।

गुडरिक समूह के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अतुल अस्थाना ने कहा, 'मौजूदा समय में कोष का अभाव है और हम अपने बागानों के विस्तार पर पहले ही निवेश कर चुके हैं। अब टी पॉट भी हमारा फोकस एरिया है। हम सतर्कता बरतना चाहेंगे और 2-3 साल के बाद चाय पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।'

दूसरी तरफ, बैंक प्रमुख सूचीबद्ध चाय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग में कमी के बावजूद ऋण सुविधा में विस्तार कर रहे हैं।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अशोक कुमार प्रधान ने कहा, 'चाय क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की किसी भी तरह की पहल इस उद्योग के लिए मददगार साबित होगी। हमने अपने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों से इस योजना के प्रस्तावों पर विचार करने को कहा है।' हालांकि चाय कंपनियां इसे लेकर अनिच्छुक हैं।

वॉरेन टी के कार्यकारी निदेशक विवेक गोयनका ने कहा, 'भले ही कंपनियां बैंकों से ऋण लेती हों, लेकिन उन्हें परियोजना के वित्त पोषण के लिए आंशिक रूप से भी कोष की जरूरत होगी। चाय कीमतें नहीं बढ़ने से कई कंपनियां निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। हम अन्य क्षेत्रों में निवेश नहीं कर रहे हैं।'

जय श्री टी ऐंड इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी डी पी महेश्वरी का कहना है कि बैंकों ने चाय कंपनियों को ऋण देना बंद कर दिया है जिससे इस उद्योग में नकदी संकट को बढ़ावा मिला है।

उन्होंने कहा, 'हमारे ऋण अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और बैंक कोई पूंजी मुहैया नहीं करा रहे हैं। चाय कंपनियों के पास पर्यटन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिहाज से पर्याप्त पूंजी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चाय कंपनी फिलहाल निवेश करेगी।'

असम में भी कंपनियां नए निवेश से परहेज कर रही हैं। जेम्स वॉरेन टी के मुख्य कार्याधिकारी अखिल रुइया ने कहा, 'पर्यटन से असम चाय उद्योग को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। यदि ऐसा है तो हमारे पास चाय बागानों में पहले से ही पर्यटन के लिए भूमि उपलब्ध है। हमें प्रमुख संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। हमने वैकल्पिक फसलों या पर्यटन के क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की योजना नहीं बनाई है।'

दक्षिण में ठंडा पड़ रहा चाय उत्पादन

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 8 दिसंबर

- भारत का चाय उत्पादन करीब 10 प्रतिशत तक गिरकर 22.5 करोड़ किलोग्राम रह गया
- जलवायु संबंधी मसलों को उत्पादन में इस गिरावट का जिम्मेदार ठहराया गया

दक्षिण भारत का चाय उत्पादन करीब 10 प्रतिशत तक गिरकर 22.5 करोड़ किलोग्राम रह गया है और इस गिरावट में इस साल सुधार की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। बागान मालिकों का कहना है कि वे तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्हें मौसम परिवर्तन की वजह से कृषि संबंधी दबाव झेलना पड़ रहा है और वे बागान जिंसों के लिए लाभकारी दाम पाने में भी असमर्थ हैं। दक्षिणी राज्यों में चाय, कॉफी, रबर, इलायची और काली मिर्च बागानों के शीर्ष संगठन यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (उपासी) के अनुसार 24 करोड़ किलोग्राम से लेकर 25 करोड़ किलोग्राम के आस-पास रहने वाले औसत उत्पादन की तुलना में इस दफा चाय उत्पादन लगभग 22.5 करोड़ किलोग्राम रहने का अनुमान है।

चाय के अंतर्गत रकबे या अन्य कारकों के बजाय जलवायु संबंधी मसलों को उत्पादन में इस गिरावट का जिम्मेदार ठहराया गया है। उदाहरण के लिए सबसे बड़े चाय उत्पादन केंद्रों में से एक नीलगिरि में कुछ सप्ताह पहले 20 दिन बारिश हुई, लेकिन प्रतिदिन धूप औसतन चार घंटे से भी कम रही।

उपासी के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल चाय उत्पादन में दक्षिण भारतीय चाय उत्पादन का हिस्सा 17 प्रतिशत रहता है, जबकि निर्यात में दक्षिण भारतीय चाय की हिस्सेदारी तकरीबन 40 प्रतिशत रहती है। हालांकि दक्षिण भारत ने उत्तर भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दक्षिण भारत में मजदूरी बागान वाले अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। जनवरी से सितंबर के दौरान नौ महीने में दक्षिण भारतीय नीलामी केंद्रों में औसत दाम 98.75 रुपये से बढ़कर 102.87 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। बागान जिंसों की लागत में 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा मजदूरी का रहता है।

उपासी के अध्यक्ष एआर नागप्पन का कहना है कि बागान काफी तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें कृषि संबंधी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और वे बागान जिंसों के लाभकारी दाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश बागानों को काफी नुकसान हो रहा है और दिन-प्रतिदिन के कार्यों तथा श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए जूझना पड़ रहा है। निकट भविष्य में दामों में सुधार की संभावनाएं क्षीण हैं और वे सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की आस कर रहे हैं।

जिंस बोर्ड की स्वीकृत योजनाओं के मद्देनजर उत्पादकों का बड़ा बकाया है। अकेले चाय क्षेत्र में ही दक्षिण भारत के लिए अब तक 55 करोड़ रुपये का बकाया है। जिंस बोर्डों के लिए आंवटित राशि में साल दर साल कटौती की जा रही है और मौजूदा बजट में जिंस बोर्डों को अल्प मात्रा में आवंटित अतिरिक्त राशि कम से कम लंबित बकाये का निपटान करने के लिए तो नाकाफी ही रहेगी। उदाहरण के लिए 2017-18 के दौरान चाय उत्पादन के लिए 189.05 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जो 2019-20 में घटकर 150 करोड़ रुपये रह गया। उपासी ने सरकार से जिंस बोर्डों के लिए अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी देने का अनुरोध किया है।

कार्वी के कर्जदाताओं को सेबी से राहत की उम्मीद कम

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से उलझी हुई 4 फर्मों को कोई राहत मिलने की संभावना कम है, जिन्होंने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को उधारी दी है। कार्वी ने अपने ग्राहक की प्रतिभूतियों को गिरवी रखा था।

प्रतिभूति नियामक अपील न्यायाधिकरण (सैट) के दिशानिर्देशों के बाद सेबी ने पिछले सप्ताह एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनैंस को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के मसले पर सुनवाई का मौका दिया था। इन प्रतिभूतियों को कार्वी के खाते से संबंधित बैंकों के लिए गैर कानूनी तरीके से गिरवी रखा गया था।

सूत्रों ने कहा कि बाजार नियामक कर्जदाताओं को प्रतिभूतियों के मालिकाना हक को लेकर उचित नियमों का पालन न करने के मामले में जवाबदेह ठहरा सकता है, जिसे कार्वी ने गिरवी रखा था।

इस पूरे मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'गिरवी शेयरों के मालिकाना हक और सही मालिकों को लेकर कर्जदाताओं ने कार्वी से कभी सवाल नहीं किए। ऐसे में उन्हें लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, यह नियामक का रुख है।'

उन्होंने कहा, 'स्टॉक ब्रोकरों को कर्ज दिए जाने को लेकर उचित व्यवस्था की गई है। इसमें उधारी की पेशकश करने वालों को गिरवी की पूरी तरह से जांच की जरूरत होती है। बड़े वित्तीय संस्थान से उम्मीद की जाती है कि वह जमाकर्ता के शेयरों के मालिकाना हक को लेकर सक्रिय रुख अपनाए, जिसकी पेशकश ब्रोकर की ओर से गिरवी के रूप में की जा रही है। इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए कि यह शेयर किसके हैं।'

सैट ने 12 दिसंबर गुरुवार को निर्देश दिया था कि सेबी इस मामले में आदेश पारित करे।

सेबी की जून की अधिसूचना में ब्रोकरों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि ग्राहकों की प्रतिभूतियां, जो पहले ही गिरवी रखी गई हैं उन्हें गिरवी से छुड़ाया जाए और ग्राहकों को वापस किया जाए। अगर ग्राहक चूक करता है तो ऐसे मामले में ब्रोकरों से कहा गया था कि वे प्रतिभूति को 5 दिन तक रखें और उसके बाद वे प्रतिभूति को नकदी में बदल सकते हैं और बकाये की वसूली कर सकते हैं। यह नियम 31 अगस्त से प्रभावी था, लेकिन इसकी अवधि एक महीने और बढ़ा दी गई और ब्रोकरों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया। प्रावधान का मतलब यह था कि सभी ब्रोकर 1 अक्टूबर तक गिरवी को खत्म करें।

सूत्रों ने कहा कि सेबी ने कड़ा रुख अपनाया है। सेबी का मानना है कि सभी कर्जदाताओं ने शेयरों के एवज में कर्ज देते समय अधिसूचना को संज्ञान में लेते हुए सभी गिरवी की सावधानी से पुष्टि की है।

कार्वी पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से अपने 95,000 ग्राहकों के 2,300 करोड़ रुपये की संपत्ति को गिरवी रखकर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं। कार्वी ने प्रतिभूतियों का इस्तेमाल अपने समूह की इकाइयों के वित्तपोषण के लिए किया, जिसमें उसकी रियल एस्टेट से जुड़ी सहायक इकाई भी शामिल है।

इस मामले से जुड़े एक और व्यक्ति ने कहा कि यह ध्यान देना उचित होगा कि कार्वी ने कथित डीपी खाते का खुलासा कभी न तो एक्सचेंजों में किया और न डिपॉजिटरीज में।

सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि प्रतिभूतियां हमेशा ग्राहकों से जुड़ी होती हैं न कि कार्वी से। बाद में उसने डिपॉजिटरीज को आदेश किया कि एनएसई की निगरानी में लाभार्थी मालिकों को प्रतिभूतियां वापस दी जाएं।

आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक ने न्यायाधिकरण के सामने अनुरोध किया था कि वे प्रतिभूतियां गिरवी थीं और उनका हस्तांतरण कार्वी के ग्राहक खातों में किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि उनकी सहमति के बगैर दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

कर्जदाताओं ने न्यायाधिकरण से कहा था कि यह सामान्य औद्योगिक गतिविधि है कि गिरवी शेयरों के एवज में कर्ज दिया जाए और ऐसे में कार्वी के दावों पर अविश्वास करने का कोई मतलब नहीं था कि वह शेयरों की मालिक है। इस मामले के गुण दोष पर विचार किए बगैर सैट ने कहा था कि प्रतिभूतियों को वापस करना का अनुरोध पूरा करना संभव नहीं है और उसने इस मामले में सेबी को दिशानिर्देश दिए थे।

सेबी ने 22 नवंबर को कार्वी ब्रोकिंग पर नया ग्राहक बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिभूतियों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए ग्राहकों की ओर से दी गई पावर आफ अटार्नी (पीओए) के इस्तेमाल से भी रोक दिया था।

बैंकों की लापरवाही मान सकता है बाजार नियामक

- प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के मसले पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को उधारी देने वालों को सेबी की ओर से राहत मिलने की संभावना कम
- सेबी ने पिछले सप्ताह एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनैंस को सुनवाई का मौका दिया था
- कार्वी पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से अपने 95,000 ग्राहकों के 2,300 करोड़ रुपये की संपत्ति को गिरवी रखकर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए

सेबी ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए खंगाली वैवाहिक वेबसाइट

बड़े सौदों से पहले शेयरों के भाव गिरा-चढ़ाकर लाभ कमाने के मामले में बाजार नियामक सेबी ने संदिग्ध लोगों का पता लगाने के लिए वैवाहिक प्रोफाइल खंगालने शुरू किए हैं ताकि परिवार के साथ उनके संबंधों को उजागर किया जा सके। सेबी ने शेयरों के दाम में हेर-फेर करने वालों को पकड़ने के लिए यह कदम उठाया है।

बाजार नियामक ने भेदिया कारोबार से जुड़े मामले में संदिग्ध लोगों के फेसबुक खातों की जांच-पड़ताल भी की है। फिडेलिटी समूह की इकाइयों के कुछ फंडों के भाव को चढ़ाने के मामले में सेबी ने वैवाहिक वेबसाइट जैनशुभबंधन डॉट कॉम पर ट्रेडर वैभव धड़डा के प्रोफाइल की जांच की ताकि परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध स्थापित किया जा सके।

सेबी ने 5 दिसंबर के अंतरिम आदेश में कहा कि वेबसाइट में वैभव को अलका धड़डा का पुत्र बताया गया है। इसके अलावा, उसके पासपोर्ट में भी माता के नाम में अलका का जिक्र है। सेबी ने बड़े सौदे से पहले शेयरों की खरीदी या बिक्री करके भाव को चढ़ाकर या उतारकर लाभ कमाने के मामले में वैभव के साथ-साथ उसकी मां अल्का और बहन आरुषि को पूंजी बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है।

नियामक ने परिवार के सदस्यों को संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रॉ खाता खोलने और कथित गैरकानूनी गतिविधियों के जरिये अर्जित 1.86 करोड़ रुपये को 15 दिन के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। सेबी ने जांच में पाया कि फिडेलिटी समूह की ओर से ट्रेडर होने के नाते वैभव के पास फिडेलिटी समूह की इकाइयों के कारोबार से जुड़ी ऐसी जानकारियां थी, जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी। *भाषा*

संक्षेप में

नवंबर में चीन का अमेरिका के साथ व्यापार घटा

चीन और अमेरिका के बीच पहले चरण के संभावित समझौते पर जारी बातचीत के बीच दोनों देशों के व्यापार में नवंबर में एक बार फिर गिरावट आई है। चीन के सीमा शुल्क विभाग के रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में अमेरिका को निर्यात 23 प्रतिशत घटकर 35.6 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान अमेरिकी सामान का आयात 2.8 प्रतिशत घटकर 11 अरब डॉलर ही रहा। इस तरह चीन का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 24.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान चीन का फ्रांस सहित अन्य देशों को निर्यात बढ़ा है जिससे नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है। नवंबर में चीन का वैश्विक स्तर पर निर्यात एक साल पहले इसी माह की तुलना में 1.1 प्रतिशत घटकर 221.7 अरब डॉलर रह गया। हालांकि, इस दौरान वैश्विक मांग में भारी गिरावट आई है। इस दौरान आयात 0.3 प्रतिशत बढ़कर 183 अरब डॉलर रहा। चीन का वैश्विक स्तर पर व्यापार अधिशेष 38.7 अरब डॉलर रहा। *भाषा*

12 बंदरगाहों ने की 4,630 लाख टन माल ढुलाई

देश के प्रमुख 12 प्रमुख बंदरगाहों पर माल की ढुलाई (माल को चढ़ाना या उतारना) इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान 0.34 प्रतिशत बढ़कर 4,630.7 लाख टन पर पहुंच गई। भारतीय बंदरगाह संगठन (आईपीए) ने इसकी जानकारी दी। इन बंदरगाहों ने पिछले साल की समान अवधि में 4,614.8 लाख टन माल की ढुलाई की थी। इन प्रमुख 12 बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मुरगांव, न्यू मंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, कमरजार (पूर्ववर्ती एन्नोर), वी.ओ. चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया समेत) शामिल हैं। आईपीए के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान लौह अयस्क की ढुलाई 30.24 प्रतिशत बढ़कर 339.5 लाख टन पर पहुंच गई। *भाषा*

यूपीआई में नई कंपनियों के उतरने की संभावना नहीं

यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली में अब और ज्यादा नई कंपनियों के उतरने की संभावना नहीं है क्योंकि कुछ कंपनियों के साथ ही सम्पन्न रूप ले चुका है। द डिजिटल फिफ्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई भुगतान में अधिक नवोन्मेषी प्रयोगों के चलते यह क्षेत्र नए स्तर पर पहुंचेगा और यह देश का भुगतान गेटवे का विकल्प बना रहेगा। रिपोर्ट कहती है कि यूपीआई की वजह से भुगतान क्षेत्र में नवप्रवर्तन आया है। इसके परिणामस्वरूप बड़े खिलाड़ियों ने पूरे बाजार को नियंत्रण में ले लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉलेट बाजार घट रहा है। *भाषा*

एक संयंत्र ऐसा भी, जिसने बढ़ाया बिजली उत्पादन

अमृता पिल्लई
मुंबई, 8 दिसंबर

भारत के ताप बिजली संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) अक्टूबर महीने में अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, वहीं आईएलऐंडएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी (आईटीपीसीएल) के कुड्डालोर बिजली संयंत्र का पीएलएफ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है। इससे कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है।

बिजनेस स्टैंडर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आयातित कोयले से चलने वाले 600 गुणा 2 मेगावॉट के कुड्डालोर संयंत्र का इस साल अक्टूबर महीने में प्लांट लोड फैक्टर 82 प्रतिशत रहा। वहीं केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में देश के बिजली संयंत्रों का पीएलएफ 49.18 प्रतिशत था। ज्यादा पीएलएफ का मतलब यह हुआ कि राज्य की बिजली वितरण कंपनी इस इकाई से ज्यादा बिजली खरीद रही है और हवाएं चलना पहले बंद होने की वजह से पवन ऊर्जा का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

आईटीपीसीएल, आईएलऐंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी की विशेष उद्देश्य इकाई है। यह आईएलऐंडएफएस समूह का हिस्सा है।

समूह के अधिकारियों को अब उम्मीद है कि आईएलऐंडएफएस की इस एसपीवी से कर्ज के पुनर्गठन को सुधारने में मदद मिलेगी। आईएलऐंडएफएस के प्रबंध निदेशक सीएस राजन ने कहा, 'आईटीपीसीएल का पिछले 8 महीने का परिचालन लेखा जोखा की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है।'

आईटीपीसीएल को पिछले 2 वित्तीय वर्षों से घाटा हो रहा था, जो इस समय अंबर श्रेणी में है, जिसका मतलब यह हुआ कि कंपनी सिर्फ अपने परिचालन भुगतान और कर्ज बाध्यताओं भुगतान कर सकती है। राजन ने कहा, 'कर्जदाताओं के साथ सलाह कर हम इसके कर्ज के समाधान की कवायद करेंगे।'

कर्ज के समाधान से कंपनी को ग्रीन श्रेणी में जाने में मदद मिल सकती है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी अपने सभी भुगतान व कर्ज बाध्यताओं को पूरा करने में सक्षम है।

जनवरी 2019 के नोट में इस इकाई के बारे में इक्रा ने कहा था कि संयंत्र का पीएलएफ सुधर रहा है और तमिलनाडु बिजली उत्पादन और वितरण कंपनी (टैनजेडको) की ओर से भुगतान में देरी की वजह से कर्ज का जोखिम भी है। टैनजेडको ने पहली इकाई से 540 मेगावॉट बिजली खरीदने के लिए बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है। एक साल से भी कम समय पहले पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (पीटीसी) ने दूसरी इकाई से 550 मेगावॉट बिजली खरीदने के लिए मध्यावधि समझौता किया था, जिससे पीएलएफ सुधारने में आगे और मदद मिली।

पिछले 8 महीने के दौरान बिजली खरीद में सुधार की वजह से संयंत्र ने नवंबर 2019 में 69 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले महीने इस संयंत्र से हुए बिजली उत्पादन का करीब दोगुना है। पिछले महीने राजस्व बढ़कर 315 करोड़ रुपये हो गया। नवंबर में पीएलएफ 80 प्रतिशत था।

नवंबर 2019 में टैनजेडको और पीटीसी का संयुक्त बकाया 1,400 करोड़ रुपये था। कंपनी इस समय वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान न किए जाने के मसले पर बातचीत कर रही है।

आईटीपीसीएल ने कहा है कि उसने पुनर्गठन योजना के लिए कर्जदाताओं से संपर्क साधा है। कंपनी का कुल सावधि कर्ज 5,557 करोड़ रुपये था। कर्जदाताओं में पंजाब नैशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और एलआईसी शामिल हैं।

आईएलऐंडएफएस तमिलनाडु की स्थिति

- संकट में फंसी आईएलऐंडएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी का पीएलएफ अक्टूबर में 82 प्रतिशत
- वहीं सीईए के मुताबिक देश के अन्य ताप बिजली संयंत्रों का पीएलएफ अक्टूबर में महज 49.18 प्रतिशत
- कमाई बढ़ने के बाद कंपनी ने कर्ज के पुनर्गठन के लिए कर्जदाताओं से संपर्क साधा
- समय से पहले पवन ऊर्जा उत्पादन घटने व पीपीए का मिला लाभ

निर्यातकों को न्यायालय का नोटिस

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत आयातों पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) भुगतान न करने से जुड़े मामलों में निर्यातकों को नोटिस जारी किया है।

यह मामले एडवांस अथराइजेशन स्कीम के तहत वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी लगाने को लेकर राजस्व अधिकारियों की ओर से दायर समीक्षा याचिका से जुड़े हैं। इसमें निर्यातकों को निर्यात करने वाले वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मिली हुई है।

जीएसटी लागू होने के दौर में 13 अक्टूबर 2017 तक छूट को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इस अवधि के दौरान निर्यातकों को आईजीएसटी का भुगतान किए बगैर वस्तुओं को हरी झंडी दिए जाने की अनुमति नहीं थी।

इससे नाराज निर्यातकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की राह पकड़ी। उन्होंने तर्क दिया कि जीएसटी के तहत नया शुल्क लगाए जाने के बावजूद 1 जुलाई 2017 से सीमा अधिसूचना के तहत छूट से इनकार नहीं किया गया था।

न्यायालय ने छूट का लाभ बरकरार रखा और संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे उचित जंच करें कि क्या याचियों ने अग्रिम लाइसेंस के तहत निर्यात बाध्यताएं पूरी की हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

आईजीएसटी भुगतान मामला

इस साल अप्रैल महीने में केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल की। बहरहाल न्यायालय ने एसएलपी खारिज कर दी। उसके बाद सीबीआईसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की। इसके बाद न्यायालय ने निर्यातकों को नोटिस जारी किया है।

खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर और याचियों के वकील अभिषेक रस्तोगी ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि उच्च न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया होती है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने राजस्व विभाग के एलएलपी को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसएलपी से सिर्फ निर्यातकों की समस्या बढ़ेगी। वह भी ऐसी स्थिति में, जबकि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है और भारत को विश्व व्यापार संगठन में निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन योजना को लेकर अमेरिका के मामले में पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है।

'अज्ञात' आयात की जांच के आदेश

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

व्यापार घाटा कम करने की कवायद में सरकार अब भारत के आयात के उस व्यापक सेगमेंट की जांच कर रही है, जिनका उचित तरीके से श्रेणीकरण नहीं किया गया है और उन्हें प्रतिबंधों से मुक्ति मिली हुई है।

हजारों की संख्या में ऐसे आयात होते हैं, जिन्हें कारोबार के आधिकारिक वर्गीकरण में 'अन्य' की श्रेणी में डाला गया है। इमें से कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका कारोबार 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि ऐसे वस्तुओं के आयात के बहुत कम आंकड़े उपलब्ध हैं।

यह मसला इसलिए अहम बन गया क्योंकि वाणिज्य विभाग जांच कर रहा है कि क्या चीनी सामान अन्य देशों को मध्यस्थ बनाकर भारतीय बाजारों में भेजे जा रहे हैं।

इन श्रेणी के तहत कौन से सामान निर्यात किए जा रहे हैं, यह जानने के लिए वाणिज्य विभाग ने राजस्व विभाग से ब्योरा मांगा है कि वह आने वाले शिपमेंट की जानकारी दे। राजस्व विभाग के तहत आने वाला केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात के आंकड़े रखता है जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के माध्यम से भारत आते हैं।

कारोबार किए जाने वाले वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय रूप से मानकीकृत सामंजस्यपूर्ण वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, जिसे शुल्क नामकरण की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था (एचएस) भी कहा जाता है।

इस व्यवस्था में आंकड़ों के वर्गीकरण के अलग अलग स्तर होते हैं, जिन्हें 10,000 से ज्यादा उत्पादों की अलग श्रेणी में रखा गया है। हालांके आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2,433 मामले हैं, जिनका वर्गीकरण अन्य की श्रेणी में किया गया है, या साफ साफ उनका उल्लेख नहीं है।

एचएस टैरिफ नंबर के पहले 6 अंक का इस्तेमाल सार्वभौम रूप से होता है। हर देश अपने शुल्लक और सांख्यिकी जरूरतों के मुताबिक उसके बाद 6 और अंक जोड़ सकते हैं।

भारत अभी 8 अंकों के स्तर पर बना हुआ है। वहीं तमाम निर्यातक देशों ने ज्यादा ब्योरे के साथ उच्च स्तर का कारोबारी वर्गीकरण कर रखा है।

तुर्की 12 अंक के एचएस कोड प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा और चीन के मानकीकृत 10 अंकों के कोड हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'व्यापार वर्गीकरण सूची के विस्तार की बात होती रही है, जिसमें ज्यादा ब्योरा हो। निस्संदेह इससे कारोबारी प्रवाह जानने में मदद मिलेगी और बेहतर व तेजी से नीतिगत फैसले करने में मदद मिलेगी, जिससे डंपिंग जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।'

भारत का 2018-19 में आयात 514 अरब डॉलर रहा है, जो पहले के साल की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा है। आयात को लेकर डर के कारण पिछले साल नीति निर्माताओं ने आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क 6 बार बढ़ाए। इसके बाद इस साल की शुरुआत में अमेरिका से होने वाले 29 महंगे कृषि आयातों पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई।

आयात घटाने की कवायद में सरकार

- हजारों ऐसे आयात होते हैं, जो कारोबार के आधिकारिक वर्गीकरण में 'अन्य' की श्रेणी में
- राजस्व विभाग मुहैया कराएगा इनके बारे में विस्तृत ब्योरा
- भारत का 2018-19 में कुल आयात 514 अरब डॉलर, पहले के साल से 11 प्रतिशत ज्यादा
- वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक का इस्तेमाल

बीएस सूडोकू 3607

	8				9	7		
6					3			
1				5			9	4
7			2			3		
4			9		1			7
		8			5			9
2	5			6				3
			3					8
		6	5				7	

परिणाम संख्या 3606

2	3	8	9	4	1	5	7	6
1	5	4	6	7	8	2	3	9
6	9	7	2	5	3	8	1	4
5	7	1	3	9	6	4	2	8
8	4	3	7	2	5	6	9	1
9	2	6	8	1	4	3	5	7
7	8	9	5	6	2	1	4	3
4	6	2	1	3	7	9	8	5
3	1	5	4	8	9	7	6	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★★★☆☆

सेफगार्ड ड्यूटी से भारत के सौर लक्ष्य पर पड़ा असर

श्रेय जय और शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 8 दिसंबर

पिछले वर्ष आयातित सौर पैनलों पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने से चालू वर्ष में भारत के सौर बिजली परियोजना आवंटन सुस्त पड़ गया। इन परियोजनाओं पर पड़ रहे अनिश्चितता के बादल को देखते हुए परियोजना डेवलपरों ने सौर पैनलों की खरीदारी रोक दी जिससे घरेलू उद्योग को और अधिक नुकसान पहुंचा है। आयातों में भी कमी आने के कारण इस साल निविदा क्षमता के लक्ष्य को पाने में चूक हो सकती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2018-19 के लिए निविदा लक्ष्य 30,000 मेगावॉट निर्धारित किया था। अभी तक कुल 26,000 मेगावॉट के लिए ही निविदा चल रही है और इनमें से कोई भी अब तक बंद नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बोली कम आ रही है क्योंकि बहुत से परियोजना डेवलपर निविदा से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा, 'केवल बड़ी निविदाओं में ही कुछ ने रुचि दिखाई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल निविदा प्रक्रिया सुस्त रही।'

परियोजना डेवलपरों की ओर से परियोजनाओं में कटौती किए जाने के साथ ही पैनल निर्माताओं की ओर से भी समस्या आ रही है। एक अग्रणी सौर निर्माता कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सौर गतिविधि में आई सुस्ती में सेफगार्ड ड्यूटी की बड़ी भूमिका रही।

अधिकारी ने कहा, 'इस साल जून तक किसी ने भी पैनलों की खरीद नहीं की क्योंकि वे आयातों पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने से खरीद की बढ़ी लागत को उनपर नहीं डाले जाने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब वे सेफगार्ड ड्यूटी हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सौर पैनलों की खरीद में हुई देरी का असर समूचे सौर लक्ष्य पर दिखाई पड़ रहा है। इस साल के लिए आवंटित परियोजनाओं में 5-10 गीगावॉट की कमी आई है।'

2018 में भारत सरकार ने सौर सेलों और मॉड्यूल पर दो साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी। इसे पहले वर्ष के लिए 25 फीसदी, उसके बाद छह महीने के लिए 20 फीसदी और बाकी बचे समय के लिए 15 फीसदी तय किया था। उद्योग ने एक अलग याचिका दायर कर सरकार को शुल्क दो साल से आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।

इस शुल्क को लगाने से विशेष तौर पर चीन से होने वाले आयातों पर असर हुआ क्योंकि भारत के सौर क्षमता का 85 फीसदी से अधिक चीन के पैनलों पर तैयार किया जाता है। विगत डेढ़ वर्षों में सौर सेलों और मॉड्यूलों के आयात में भारी कमी आई है। अनुमानतः 2018-19 में 2.15 अरब डॉलर के सेलों का आयात किया गया था जो चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक घटकर 1.26 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। 2017-18 में सेल का आयात बढ़कर 3.83 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।

घरेलू सौर निर्माता उद्योग ने एक याचिका में अब केंद्र से शुल्क को दो वर्ष से आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। उक्त कर्मचारी ने कहा, 'आयात रुकने नहीं जा रहा है। और अधिक शुल्क लगाए, जाने से केवल इस क्षेत्र की वृद्धि में ही देरी होगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 251

जीएसटी में सुधार

ऐसी खबरें हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद, जिसमें राज्यों और केंद्र के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और जो जीएसटी की निगरानी करती है, वह अप्रत्यक्ष कर ढांचे की समीक्षा करने पर विचार कर रही है।

खासतौर पर जैसा कि इस समाचार पत्र ने लिखा भी था कि 5 फीसदी की दर को बढ़ाकर 6 फीसदी किया जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे कर का प्रभाव बढ़ेगा। फिलहाल यह 1.2 लाख करोड़ मासिक के तय लक्ष्य से काफी कम है। परंतु निचली कर दर में मामूली इजाफा करके इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 फीसदी की दर कुल जीएसटी संग्रह का केवल 5 फीसदी ही है। परिषद का इरादा समझा जा सकता है लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इससे बहुत मामूली फर्क पड़ेगा।

जीएसटी को यदि व्यापक मंदी से जोड़कर देखें तो इसने राजकोषीय संकट को भड़काया है और उससे बेहद सावधानीपूर्वक निपटना होगा। हालांकि राजस्व में काफी कमी रह जाने की उम्मीद है लेकिन फिलहाल अप्रत्यक्ष कर दर में इजाफा अर्थव्यवस्था के माहौल को और उदासीन कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों को आश्वस्त किया है कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने का सिलसिला जारी रहेगा। जीएसटी राजस्व यदि सालाना 14 फीसदी की दर से नहीं बढ़ता है तो केंद्र सरकार कानूनी रूप राज्यों को हर्जाना देने के लिए बाध्य है। चूंकि फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है और केंद्र भी भुगतान नहीं कर रहा है इसलिए हर्जाने का बकाया बढ़ता जा रहा है। यदि राज्यों को हजारों करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया गया तो उन्हें मजबूरन उधार लेना होगा, इससे सरकार का घाटा और बढ़ेगा तथा निजी क्षेत्र की वृद्धि और निवेश के लिए उपलब्ध फंड में और कमी आएगी। सरकार जीएसटी के बाद क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाती है। यह राज्यों को किए जाने वाले भुगतान के लिए है लेकिन इस तरीके से भी जरूरत से कम राशि ही आ रही है। खबरों के मुताबिक क्षतिपूर्ति उपकर में इजाफे पर भी विचार किया जा रहा है।

कई लोगों ने जहां प्रस्तुति के वक्त इस खामीयुक्त जीएसटी का स्वागत किया था लेकिन यह स्वीकृति सशर्त थी और कहा गया था कि इसे आदर्श और किफायती बनाने तक इसमें संशोधन किए जाएंगे। इसे तार्किक और सहज बनाने का काम अब और अधिक नहीं टाला जा सकता है।

ऐसे में यह आवश्यक है कि अब मामूली छेड़छाड़ के बजाय जीएसटी में गहन सुधार पर विचार किया जाए। इसके साथ ही सरकार की राजकोषीय स्थिति पर भी करीबी नजर डालने की आवश्यकता है। कहीं अधिक बुनियादी समस्याओं को भी दूर किए जाने की आवश्यकता है। यह भी संभव है कि समुचित इनवॉइस मिलान व्यवस्था के अभाव में कर वंचना के मामले बढ़ रहे हों। यदि ऐसा है तो मंदी के दौर में आंख मूंदकर इनवॉइस मिलान का क्रियान्वयन भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए, कि इससे लेनदेन की लागत में इजाफा हो सकता है। जीएसटी परिषद को बुनियादी चीजों पर काम करते हुए यह समझना होगा कि जीएसटी के पीछे आर्थिक समझ यह है कि यह कर चुकाना इतना आसान बना देगा कि वंचना के मामले कम हो जाएंगे। इसके लिए सहज, स्पष्ट और पारदर्शी कर व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

आदर्श रूप में यह एकल दर होनी चाहिए। कम से कम अब सभी कर दरों को तार्किक बनाने पर काम शुरू होना चाहिए। इसके अलावा अब जबकि जीएसटी संग्रह को लेकर पर्याप्त आंकड़े हैं तो इस बात का समुचित अध्ययन होना चाहिए कि राजस्व निरपेक्ष दर आखिर क्या हो?

अजय मोहंती

सीएबी-एनआरसी का लक्ष्य बांटो और जीतो

सीएबी और एनआरसी का विचार शुरुआत से ही एक नाकाम विचार है। परंतु भाजपा के लिए यह अगला राम मंदिर है जिसका वह इस्तेमाल करेगी।

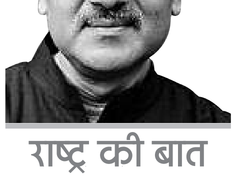

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

सात दशकों से पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान एक ही राग अलाप रहा है: 'कश्मीर विभाजन का एक अधूरा मसला है। उसे हल करने के बाद भारत और पाकिस्तान मित्रवत रह सकते हैं। ठीक कनाडा और अमेरिका की तरह।'

भारत भी इसका जवाब एक ही सुर में देता आया है: 'विभाजन अंतिम हो और हो चुका है। कोई मूर्ख या आत्मघाती प्रतिशोधी ही उस घाव को दोबारा खोलना चाहेगा।'

अब भारत के हिस्से की पटकथा बदल रही है। बीते कई दिनों के दौरान हमने नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 (सीएबी) के समर्थकों को विभाजन की बात करते सुना। वे अधूरा मसला जैसी बातें नहीं करते लेकिन वे पूर्ण न्याय, निपटारे तथा गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को न्याय की बात करते हैं। उनका कहना है कि सीएबी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से वादा निभाने का जरिया है। वह वादा क्या था, इस पर बहस हो सकती है। इसमें दोराय नहीं कि पहले पाकिस्तान की परिकल्पना की गई, उसके लिए लड़ाई लड़ी गई और उपमहाद्वीप के मुस्लिमों के लिए, उसे घर के रूप में हासिल किया गया। परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि भारत उनका घर नहीं रहेगा।

यह भी सही है कि धार्मिक आधार पर एक बड़ी आबादी की अदला-बदली हुई। इस दौरान खूनखराबा और बलात्कार भी हुए। पश्चिमी इलाके में यह लेनदेन कुछ वर्षों में पूरा हो गया। भारतीय पंजाब में बहुत कम मुस्लिम और पाकिस्तानी पंजाब में बहुत कम हिंदू या सिख बचे। कुछ मामले सन 1960 के दशक के मध्य तक चले। मसलन क्रिकेटर आसिफ इकबाल जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बने, वह सन 1961 में वहां गए। तब तक वह हैदराबाद की टीम से खेलते थे, जिसके कप्तान बाद में टाइगर पटौदी बने। सन 1965 की जंग के बाद लोगों की आवाजाही में क्षणिक तेजी आई और समाप्त हो गई।

परंतु पूर्व में मामला अलग था। इसकी कई जटिल वजह थीं। पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में आबादी की अदला-बदली जल्दी समाप्त नहीं होने वाली थी। बंगाली मुस्लिम बड़ी तादाद में भारत में रह गए और पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) के हिंदू वहीं बने रहे। लेकिन दंगे और लोगों की यदाकदा आवाजाही चलती रही। सन 1950 में इसे रोकने के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे नेहरू-लियाकत समझौता कहा जाता है। इस समझौते के पांच अहम स्तंभ थे:

1. दोनों देशों ने यह प्रतिबद्धता जताई कि वे न केवल अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी, राजनीति और सशस्त्र बलों में सभी अधिकार और आजादी देंगे।
2. जो लोग दंगों के कारण अस्थायी रूप से विस्थापित हुए और अपने घर लौटना चाहते हैं उन्हें पूरी सुविधा और संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
3. जो अपने घर लौटना नहीं चाहते उन्हें किसी भी अन्य प्रवासी की तरह नागरिक स्वीकार किया जाएगा।
4. इस बीच दोनों पक्षों में उन लोगों को पूरी आजादी होगी जो अभी भी दूसरी ओर जाना चाहते हैं। उन्हें पूरी सहायता और संरक्षण दिया जाएगा।
5. दोनों पक्ष कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के गंभीर प्रयास करेंगे ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें।

इसके बाद ही भारत ने सन 1951 में पहला (और अब तक अंतिम) राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) बनाया। सीएबी की बहस में हम अक्सर भाजपा नेताओं को नेहरू-लियाकत समझौते का जिक्र करते सुनते हैं। वे कहते हैं कि भारत ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई लेकिन पाकिस्तान ने नहीं। इस पर बहस करना कठिन है। आबादी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मुस्लिमों की कुल आबादी बढ़ी है। यह बढ़ोतरी हिंदुओं और सिखों की वृद्धि दर से भी तेज रही है। जबकि पाकिस्तान वाले हिस्सों में अल्पसंख्यकों की आबादी तेजी से घटी। माना जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ना और भारत में बसना जारी रखा।

यही कारण है कि भाजपा सीएबी को विभाजन के अधूरे एजेंडे का जवाब बताती है। उसका कहना है कि पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत समझौते में अपना वादा नहीं निभाया और इसलिए भारत उन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का स्वाभाविक घर बनता गया। उधर, इस्लामिक देशों में मुस्लिमों के प्रताड़ित महसूस करने की कोई वजह नहीं है।

यहां जटिलताओं की शुरुआत होती है: पहली बात, भारत के संस्थापक अपने धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत की तरह ढालना नहीं चाहते थे। दूसरा, पुराना इतिहास किस बिंदु पर समाप्त होता है नया शुरू होता है? तीसरी बात यह कि क्या 'राष्ट्रीय' और 'स्थानीय' एक दूसरे के पर्याय हैं? क्या 'धर्म' को 'जातीयता' और 'भाषा' का पर्याय माना जा सकता है?

चूंकि हमने नये और पुराने इतिहास पर सवाल उठाए हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ दशक पीछे जाकर पूर्वी इलाके, खासकर असम में हुए स्थानांतरण की प्रकृति और जटिलता को समझें।

असम की आबादी घनी नहीं थी और वहां प्रचुर मात्रा में उर्वर जमीन और जल संसाधन मौजूद थे। इसके कारण 20वीं सदी के आरंभ में पूर्वी बंगाल से बड़ी तादाद में लोग यहां आकर बसे। इनमें से अधिकांश आर्थिक कारणों से जमीन और आजीविका की तलाश में आए। इसके लिए 'घुसपैठ' शब्द का पहला प्रयोग सन 1931 में असम के जनगणना कार्य के ब्रिटिश अधीक्षक सी एस मुल्लन ने किया था।

मुल्लन ने लिखा, 'इस प्रांत में बीते 25 वर्षों की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना जो समूचे असम के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है और असमिया सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर सकती है वह है जमीन के भूखे प्रवासियों की घुसपैठ, इनमें ज्यादातर पूर्वी बंगाल और खासकर मेमनसिंह से आए मुस्लिम।' उन्होंने इसका भयानक चित्रण करते हुए लिखा, 'जहां कंकाल पड़ा होगा वहां गिद्ध जुट जाएंगे और जहां कहीं भी खाली जमीन होगी वहां मेमनसिंह वाले एकत्रित हो जाएंगे।' असम के लोगों की भाषाई और जातीय चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है।

यदि असम में मुस्लिमों का आर्थिक देशांतर बहुत पहले मुद्दा बन गया था, वहीं विभाजन के बाद हिंदू भी इसमें शामिल हो गए। सन 1947 के पहले आए मुस्लिम यहीं टिक गए और इसके बाद प्रताड़ित हिंदुओं के झुंड के झुंड यहां आए और पूरे क्षेत्र का जातीय संतुलन बदल गया।

यही समस्या का मूल है और इसके चलते ही सीएबी असम की चिंताओं का उत्तर देने मे नाकाम है। वहां असली चिंता धार्मिक नहीं बल्कि जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक है। आरएसएस और भाजपा ने बीते तीन दशक में इसे बदलने का प्रयास किया है। मैंने इस बारे में लिखा भी है। ज्यादातर मुस्लिम प्रवासी पुराने और विभाजन के पहले के हैं, उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बंगाली हिंदू वहां सबसे नये हैं। यही कारण है कि जिन 19 लाख लोगों को एनआरसी में छांटा गया उनमें 60 फीसदी हिंदू गैर मुस्लिम हैं।

यहां भाजपा के समक्ष भीषण विरोधाभास है। यदि वह इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के समझौते के मुताबिक 25 मार्च, 1971 को कटऑफ मानती है तो मुस्लिमों से अधिक हिंदू इसमें फंसेंगे। यदि सरकार इससे पीछे जाना चाहती है तो कितना पीछे जाएगी?

भाजपा ने इसे अद्यतन सीएबी से हल करने का प्रयास किया है। असम के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। छठी अनुसूची में जनजातीय राज्यों और असम के जिलों को संरक्षण देने की बात शामिल है लेकिन उसके चलते असम के स्थानीय लोगों को और अधिक बंगाली हिंदुओं को स्वीकार करना होगा। सामान्य परिस्थितियों में हम यहां भाजपा के लिए सर वॉल्टर स्कॉट की उक्ति का प्रयोग कर सकते थे: 'ओह! धोखा देने के पहले प्रयास में हम कितना महीन जाल बुनते हैं!' परंतु भाजपा यह भी जानती है कि सीएबी को नई देशव्यापी एनआरसी प्रक्रिया से जोड़कर देखें तो यह यह एकदम विफल विचार है। जहां यह लागू भी है वहां यह एक विभाजनकारी, ध्रुवीकरण करने वाला विचार है। इसके विरोधियों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है और इस पर 'मुस्लिम तुष्टिकरण' का आरोप लग सकता है। यह अगले तीन दशकों के लिए अनुच्छेद 370 या राम मंदिर जैसा मुद्दा बन सकता है।

भारतीय कॉर्पोरेट जगत मुखर होने से हमेशा करता रहा है परहेज

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

राहुल बजाज की टिप्पणी के बाद उथल-पुथल सी मच गई है। पिछले दिनों बजाज ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत का उद्योग जगत सरकार की आलोचना करने से डरता है। इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और सबसे अपरिपक्व बयान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से आए हैं। इन मंत्रियों ने बजाज पर अनर्गल बातें करने और मोदी सरकार के दामन पर कीचड़ उछालने का आरोप लगाया। एक मंत्री ने कहा कि ऐसे बयानों से राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने तो बजाज को 'उनकी राजनीतिक निष्ठा खुलकर प्रकट करने और भय तथा अविश्वास जैसे शब्दों की ढाल उतारने की नसीहत थमा दी।' सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं की कटु प्रतिक्रियाओं की एक वजह यह थी कि बजाज ने यह बात अमित शाह जैसे ताकतवर नेता की उपस्थिति में कही थी। दूसरी तरफ स्वयं शाह की प्रतिक्रिया काफी सधी रही और इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।

निष्ठा का प्रदर्शन अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका प्रकटीकरण सदैव जरूरी होता है। अगर बजाज के बयान के बाद थोड़ी भी सूझबूझ का परिचय दिया गया होता तो सरकार के मंत्री और भाजपा नेता यह बखूबी समझ जाते कि भारत में हरेक सरकार को ऐसे सख्त या मिथ्या आरोपों से रूबरू होना पड़ा है। इस पूरे मामले पर हड़बड़ाहट में प्रतिक्रियाएं देने से पहले उन्हें आपस में इस बात पर विचार करना चाहिए था कि देश में उद्योग एवं अफसरशाही में किस तरह सुधार किए जा सकते हैं। वैसे भी यह सरकार दूसरी सरकारों से अपनी छवि अलग होने का दावा करती रही है। दूसरी तरफ अगर बजाज अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो वह यह महसूस करेंगे कि देश में भय का माहौल या विश्वास का अभाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से देश का उद्योग जगत तत्कालीन सरकारों की आलोचना करने की जहमत नहीं उठा पाया है, इसलिए केवल मौजूदा सरकार पर दोष मढ़ना शायद तर्कसंगत नहीं माना जाएगा। राजीव गांधी सरकार में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे तो तब क्या हालत थी। कालेधन का पता लगाने के लिए सिंह ने उस समय देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के खिलाफ जांच एवं छापेमारी करने के आदेश दिए थे। जांच एजेंसियों के कर्मी उस समय एक दिग्गज उद्योगपति एस एल किर्लोस्कर के घर आधी रात पहुंच गए। यह बरताव कुछ ऐसा ही था जैसा तुच्छ अपराधियों के खिलाफ होता है। उस समय देश के उद्योग जगत में सरकार के विद्रोह के खिलाफ आवाज उठाने वाला शायद ही कोई था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अगले दिन कहा कि 'देश में आर्थिक भागीदारों के बीच भय एवं भरोसे की कमी से आर्थिक विकास थम गया है।' यह वक्तव्य सही हो सकता है, लेकिन यही आरोप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर भी लगाए जा सकते हैं। बजाज उस समय भी अपनी आवाज उठा सकते थे, लेकिन उद्योग जगत के ज्यादातर लोग परोक्ष में ही कानाफूसी करते रहे और कोई भी बात अपनी बात दमदार तरीके से रखने के लिए आगे नहीं आया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों को कई बार सर्वोच्च न्यायालय की फटकार झेलनी पड़ी है। इन एजेंसियों पर अक्सर सत्ता में मौजूद लोगों के इशारों पर काम करना या अपना कार्य के निष्पादन में गंभीरता नहीं बरतने के आरोप लगते रहे हैं। एक के बाद एक सरकारों पर अपने राजनीतिक विरोधियों एवं कुछ मामलों में अपने सहयोगियों, कुछ खास अधिकारियों एवं उद्योगपतियों को जान बूझ कर परेशान किए जाने के आरोप लगते रहे हैं।

एक बार राज्यसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा था कि कानून निर्माताओं, सीबीआई और विधि अधिकारियों के आपसी संबंध संप्रग सरकार के दौरान न्याय के लिए एक त्रासदी साबित हुआ है। जब वाई एस राजशेखर रेड्डी का कांग्रेस में रुतबा था तो सीबीआई ने उनके भ्रष्टाचार के बाद भी आंखें मूंद ली। इसके बाद वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से जब नाता तोड़ा तो सरकार ने सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। इसके बाद हुई एक घटना ने तो एक बार फिर बहस छेड़ दी। सीबीआई ने विदेश से अवैध रूप में कार आयात करने के मामले में द्रमुक नेता एम के स्टालिन के घर छापा मारा था। यह छापेमारी तब हुई जब द्रमुक संप्रग सरकार से बाहर हो गई थी।

आखिरकार संप्रग सरकार के कार्यकाल में ही सीबीआई पर 'पिंजरे का तोता' होने का तमगा लगा था। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति बी एम लोढ़ा ने कोयला खदान आवंटन मामले की जांच में सीबीआई के कामकाज में दखल देने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री की जमकर खिंचाई की। न्यायालय ने पाया कि सीबीआई की रिपोर्ट में मुख्य बातें पलट दी थीं, जो सीधे तौर पर सरकार को राहत पहुंचा रही थीं। न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

नैतिकता का राग अलापने वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में सीबीआई ने कोयला खदान आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और कम से कम दो पूर्व कोयला सचिवों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व प्रमुख सी बी भावे को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब एमसीएक्स ने कहा कि वह स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए एमसीएक्स का आवेदन मंजूर करने के मामले में उनकी (भावे) भूमिका की जांच कर रहा है। सीबीआई ने 2006 से 2009 के बीच कोयला सचिव रहे एच सी गुप्ता के खिलाफ भी जांच शुरू की थी। गुप्ता बाद में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के सदस्य बन गए। सीबीआई को उनकी जांच के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय से अनुमति मांगनी पड़ी। गुप्ता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह परंपरा जारी है। हालांकि अपनी बात रखने वाले या किसी विषय पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इससे इतर राह पर चलकर ही स्वच्छ सरकार एवं प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

कानाफूसी

कौन बनेगा विदेश सचिव?

देश का अगला विदेश सचिव कौन होगा? विजय गोखले ने तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर की सेवानिवृत्ति के बाद 28 जनवरी, 2018 को दो वर्ष की तय अवधि के लिए यह पद संभाला था। जयशंकर राजनीति में चले गए और विदेश मंत्री बन गए। बहरहाल गोखले का कार्यकाल जनवरी 2020 के आखिर में समाप्त हो रहा है। उनके बाद इस पद के तीन दावेदार हैं लेकिन सबसे तगड़े दावेदार अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन शृंगला हैं। उन्हें जयशंकर का करीबी माना जाता है लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वह शायद अमेरिका में रहें क्योंकि वह अमेरिका के साथ अंतरिम मुक्त व्यापार संधि पर चर्चा में शमिल हैं। दूसरे प्रत्याशी हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन। परंतु वह सन 1985 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं और उन्हें अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त होना है। तीसरी प्रत्याशी रुचि घनश्याम 1982 बैच की हैं लेकिन उन्हें भी 2020 में ही सेवानिवृत्त होना है। शृंगला हालांकि 1984 बैच के हैं लेकिन वह सन 2022 में सेवानिवृत्त होंगे। अकबरुद्दीन दोनों के कनिष्ठ हैं। बहरहाल यदि अकबरुद्दीन को विदेश सचिव बनाया गया तो दो अन्य अधिकारियों टीएस तिरुमूर्ति (आर्थिक मामलों के सचिव) और विजय ठाकुर सिंह (सचिव-पूर्व) का समायोजन करना होगा क्योंकि दोनों अकबरुद्दीन से वरिष्ठ हैं।

आपका पक्ष

औषधीय पौधों का संरक्षण आवश्यक

समय के साथ तेजी से बदलती जीवन शैली मानव शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। फास्ट फूड संस्कृति के प्रचलन के कारण लोगों के शरीर में आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी होती जाती है। इस वजह से शरीर की आवश्यक रोग प्रतिरोधक क्षमता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यही कारण है कीटनाशकों की अधिकता के माध्यम से उगी सब्जियों एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के कुप्रभावों से लोग आसानी से रोग के शिकार हो रहे हैं। ऐसे विपरीत वातावरण में निरोग रहना सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इन सबके बीच राहत देने वाला तथ्य यह है कि शरीर को मजबूत प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार के टॉक्सिन के प्रभाव से मुक्त करने के उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध है। आयुर्वेद में बहुत से औषधीय पौधों की उपयोगिता एवं प्रमाणिकता प्रयोगों द्वारा सिद्ध जा चुकी है। साधारण बुखार एवं जुकाम से लेकर पथरी, हृदयरोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने की असाधारण क्षमता रखने वाली औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकतर औषधीय पौधे हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। इन पौधों का लाभ प्राप्त करने के लिए इन्हें योजनाबद्ध तरीके से उगाने की आवश्यकता होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में संस्थागत रूप से हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। जहां के परिसर में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे जैसे गिलोय(गुरुद), एलोविरा, नागकेसर, शतावर, मरोड़फल्ली, अर्जुन (कहुआ), बेल, नीम, भुई नीम, हर्रा, बहेरा, बबूल मुसली, तेज पत्ता, कियोकंद, भुई आंवला, काली हल्दी, हड़जोड़, पुनर्नवा, प्राचीन आंवला और तेज बल के पौधों का रोपण किया जाता है। उगाए गए पादपों की श्रृंखला में कुछ दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी सम्मिलित होते हैं। अर्जुन वृक्ष की छाल हृदय रोग के उपचार में काम आती है। हर्रा खांसी फोड़े जैसी व्याधियों में काम आता है। बहेरा बाल झड़ने को रोकने में सहायक है। हड़जोड़ का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। गिलोय, पीलिया के उपचार में व बबूल की छाल कान प्रयोग दांत दर्द के उपचार में किया जाता है। भुई नीम सामान्य ज्वर के साथ साथ मलेरिया के उपचार में कारगर सिद्ध होता है। इसी प्रकार सभी पौधे विलक्षण गुण रखते हैं। पौधों को अलग-अलग गमलों सहित मानक अनुरूप दूरी बनाकर क्यारियों में उगाया जाना चाहिए। पौधे समय के साथ रोगरहित विकसित हों इसके लिए, प्रशिक्षित एवं जानकर मालियों द्वारा पौधों की सतत निगरानी की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी औषधीय पौधों को उगाया जा सकता है। इसके लिए, घर के आंगन व बाड़ी सहित पक्के मकानों की छत उचित स्थान होते हैं। औषधीय पौधों के महत्त्व एवं उपयोगिता को देखते हुए आम लोगों को इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए।

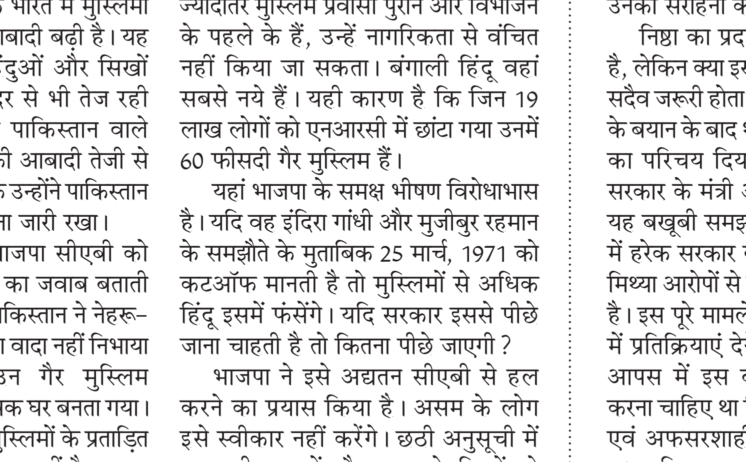

औषधीय पौधों की गुणवत्ता को देखते हुए आम लोगों को भी इसे अपनी जीवनशैली में शामिल करना चाहिए

ऋषभ देव पांडेय, जांजगीर चांपा

बिजली पर निर्भर हमारी आधुनिक जीवनशैली

मनुष्य का जीवन बिजली पर निर्भर हो गया है। दैनिक जीवन में बिजली एक जरूरी चीज बन गई है जिसके बिना कोई भी कार्य अधूरा रहता है। घर, कार्यालय, यातायात सब बिजली पर निर्भर है। टीवी से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर हर जगह काम करने में बिजली की जरूरत है। बिजली नहीं तो काम, परिवहन, संचार सभी ठप पड़ जाता है। दैनिक जीवन के लिए बिजली की खपत अधिक है लेकिन देश में इसका उत्पादन कम होता है। आज बिजली की अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। इसका रखरखाव एवं सही वितरण करने की जरूरत है। हम प्राकृतिक ऊर्जा जैसे हवा या सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बिजली, पेट्रोल, गैस और अन्य ऐसे ईंधन जो हमें बहुत मुश्किल से एवं पैसा व्यय करके मिलता है उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अत: बिजली के सही उत्पादन एवं उपभोग की आवश्यकता है। बेवजह हम रोशनी न जलाएं, पंखा न चलाएं। इस तरह हम काफी बिजली बचा सकते हैं। आज का युग सचमुच बिजली से चलता है।

हरिओम हंसराज, छपरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं: संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं: lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

दरों में उचित वृद्धि जरूरी, मगर सुविधाएं भी मिलें पूरी

अजय मोहंती

उपभोक्ताओं का हित देखे सरकार

रिलायंस जियो के पदार्पण ने पहले से स्थापित दूरसंचार कंपनियों पर संकट के बादल गहरा दिए थे क्योंकि जियो ने सेवा की दरें काफी कम रखी थीं। इससे अन्य कंपनियों के ग्राहक जियो की ओर चले गए और दूसरी कंपनियों को भी मजबूरी में कॉल दरें कम करनी पड़ीं। इसके बाद घाटा तथा कर्ज बढ़ने के कारण सभी कंपनियों ने अपने मोबाइल प्लान इसी महीने 50 फीसदी तक बढ़ा दिए, जिससे आर्थिक सुस्ती, बेरोगारी, महंगाई से परेशान ग्राहकों की दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। कारोबारी प्रतिस्पर्द्धा में वजूद बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डालना समझदारी नहीं है। मगर सरकार भी चुप है।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

माली हालत सुधारने के लिए जरूरी

मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों में बाजार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लपकने की होड़ मची है। रिलायंस जियो ने जिस तरह दूसरी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों का बाजार हिलाया है, उसकी वजह से ही कॉल दरों में इजाफा किया गया है। यह जरूरी था क्योंकि आज मोबाइल फोन खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसका कारण सस्ती कॉल दरें और इंटरनेट सेवा हैं। अगर मोबाइल फोन सेवाओं को महंगा कर दिया जाए तो कंपनियों की माली हालत सुधर जाएगी व अपरिपक्व ग्राहकों पर भी लगाम लगेगी।

डॉ रसिकेश
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

सतर्क बनें ग्राहक, सजग रहें कंपनियां

जियो ने दूरसंचार बाजार में प्रवेश कर तहलका मचा दिया और भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत पूरे उद्योग को हिला दिया। शुरू में तो कंपनियां घाटा झेलकर ग्राहक बटोरती रहीं, लेकिन लोगों को लत लगाने के बाद उन्होंने मासिक प्लान शुरू कर दिए। डिजिटल क्रांति लाने वाली जियो आज अलग-अलग प्लान ले आई है, जिससे दूसरी कंपनियों को भी अपने प्लान बदलने पड़े हैं। चतुर ग्राहक एक जगह नहीं टिकते, बेहतर सेवा मिलते ही वहां चले जाते हैं। अब उन्हें कॉल दरों में इजाफे के संदर्भ में सतर्क रहना पड़ेगा। लुभावने ऑफर के नाम पर सालाना कमाई करने वाली कंपनी को नकारकर ज्यादा से ज्यादा तीन महीने का ही प्लान लें क्योंकि कंपनियां किसी भी समय नीति बदल सकती हैं और सेवाएं सस्ती कर सकती हैं। दूरसंचार कंपनियों को भी नेटवर्क पर ध्यान देना होगा।

सिद्धांत सेठी
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

उपभोक्ताओं पर बोझ है इजाफा

देश की प्रमुख मोबाइल सेवा कंपनियों द्वारा काल दरों में बढ़ोतरी सीधा सीधा उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार है, जिसे उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। इन कंपनियों में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। सभी दूरसंचार कंपनियों ने वर्ष 2013 से वर्ष 2016 की अवधि के बीच मुफ्त इनकमिंग सेवा का वादा किया था। लेकिन वर्ष 2019 में 35 रुपये महीने का शुल्क उपभोक्ताओं से लिया जाने लगा है। दूरसंचार कंपनियों ने जियो के आने से पहले उपभोक्ताओं को खूब लूटा। अब भी अन्य नेटवर्क पर कॉल के रूप में जियो से शुल्क लेकर भड़ास निकाली है और कमाई भी की है। इसलिए कॉल दरों में इफाजा मात्र उस कहावत का व्यावसायिक रूप है 'खान पीन ने बंदर, डंडे खान ने रीछ'।

ईश्वर सिंह
ई-मेल से

कंपनियों का फायदा, समाज का भला

जियो ने कॉल और डेटा सेवाएं बेहद सस्ती दर पर देकर देश भर में अपना जाल फैला लिया, लेकिन पहले से चल रही कंपनियां भी सेवाएं सस्ती करने पर मजबूर हुईं। इसका फायदा ग्राहकों को मिला, लेकिन न्यायालय के फरमान के मुताबिक तय जुर्माने और ब्याज की राशि ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों को हिलाकर रख दिया। कंपनियों ने केंद्र से गुहार लगाने के बाद दो साल में रकम जमा करने की मोहलत पाई और घाटे की भरपाई के लिए कॉल दरें भी बढ़ा दीं, जिससे सस्ती दरों का दौर थम गया। इससे कंपनियों को फायदा होगा और समाज में इंटरनेट के उपयोग से बढ़ती विसंगतियां भी कम होंगी। दूरसंचार कंपनियों के कारण मृतप्राय सरकारी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा।

दिनेश गुप्ता
पिलखुवा, उत्तर प्रदेश

जरूरी नहीं कॉल दरों में इजाफा

दूरसंचार कंपनियों ने घाटे का हवाला देकर कॉल दरों में भारी वृद्धि कर दी है। दूरसंचार कंपनियां अपनी नीतियों और योजनाओं के कारण घाटा झेलती हैं तो ग्राहक जिम्मेदार क्यों? रिलायंस की दूरसंचार कंपनी जियो को इतना घाटा क्यों नहीं हुआ, जब वह दूसरी कंपनियों से भी सस्ती सेवाएं दे रही थी? घाटे की पूर्ति के लिए कॉल दरें बढ़ाने की इन कंपनियों की पहल पर सरकार की सहमति भी उचित नहीं है। सरकार को संवेदना के साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। घाटा दूर करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें उपभोक्ता के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए।

एम राज राकेश
अलवर, राजस्थान

इजाफा उपभोक्ताओं के साथ छलावा

अपनी सेवाओं में सुधार लाने के बहाने एयरटेल, वोडाफोन आइडिया व जियो उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाल रही हैं, जबकि उपभोक्ताओं को नेटवर्क समस्या, कॉल ड्राप, कॉल म्यूट की समस्याओं में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ये कंपनियां 4जी के पैसे लेकर 3जी सेवाएं दे रही हैं, इंटरनेट की रफ्तार भी नहीं बढ़ा रही हैं। कॉल दरों में 40-50 फीसदी इजाफा कर उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति है। कंपनियां कह रही हैं कि अभी तक ग्राहकों से जो शुल्क वसूला जा रहा था, उससे उन्हें करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा था। यह गणित आम आदमी को समझ नहीं आ रहा। 10-20 फीसदी शुल्क बढ़ना तो ठीक है, लेकिन इतनी अधिक वृद्धि महंगाई से जूझ रहे ग्राहक के साथ छलावा है। लिहाजा सरकार हस्तक्षेप करे।

हरमोहन नीमा
इंदौर, मध्य प्रदेश

कंपनियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति

दूरसंचार क्षेत्र में दरों का बढ़ना सामान्य तौर पर हमको गलत ही लगता है, लेकिन यह बढ़ोतरी आवश्यक थी। इससे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी और उनका वजूद भी बचा रहेगा। इन कंपनियों को अपना घाटा कम करने में मदद होगी और उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक राशि सरकार को देने के बाद भी उनकी माली हालत ठीक रहेगी। इस विषय पर वोडाफोन के सीईओ निक रीड की चिंता सही थी। दरों में इजाफे से बाजार में पूंजी वृद्धि से मंदी के दौर से भी निकलने में मदद हो सकती है। दरों में वृद्धि का आर्थिक कम सामाजिक लाभ अधिक है। इससे युवा वर्ग का समय भी बचेगा, जो अभी मुफ्त या बेहद सस्ती सेवाओं के कारण बरबाद होता है।

प्रसून त्रिपाठी
शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश

अर्थव्यवस्था को न हो नुकसान

कारोबार के लिए कॉल दरों में इजाफा जरूरी था क्योंकि प्रतिस्पर्धा एवं बाजार हिस्सेदारी के फेर में दूरसंचार कंपनियों ने लगभग मुफ्त सेवाएं देनी शुरू कर दी थीं। अब कंपनियां एजीआर भुगतान और नई तकनीक पर खर्च करने में असमर्थ दिख रही हैं। इससे इतर दूरसंचार के सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हावी हो गए थे मसलन फेक न्यूज को बड़े पैमाने पर फैलाना आदि। मगर इसकी वजह से अच्छी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सस्ती दूरसंचार सेवा के कारण ग्रामीण इलाकों में भी अकल्पित दूरसंचार क्रांति हो गई। ऐसे इलाकों के लोगों को कॉल तथा डेटा दर इजाफे से परेशानी होगी। इनमें यूट्यूब के जरिये समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए कॉल दरों में इजाफा प्रशंसनीय कदम है, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

दर बढ़ने से शिष्टाचार सीखेंगे लोग

वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपनी सेवाएं महंगी तो की हैं, लेकिन अधिक स्पर्द्धा के कारण सभी कंपनियां एक से बढ़कर एक आकर्षक योजनाएं ले आई हैं। कोई भी ग्राहक गंवाना नहीं चाहतीं। मगर इनमें सबसे अधिक चोट बीएसएनएल को पड़ी है। उपभोक्ताओं की अनदेखी और ढिलाई के कारण उसने अपने ग्राहक खो दिए हैं। इधर कॉल दरों में इजाफे की वजह कंपनियों का घाटा बताया गया है। मगर अब कॉल दरें बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ ही लोगों को जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल सेवाओं के इस्तेमाल की बात भी सिखानी होगी।

डॉ आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

उचित नहीं है कॉल दरों में वृद्धि

कर्मचारियों के रवैये और खराब कार्य संस्कृति ने बीएसएनएल को घाटे के दिन दिखाए तो निजी कंपनियों ने अपनी बेहतर सेवाओं और ग्राहकों के प्रति अच्छे व्यवहार से बाजार में अच्छी पकड़ बना ली। सरकार से यह सब देखा नहीं गया तो उसने सरकारी तंत्र का प्रयोग कर और ट्राई का भय दिखाकर कंपनियों को शुल्क बढ़ाने पर विवश कर दिया। कॉल दरों में इजाफे कारण हाल में बीएसएनएल के ग्राहक दूसरी सेवा प्रदाता कंपनियों के पास चले गए। बीएसएनएल की सेवाएं उनके कर्मचारियों का व्यवहार और आज के समय के हिसाब से अप्रासंगिक हैं। मेरा मानना है कि कॉल दरों में बढोतरी उचित नहीं है। साथ ही सरकार का यह रवैया भी ठीक नहीं है।

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

संकट से उबारने के लिए जरूरी

डिजिटल युग के दौर में इस उद्योग को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए दूरसंचार कंपनियों ने मोबाइल सेवा की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल अनुभव सुनिश्चित कराने के लिए कॉल दरों में इजाफा काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 50,922 करोड़ रुपये और एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। निजी क्षेत्र की इन तीन प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने शुल्क में वृद्धि ऐसे समय की है, जब दूरसंचार क्षेत्र पर वित्तीय संकट मंडरा रहा है। वास्तव में जिस तरह से सरकार उन पर कर और जुर्माना लगा रही है और जिस तरह उन्हें 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी हिस्सा लेना है, उसे देखते हुए कॉल और डेटा दरों में इजाफा उनकी मजबूरी है। कुल मिलाकर दूरसंचार उद्योग को बचाने के लिए कॉल और डेटा दरों में इजाफा जरूरी है ।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

दरें बढ़ाएं मगर दें बेहतर सेवाएं

दूरसंचार कंपनियों द्वारा कॉल और डेटा दरें 30 से 50 फीसदी बढ़ाई जाना चिंताजनक भी है और निराशाजनक भी। ये कंपनियां शुरुआत में अधिक से अधिक ग्राहक खींचने के लिए मुफ्त पेशकश और छूट के साथ बड़े वादे करती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक निभा नहीं पातीं। अभी इन कंपनियों पर खरबों रुपये का कर्ज है, जिस कारण इन्हें एजीआर, स्पेक्ट्रम शुल्क आदि चुकाने में दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार भी स्पेक्ट्रम शुल्क में कटौती से साफ इनकार कर रही है। ऐसे में ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलना इनकी मजबूरी है। लेकिन शुल्क बढ़ाने के साथ ही इन कंपनियों को सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी होगी।

मो. मंसूर आलम
मुगलसराय, उत्तर प्रदेश

जनता उठाएगी कर्ज का बोझ

कॉल दरों में बढ़ोतरी के फैसले से दूरसंचार कंपनियों को फायदा होगा मगर आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इन कंपनियों के कर्ज का बोझ भी अब आम जनता ही उठाएगी। दूरसंचार कंपनियां विभिन्न मदों में करीब 80,000 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने जा रही हैं। इसीलिए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने कॉल और डेटा शुल्क में 50 फीसदी तक वृद्धि कर दी है। जियो की नई दरें 40 फीसदी तक बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा 50 फीसदी वृद्धि साल भर के असीमित पैक पर हुई है। वोडाफोन आइडिया ने साल भर तक प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा वाला असीमित पैक 1,699 से बढ़ाकर 2,399 रुपये कर दिया है।

कुमारी कबिता
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

सेवा गुणवत्ता में आ रही है कमी, ग्राहकों के लिए नहीं सही

दूरसंचार कंपनियों ने अपनी शुल्क दरों में 20-40 प्रतिशत तक का इजाफा कर दिया है जो ग्राहकों के हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह सही है कि दूरसंचार क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है लेकिन इसका उपाय कीमतों में बढ़ोतरी नहीं है। इन चुनौतियों के समाधान से पहले इनकी विस्तृत समीक्षा करनी होगी और मूल कारणों का पता लगाना होगा। कई बार कंपनियों द्वारा अनुचित तरीके आजमाने से कारोबार में गिरावट आती है और इसके समाधान के लिए ग्राहकों की जेब पर बोझ नहीं बढ़ाया जा सकता। कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों से शुल्क दरों में कटौती की है और अब अचानक कीमतों में इतना अधिक इजाफा? ऐसा तो नहीं कि कंपनियों ने एक रणनीति के साथ पहले कीमतें कम कीं और अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ने के बाद कीमतें बढ़ाने की योजना पर काम किया। यह भी देखा जाना चाहिए कि सभी दूरसंचार कंपनियों ने एक साथ यह बढ़ोतरी की है। प्रतिस्पर्धा आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और अगर कंपनियां दोषी पाई जाती हैं तो उचित कदम उठाए। एक तरफ केंद्र सरकार दूरसंचार क्षेत्र के लिए आर्थिक राहत दे रही है और दूसरी तरफ कंपनियां कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रही हैं। केंद्र द्वारा दिया जाने वाला पैकेज भी करदाताओं द्वारा दिया गया पैसा ही है जिसे पहले ही सरकार कंपनियों को दे रही है। इसलिए कीमतें बढ़ाना उचित नहीं है। दूरसंचार कंपनियों ने छोटे टैरिफ पैक्स भी समाप्त कर दिए हैं जिससे ग्राहक बड़े पैक खरीदने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता में कमी की भी शिकायतें आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरों में भी कई जगहों पर निर्बाध सेवा उपलब्ध नहीं है। ये सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूरसंचार नियामक को इन सभी विषयों में हस्तक्षेप करते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

बातचीत : **वीरेश्वर तोमर**

बिजौन कुमार मिश्रा
उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ और संस्थापक, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन

बेहतर सेवाओं के लिए जरूरी है कीमतों में इजाफा

दूरसंचार कंपनियां पिछले करीब तीन वर्षों से शुल्क दरों में लगातार कमी कर रही थीं और इसका अहम कारण 4जी सेवा प्रदाता जियो के आने से बढ़ी प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि के लिए काफी समय बाद कीमतों में इजाफा जरूरी हो गया था। इससे एक सीमा तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क विस्तार तथा आधुनिकीकरण में निवेश करने में मदद मिलेगी जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव तथा नई डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी दक्षता में सुधार हो सके। दूसरा पक्ष यह है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपनी टैरिफ कीमतों में 25 से 40 प्रतिशत का इजाफा किया है जो मोबाइल टेलीफोन बाजार में एक बार में की गई सबसे अधिक बढ़ोतरी है। भारतीय ग्राहक कीमतों को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। हालांकि कीमतों में इजाफे से कंपनियों के राजस्व में बढ़ोतरी देखने के लिए न्यूनतम एक तिमाही का इंतजार करना होगा। मेरा मानना है कि कंपनियों के लिए प्रति ग्राहक औसत राजस्व में 10 से 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी नहीं होगी। दूरसंचार कंपनियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कीमतों में यह वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी और भविष्य में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि केवल शुल्क दरें बढ़ाना दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कंपनियों को तत्काल बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए कंपनियां अपने टावर, केबल आदि कारोबार का मुद्रीकरण करके वित्त जुटा सकती हैं। कंपनी के स्तर पर देखें तो शुल्क दरों में बढ़ोतरी से जियो तथा एयरटेल को काफी लाभ हो सकता है लेकिन वोडाफोन-आइडिया के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। पिछले तीन वर्षों से दूरसंचार क्षेत्र में चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के सबसे बड़े लाभार्थी ग्राहक रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में इंटरनेट शुल्द दरें औसतन 300 रुपये से घटकर 8 रुपये प्रति जीबी रह गईं। हालांकि समय पर तकनीकी उन्नयन नहीं करने के कारण कई जगहों पर उपभोक्ताओं को सेवा में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल सेवा प्रदाता कंपनियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए जल्द से जल्द निवेश करना होगा। हालांकि इन सभी कार्यों में ट्राई को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और संबंधित नियमों को सामने लाना चाहिए।

बातचीत : **वीरेश्वर तोमर**

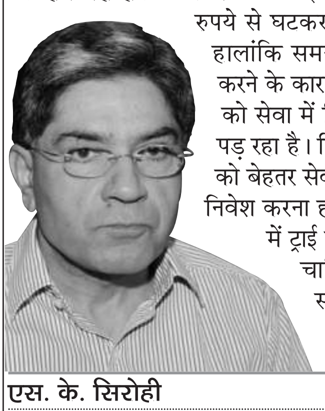

एस. के. सिरोही
पूर्व सदस्य, दूरसंचार आयोग, दूरसंचार विभाग

पुरस्कृत पत्र

उपभोक्ताओं के हित में संतुलित हो शुल्क

भूपेंद्र सिंह रंगा
पानीपत, हरियाणा

पुरस्कार राशि
500 रुपये

प्रमुख दूरसंचार कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन शुल्क में 45 फीसदी की बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। जानकारों का यह कहना सही हो सकता है कि उद्योग के सुचारु परिचालन के लिए शुल्क 50 फीसदी तक बढ़ाने होंगे। लेकिन शुल्क बढ़ाने से नए ग्राहक मुश्किल से जुड़ेंगे। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार 2जी सेवा महंगी होने के बाद दिसंबर, 2018 और जून, 2019 के बीच करीब 2 करोड़ लोगों ने इससे दूरी बना ली। बड़ी आबादी अब भी इंटरनेट से दूर है, इसीलिए डिजिटल विषमता भी दूर करनी होगी। लेकिन बुनियादी संचार सेवाएं ही महंगी होकर आम जनता के लिए बोझ बन जाएंगी तो डिजिटल इंडिया का सपना कैसे सरकार होगा। कुछ ही समय में देश में 5जी तकनीक आनी है, जो महंगी मगर उपयोगी होगी। इसके भरपूर उपयोग के लिए इसे सस्ता और सुलभ बनाना होगा।

श्रेष्ठ पत्र

रोली श्रीवास्तव
दिल्ली

बोझ ठीक नहीं, विकल्प ढूंढें कंपनियां

सरकार और निजी दूरसंचार कंपनियों के विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने करीब 80,000 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने में असमर्थता जताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। ऐसी स्थिति में कॉल दरें बढ़ाना जरूरी है। सरकार और निजी कंपनियों की स्पष्ट नीतियों और दूरदर्शिता के अभाव में उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है? निजी कंपनियां वैकल्पिक योजना बनाने के बजाय बाजार छोड़ने की बात क्यों कर रही हैं? दूरसंचार क्षेत्र की गलाकाट स्पर्द्धा को देखते हुए यह कदम अनैतिक है, जिसका खमियाजा उपभोक्ता को ही उठाना पड़ेगा। ट्राई को पारदर्शी और उपभोक्ता परक नियम व नीति बनानी चाहिए।

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

न्यायसंगत हो कॉल दरों में वृद्धि

सभी शीर्ष दूरसंचार कंपनियों ने गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण और ट्राई की परिधि में रहकर उपभोक्ताओं को सस्ती कॉल दरें और डेटा प्रदान किया था। इसकी वजह से वे लोकप्रिय तो हो गईं, लेकिन बढ़ते कर्ज की वजह से घाटा बढ़ गया। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने भी दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल आय की 1.47 लाख करोड़ रुपये की पुरानी वैधानिक देनदारियां सरकार को चुकाने का आदेश दिया है। इन कारणों से कंपनियों ने सस्ती कॉल दर और डेटा का दौर खत्म कर कॉल दरों में अच्छी खासी वृद्धि कर दी है। कॉल दरों में वृद्धि भले ही अपरिहार्य हो मगर उसे न्यायसंगत होना चाहिए। इसके अलावा डेटा उपभोग और डिजिटल इंडिया अभियान पर प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ना चाहिए।

विकेश कुमार बडोला
कोटद्वार, उत्तराखंड

अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर है कॉल दर वृद्धि

केवल दूरसंचार ही मंदी से नहीं जूझ रहा। इस क्षेत्र की कंपनियां लाभ में कमीबेशी के मुताबिक कॉल और इंटरनेट दरें घटाती-बढ़ाती रहती हैं। उन्हें भारत में निवेश की इच्छुक विदेशी दूरसंचार कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क को आधुनिक भी बनाना है। जरूरत के बगैर दूरसंचार सेवाओं का अत्यधिक उपयोग विलास कहलाता है जिसके लिए कंपनियां अधिक कीमत वसूल रही हैं तो वह अनुचित नहीं। हां, ध्यान रहे कि कॉल दरें इतनी अधिक भी नहीं बढ़ें कि लोग दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल बंद कर दें। दरें बढ़ने से न्यूनतम व्यक्तिगत व्यय बढ़ेगा और संस्थागत पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होगी। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूरसंचार क्षेत्र भी लाभान्वित होगा।

दिव्या सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

विवेकपूर्ण हो कॉल दरों का निर्धारण

दूरसंचार कंपनियों ने सरकार की देनदारी चुकाने के लिए कॉल दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि कंपनियों को हुए नुकसान भी भरपाई के लिए जरूरी है। हालांकि महिलाओं, वरिष्ठों और असक्त जनों के लिए कॉल दरों को या तो सस्ता ही रहने दिया जाय या फिर मुफ्त ही कर दिया जाये। सभी के लिए कॉल दरें बढ़ाना उचित नहीं है। विशेषत: युवाओं द्वारा मोबाइल के सार्थक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कॉल दरों में वृद्धि ठीक कदम है। महिलाओं को भारत में मोबाइल सेवा के नये फीचर जैसे जीपीएस, लोकेशन आदि मुफ्त होना चाहिए। इस तरह की सुविधाएं दूरसंचार कंपनियां आसानी से मुहैया करा सकती हैं। मोबाइल सेवाओं को विवेकपूर्ण तरीके से परिभाषित करते हुए कॉल दरों का निर्धारण होना चाहिए।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है - **अग्निकांड जैसे हादसे टालने के क्या हों उपाय?**

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

बिजली शुल्क में हस्तक्षेप नहीं करेंगी अदालतें

एमजे एंटनी

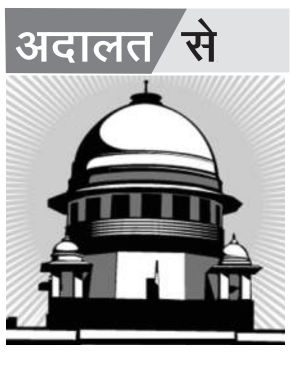

अगर किसी विशेषज्ञ संस्था ने बिजली के लिए खास शुल्क तय कर दिया है तो ऐसे मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बिजली अपील पंचाट और उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड की अपील को स्वीकार करते हुए यह बात कही। निगम की अपील में दो अहम सवाल उठे। ये निगम द्वारा लगाए गए व्हीलिंग शुल्क और ग्रिड सपोर्ट शुल्क लगाने के उसके अधिकार से संबंधित थे। रेन कैल्सिनेनिंग लिमिटेड की अगुआई में कई औद्योगिक उपभोक्ताओं ने शुल्क में बदलाव और उन्हें मिली कुछ सुविधाओं को वापस लेने के फैसले को पंचाट में चुनौती दी थी। पंचाट ने कहा कि बिजली नीति ने उद्यमियों के हित में कुछ अधिकार बनाए थे और इन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। राज्य बिजली नियामक आयोग ने पंचाट के फैसले को पलट दिया था और उच्च न्यायालय ने आयोग के खिलाफ निर्णय दिया। पारेषण निगम ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की। अपील स्वीकार करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश बिजली सुधार कानून, 1998 के तहत गठित आयोग को बिजली की कीमतें तय करने का अधिकार है। नियमों के तहत उसे पारेषण और थोक आपूर्ति या वितरण और खुदरा आपूर्ति के संबंध में बिजली की कीमतें और शुल्क तय करने का अधिकार है।

धोखाधड़ी में एनसीएलटी की सीमित शक्तियां

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) और इसकी अपील संस्था को ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत शुरू की गई कार्यवाही में धोखाधड़ी की जांच करने का अधिकार है। अलबत्ता उन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) कानून के तहत आने वाले विवादों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर तीन अपीलें खारिज कर दीं। इनमें से एक अपील समाधान आवेदक ने, दूसरी कॉरपोरेट देनदार ने समाधान पेशेवर के जरिये और तीसरी ऋणदाताओं की समिति ने दायर की थी। इनमें उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एनसीएलटी के एक आदेश पर रोक लगा दी थी। एनसीएलटी ने समाधान पेशेवर की अर्जी पर यह आदेश दिया था। एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वाद में यह फैसला पंचाटों के अधिकार क्षेत्र की जटिल व्याख्या से संबंधित था। ये विवाद तब पैदा हुए जब राज्य सरकार ने कॉरपोरेट देनदार के खनन पट्टों की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे यह दलील दी गई कि कंपनी ने न केवल पट्टे की शर्तों बल्कि खनिज छूट नियमों का भी उल्लंघन किया।

जल निकायों को दुरुस्त करने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सरकार और सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। पर्यावरण को बचाने का कर्तव्य सरकार का है। न्यायालय ने जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय वाद में अपील पर सुनवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के स्थानीय निकाय के अधिकारियों को एक कंपनी के फायदे के लिए पाट दिए गए जल निकायों को बहाल करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने इस संबंध में एक पर्यावरण कार्यकर्ता वकील की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत जल निकायों को उद्योगों के फायदे के लिए पाटा जा रहा है, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एनजीटी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वैकल्पिक तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जल निकायों में पाए जाने वाले कई जलचर खत्म हो जाएंगे। ये जलचर किसी अन्य जगह खड्डा खोदकर उसमें पानी भरने से वहां पैदा नहीं होंगे। न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों को गांव में जल निकायों की बहाली, मरम्मत और संरक्षण करने का आदेश दिया। साथ ही वे तीन महीनों के भीतर जलग्रहण क्षेत्रों से सभी अवरोधों को दूर करेंगे जिनसे प्राकृतिक पानी गांव के तालाबों में एकत्र होता है।

बीमा कंपनी को तुरंत देनी होगी क्षति की जानकारी

अगर कोई वाहन आग से क्षतिग्रस्त होता है तो बीमा कंपनी को इसके बारे में तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए लेकिन इतनी तत्परता से इसे पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आग जानबूझकर लगाई गई है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने कमलेश बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाद में अपने फैसले में कहा कि नीति में कहा गया है कि आपराधिक कृत्य के मामले में पुलिस में तत्काल शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। इस मामले में एक नए ट्रक के मालिक ने दावा किया कि उसका वाहन आग के कारण बर्बाद हुआ। बीमा कंपनी ने उसके दावे को खारिज कर दिया। कंपनी के सर्वेयर ने इस दावे को संदिग्ध बताया था। ट्रक मालिक ने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता आयोग का रुख किया। आयोग ने बीमा कंपनी के इस दावे पर आश्चर्य जताया कि बीमे की रकम पाने के लिए ट्रक को आग लगाई गई थी। आयोग ने बीमा कंपनी को 13.5 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यह राशि घटाकर 8.10 लाख रुपये कर दी क्योंकि ट्रक मालिक ने इस बारे में चार दिन बाद पुलिस को बताया था। उच्चतम न्यायालय ने बताया कि इस मामले में तत्काल पुलिस को जानकारी देना जरूरी नहीं था क्योंकि आग स्वाभाविक कारणों से लगी थी और जानबूझकर नहीं लगाई गई थी जैसा कि बीमा कंपनी दावा कर रही है। न्यायालय ने राज्य आयोग द्वारा तय मुआवजे को सही ठहराया।

बीएचईएल के अधिकारी नहीं हो सकते मध्यस्थ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को कंपनी और ठेकेदार के बीच उभरे विवादों के लिए मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस नियम का मकसद मध्यस्थ के पूर्वाग्रह के संदेह से बचना है। मध्यस्थता कानून और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े कई मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन कंपनियों के अधिकारी या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मध्यस्थ नहीं बन सकता है। गोगोल हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाम बीएचईएल वाद में निजी कंपनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि बीएचईएल भुगतान विवादों के बारे में मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर रही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ नियुक्त नहीं करके बीएचईएल ने ऐसा करने का अपना अधिकार गंवा दिया है। उसने साथ ही कहा कि मध्यस्थता प्रावधान के मुताबिक मध्यस्थ बीएलईएल का महाप्रबंधक या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। न्यायालय ने इसे भी गलत करार दिया। न्यायालय ने इस विवाद को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को सौंप दिया जो मध्यस्थता की कार्यवाही करेगा।

यूको बैंक ने नहीं किया प्रक्रिया का पालन

पटना उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यूको बैंक को नियमों का उल्लंघन करने और ऋण के भुगतान में चूक करने वाले कर्जदार के वाहनों को बेचने का दोषी करार दिया। सुजय कुमार बनाम यूको वाद बैंक ने दलील दी कि उसके पास सरफेसी कानून में दी गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का विकल्प है। न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की दलील से कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा। वाहनों की नीलामी से पहले कर्जदार को समय पर नोटिस नहीं दिया गया था। बैंक को परिसंपत्तियों को जब्त करने का अधिकार हो सकता है लेकिन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, 'बैंक ने कानून के प्रावधानों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अनुचित और मनमाने ढंग से जल्दबाजी में कार्रवाई की।'

गिरवी कारोबार पर कानून के बादल

विशेषज्ञों ने कहा, कार्वी मामले से शेयरों के बदले ऋण कारोबार पर घातक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इससे गिरवी प्रतिभूतियों के आवंटन पर उठते हैं सवाल

ब्रोकरों के लिए प्रमुख नियम

- ब्रोकरों को शेयरों और डिबेंचरों के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा अवश्य होनी चाहिए
- जरूरत आधारित ऐसी रकम का आकलन किया जाना चाहिए, मसलन उधार लेने वालों की वित्तीय स्थिति, खातेदार के बदले और खुद के दम पर खाते का परिचालन और किस हद तक ब्रोकर की रकम की दरकार होगी इसका भी आकलन होना चाहिए

श्रीमी चौधरी और समी मोडक

कार्वी घटना के बाद थर्ड-पार्टी जमानत सुविधा के लिए बैंक और ब्रोकर से संबंधित कानूनों पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज (एनएसडीएल) ने जमानत के तौर पर रखी गईं प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। ऋणदाताओं ने शेयर के बदले ऋण आवंटित करने के पुराने कारोबारी मॉडल को अपनाया और कथित तौर पर कुछ मानदंडों को नजरअंदाज किया। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शेयर के बदले ऋण देने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है क्योंकि यह गिरवी प्रतिभूतियों के आवंटन पर सवाल उठाता है।

पूर्व न्यायाधीश और एलऐंडएल पार्टनर्स के पार्टनर भरत चुग ने कहा, 'गिरवी शेयरों को जमानत करार देने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कार्वी के पास गिरवी शेयरों को जमानत के तौर रखने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए ऋणदाताओं द्वारा गिरवी शेयरों के प्रति अधिकार पर दावा करने से समस्या पैदा होती है क्योंकि वे अवैध तौर पर हासिल अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं जो निवेशकों के वैध स्वामित्व के खिलाफ है।' उन्होंने कहा कि यदि कार्वी के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे तो लेनदारों पास रखी गई गिरवी शेयरों को नहीं भुनाया जा सकता है।

हालांकि इस मुद्दे पर बहस हो सकती है कि लेनदारों अथवा ग्राहकों में किसे अपना दावा छोड़ना चाहिए। गिरवी प्रतिभूतियां लेने का अधिकार लेनदारों के पास भी है। लेकिन अधिकतर विश्लेषकों का मानना है कि प्रतिभूतियां वापस ग्राहकों को हस्तांतरित करने संबंधी बाजार नियामक की पहल अप्रत्याशित है।

एनएसडीएल ने प्रतिभूतियों को कार्वी के डीमैट खाते से उन संबंधित ग्राहकों (95,000 में से 82,559) के डीमैट खाते में हस्तांतरित कर दिया है जिन्होंने इन शेयरों के एवज में पूरा भुगतान किया था। ऐसा सेबी के 22 नवंबर के आदेश के अनुपालन में और निवेशकों के हितों की रक्षा में किया गया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त कानूनी आधार है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि कार्वी ग्राहकों के गिरवी शेयरों को बैंकों के पास गिरवी रखकर अपनी सहायक इकाइयों के लिए रकम जुटाने के लिए प्राधिकृत नहीं थी और इसे देखते हुए बाजार नियामक ने यह पहल की है।

चुग के अनुसार, यह पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाजार नियामक द्वारा जारी उन तमाम विनियमन पर आधारित है जिनके तहत इस गंभीर प्रथा को रोकने की बात कही गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी बेरोकटोक जारी है। हालांकि इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई है कि कार्वी मामले में लेनदारों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया क्योंकि बाजार नियामक ने अपना आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। सेबी के आदेश को लागू करने से पहले एनएसडीएल ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

कार्वी के लेनदारों ने एनएसडीएल के इस कार्रवाई को प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल (एसएटी) में शिकायत की है। इस ब्रोकरेज ने कथित तौर पर इन प्रतिभूतियों के एवज में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक से कुल करीब 3,000 करोड़ रुपये की उधारी ली। हालांकि सैट से लेनदारों को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है लेकिन उन्हें बाजार नियामक के सामने अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया गया है। दलील के दौरान लेनदारों ने एक सुर में कहा कि इस पहल से पूरे जमानत कारोबार में घबराहट है क्योंकि उन्हें लगता है कि गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को कहीं भुनाया न जा सके।

लेनदारों ने दो मुद्दों पर दलीलें दी हैं। पहला, कार्वी के गिरवी को लेकर आशंका जताने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं है क्योंकि सबकुछ मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप किया गया था और डिपॉजिटरी, एक्सचेंज और सेबी द्वारा उसकी पूरी निगरानी की गई थी। दूसरा, प्रतिभूतियों के बदले ऋण आवंटित करना सामान्य और लेनदारों के लिए उचित कारोबारी गतिविधि है। यदि उन्हें अपने बोनाफाइड अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया गया तो उसका उधारी कारोबार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और धीरे-धीरे यह कारोबार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इन शेयरों के खुले बाजार में आने पर उन्हें दोबारा हासिल करना लगभग असंभव हो जाएगा और बैंकों के पास कोई प्रतिभूति नहीं बचेगी।

वरिष्ठ बैंकरों ने कहा कि लेनदारों को कार्वी जैसी कंपनियों से वसूली करने का अधिकार है। लेकिन बैंक गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री नहीं कर सकते। उन शेयरों के वास्तविक स्वामी के अधिकार अक्षुण्ण रहने चाहिए। हालांकि बैंकरों ने निजी तौर पर सहमति जताई कि स्वामित्व और जमानत संबंधी विभिन्न पहलुओं को सत्यापित करना उनकी जिम्मेदारी थी।

विशेषज्ञों ने कहा कि यदि सेबी अपने पहले के दिशानिर्देशों के तहत ब्रोकरों को इन शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी होगी तो जून के परिपत्र के तहत इसे बदल दिया गया हो। जून के परिपत्र में बाजार नियामक ने ब्रोकरों को किसी भी उद्देश्य के लिए शेयरों को गिरवी रखने से रोका है। इसके अलावा सेबी ने ब्रोकरों से कहा है कि उन्हें ग्राहकों की प्रतिभूतियों के लिए और खुद की प्रतिभूतियों के लिए अलग-अलग खाते रखने होंगे। हालांकि बैंकरों ने अभी भी उचित जांच परख करना होगा और मामले को अपने पक्ष में स्थापित करना होगा।

साथ में अभिजित लेले

पूरी तरह अपराध श्रेणी से बाहर होगा कंपनी कानून

गीतिका श्रीवास्तव

कंपनी कानून 2013 को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए, सरकार संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि 2018 में भी ऐसी ही एक पहल की गई थी जिसके तहत कंपनी कानून में गैर-अनुपालन वाले 16 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर दीवानी श्रेणी रख दिया गया था।

नया विधेयक काफी हद तक कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कंपनी कानून समिति (सीएलसी) की सिफारिशों पर आधारित होगा। सीएलसी ने पिछले महीने अपनी सिफारिशों को एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। समिति की सिफारिशों में अपराधों को आंतरिक न्याय ढांचे के अनुकूल वर्गीकृत करने, सीएसआर अनुपालन के लिए सीमा बढ़ाने, सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा में अपवाद जोड़ने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपवाद का प्रावधान करने की बात कही गई है। समिति ने अपराधों पर दो नजरियों से वर्गीकृत किया है। पहला, जो धोखाधड़ी से संबंधित हो और दूसरा, जहां धोखाधड़ी न हो। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी कानून को अपराध की श्रेणी से अलग रखने और दीवानी एवं आपराधिक मामलों में संतुलन बनाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है।

ऐसा लगता है कि कंपनी कानून में कई प्रावधानों को शामिल करने की जरूरत है ताकि उन मामलों को अपराध की श्रेणी से अलग रखा जा सके जहां अन्य कानूनों द्वारा पहले से ही आपराधिक दायित्व को कठोरतापूर्वक लागू किया गया हो। खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर भरत आनंद ने कहा, 'वाणिज्यिक संगठनों को अब भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया गया है। उनके निदेशकों एवं अधिकारियों को सीधे तौर पर अपराध के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और पुलिस द्वारा उनकी तलाशी और गिरफ्तारी भी की जा सकती है। वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उल्लंघन को स्वैच्छिक तौर पर उजागर करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अभियोजन के समझौते को खारिज करना महत्त्वपूर्ण है।'

- उल्लंघन के स्वैच्छिक खुलासे के लिए एक ढांचा तैयार करना
- कंपनी कानून के प्रावधानों को सीमित दायित्व साझेदारी कानून के प्रावधानों से अलग करना
- संबंधित पक्ष के लेनदेन मामले में विभिन्न कानूनों को स्पष्ट करना

विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी कानून समिति ने इस मुद्दे को छुआ जरूर है लेकिन उसने कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं सुझाया है। कंपनी कानून समिति की सिफारिशों में कुछ अन्य कमियां भी हैं जिनके लिए कानून विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उदाहरण के लिए, कंपनी कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत 'फर्म' का उल्लेख किया गया है। आमतौर पर इसका मतलब साझेदारी अधिनियम के तहत साझेदारी फर्म है। हालांकि कुछ प्रावधानों के लिए फर्म का मतलब सीमित दायित्व वाली साझेदारी (एलएलपी) से है।

संबंधित पक्ष के लेनदेन के लिए विभिन्न कानूनों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कुछ विशेषज्ञों ने संबंधित पक्ष के लेनदेन और विवरणिका में गलत बयानी से संबंधित मामलों को अपराध की श्रेणी में न रखने संबंधी सीएलसी की सिफारिशों पर चिंता जताई है। धारा 8 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन (मुख्य तौर पर धर्मादा एवं सामाजिक उद्देश्य वाली कंपनियों के लिए) के लिए केवल जुर्माने के साथ दंडात्मक बनाया गया है जिस पर काफी बहस हो रही है।

विशेषज्ञों ने कहा है कि विभिन्न कानूनों में एक ही शब्द की अलग-अलग परिभाषा दी गई है जिससे दायित्व बंट जाता है। इकनॉमी लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर दर्शन उपाध्याय ने कहा, 'संबंधित पक्षों के लेनदेन मामले में लेखा मानदंड, सेबी के नियम और कंपनी कानून सभी जुड़े होते हैं। हरेक छोटी-छोटी चीजों के लिए जाल का दायरा बढ़ाने से परेशानी हो सकती है।'

बड़े सहकारी बैंकों का अकेला नियामक होगा आरबीआई

पृष्ठ 1 का शेष...

बड़े शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) बनाने का विचार पहले ही छोड़ दिया गया है। दरअसल एसएफबी पर लाइसेंस शर्तों के तहत कई पाबंदियां होती हैं जो बांटे जाने वाले कर्ज के आकार और व्यवसाय की प्रकृति से जुड़ी होती हैं।

आरबीआई ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में यूसीबी के भविष्य को लेकर कुछ संकेत दिए। उसने कहा कि बड़ी जमाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराने को लेकर नए दिशानिर्देश बनाए जा रहे हैं। बड़े यूसीबी पर बैंकिंग नियमन अधिनियम लागू होने के बाद बेसल-3 मानकों का पालन करना वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह जरूरी हो जाएगा। फिलहाल शहरी सहकारी बैंक बेसल-1 मानक का ही अनुसरण करते हैं जो पुराना हो चुका है। हालांकि उन्हें बेसल-3 के अनुसरण के लिए समय दिया जाएगा। अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है जब किसी यूसीबी को वाणिज्यिक बैंक बनाया गया था। यह वाकया 1996 में डीसीबी बैंक के साथ हुआ था और वह भी जबरन नहीं हुआ था।जहां तक छोटे यूसीबी का सवाल है तो वे पहले की तरह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नियमन में ही बने रहेंगे। इससे अपने पूंजी ढांचे को देखते हुए उनके पास वृद्धि के सीमित अवसर ही रहेंगे। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे चलकर कोई एसएफबी या वाणिज्यिक बैंक उनका अधिग्रहण कर लें।

रियल एस्टेट पर शापूरजी का दांव

पृष्ठ 1 का शेष...

गोपालकृष्णन ने कहा कि हाल में लाई गई परियोजनाओं की बिक्री अच्छी रही है। उदाहरण के तौर पर ठाणे परियोजना शुरू होने के 9 महीने के भीतर ही 750 में से 600 अपार्टमेंट बिक गए। जॉयविल ब्रांड के तहत विकसित की जा रही गुरुग्राम परियोजना के 1,100 अपार्टमेंट में से 745 अपार्टमेंट की बिक्री हो चुकी है। यह परियोजना इस साल के आरंभ में ही शुरू हुई थी।

वैसे गोपालकृष्णन का कहना है कि सभी परियोजनाएं बेचना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने कहा, 'बड़े आकार के अपार्टमेंट की मांग कम है। जब बाजार में नरमी है इसलिए हम ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते लेकिन वाजिब कीमत और समय पर आपूर्ति करने पर हमारा ध्यान है।'

गोपालकृष्णन ने कहा कि आवास ऋण आवंटन में कमी आने और उधारी आपूर्ति कम रहने से अगली कुछ तिमाहियों तक आवासीय बाजार में नरमी बनी रह सकती है। उन्होंने कहा कि शापूरजी पलोनजी रियल एस्टेट इस समूह के कुल आकार की तुलना में छोटी है लेकिन रियल एस्टेट कारोबार में मार्जिन समूह के मुख्य निर्माण कारोबार की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा, '30 फीसदी एबिटा के साथ 5,000 करोड़ रुपये की आय का समूह की कुल आय में अहम योगदान है।'

हालांकि समूह को अपनी देनदारी का भुगतान करने के लिए नकदी की जरूरत है। हाल ही में शापूरजी पलोनजी समूह और स्टर्लिंग ऐंड विलसन सोला के प्रवर्तक याजदी दारूवाला ने कंपनी के निदेशक मंडल से 2,341 करोड़ रुपये के कर्ज का पुनर्भुगतान करने के लिए और मोहलत मांगी है।

शापूरजी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अपनी करबी एक-तिहाई हिस्सेदारी बेच दी है और यूरेका फोर्ब्स या फोर्ब्स ऐंड कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रही है। 29 नवंबर को रेटिंग फर्म इक्रा ने शापूरजी पलोनजी ऐंड कंपनी की रेटिंग घटा दी थी।

शापूरजी पलोनजी ऐंड कंपनी के कार्यकारी निदेशक केकू कोला ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार का मार्जिन शुरुआती वर्षों की तुलना में कम हुआ है लेकिन परिपक्व बाजार इसी तरह आगे बढ़ता है।

कंपनी के पास मुंबई के कोलाबा में 32 एकड़ जमीन भी है। महालक्ष्मी में डीलएफ हबटाउन संयुक्त उपक्रम में उसकी 21 लाख वर्ग फुट की परियोजना और मुंबई-पुणे राजमार्ग पर करीब 1,000 एकड़ जमीन है, जहां कंपनी चरणबद्ध तरीके से टाउनशिप बना रही है।

सहायक इकाइयों से मिल रही एसबीआई को मदद

श्रीपाद ऑटे

लंबे समय से निवेशकों के रडार से दूर रहे कॉरपोरेट बैंकों को ताजा घटनाक्रम से पुनः मदद मिल सकती है। इन घटनाक्रम में एस्सार स्टील दिवालिया समाधान प्रक्रिया में तेजी और परिसंपत्ति गुणवत्ता परिदृश्य में सुधार मुख्य रूप से शामिल हैं। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मामले में, उसकी सहायक कंपनियों द्वारा बैंक के लिए नई वैल्यू पैदा करने की संभावना भी मुख्य रूप से शामिल है। एसबीआई बुधवार तक (मौद्रिक नीति से पहले) 9 प्रतिशत चढ़ चुका था जबकि निफ्टी बैंक सूचकांक में 5.4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों के अनुसार, 'एसबीआई की सहायक इकाइयों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। बैंक ने अपनी सहायक इकाइयों की बिक्री करने की योजना बनाई है जिससे शेयरधारकों के लिए फायदा होने की संभावना है।'

एसबीआई की क्रेडिट कार्ड इकाई (एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज, या एसबीआई कार्ड्स) और जीवन बीमा इकाई (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी) द्वारा मूल्यांकन में योगदान दिए जाने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि इन दो कंपनियों का एसबीआई के कुल मूल्यांकन में एक-चौथाई का योगदान है। एसबीआई की 74 प्रतिशत शेयरधारिता को देखते हुए प्रस्तावित आईपीओ के जरिये एसबीआई कार्ड्स के लिए ऊंचे मूल्यांकन की संभावना है। कुछ अनुमानों के अनुसार एसबीआई कार्ड्स का मूल्यांकन 60,000 करोड़ रुपये पर अनुमानित है जो कई विश्लेषकों के मौजूदा अनुमानों की तुलना में अधिक है।

मूल्यांकन में सुधार

	हिस्सेदारी प्रतिशत	अरब रु	रु./ शेयर
भारतीय स्टेट बैंक	100	2,776	311
लाइफ इंश्योरेंस	58	546	61
कार्ड	74	419	47
अन्य*		307	34
सहायक इकाइयों की कुल वैल्यू		1,272	142
कुल वैल्यू/कीमत लक्ष्य**		3,793	425

**एसबीआई ऐसेट मैनेजमेंट, जनरल इंश्योरेंस आदि शामिल*

*** 20 प्रतिशत होल्डिंग डिस्काउंट*

स्रोतः मोतीलाल ओसवाल रिसर्च

उदाहरण के लिए, मैक्वेरी ने एसबीआई कार्ड्स का मूल्यांकन 27,500 करोड़ रुपये पर, जबकि एडलवाइस ने 11,300 करोड़ रुपये पर किया है। मैक्वेरी का कहना है कि 60,000 करोड़ रुपये की बाजार वैल्यू से मदद मिल सकती है और एबीआई के कीमत लक्ष्य में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देखा जा सकता है।

देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने कार्ड व्यवसाय के लिए प्राथमिक बाजार में 9,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष आवेदन किया है। क्रेडिट कार्ड की कम पहुंच (प्रति व्यक्ति 5 प्रतिशत से कम कार्ड) और ऊंची शुल्क आय संभावना जैसे अनुकूल वृहद कारकों के साथ एसबीआई कार्ड्स के लिए वृद्धि के अवसरों को देखते हुए एसबीआई कार्ड्स में तेजी की संभावना को लेकर समस्या नहीं दिख रही है।

एसबीआई कार्ड्स ने ग्राहक जोड़ने और आय के संदर्भ में मजबूत प्रदर्शन किया है और व्यावसायिक वृद्धि एसबीआई की भौगोलिक पहुंच को देखते हुए मजबूत बनी रह सकती है।

दरअसल, यह देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या एसबीआई कार्ड्स जीवन बीमा इकाई के नक्शे-कदम पर अमल करेगी। जीवन बीमा इकाई एसबीआई के मूल्यांकन में दूसरी सबसे ज्यादा मूल्यवान परिसंपत्ति है। एसबीआई लाइफ में बैंक की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत है। एसबीआई लाइफ की बाजार वैल्यू एक साल में 70 प्रतिशत तक बढ़ी और जीवन बीमा इकाई वित्त क्षेत्र में कई विश्लेषकों का पसंदीदा शेयर बना हुआ है। सुरक्षा उत्पाद के तौर पर जीवन बीमा की बढ़ती लोकप्रियता इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रही है। हालांकि जिस वजह से एसबीआई लाइफ को बढ़त मिल रही है, वह है उसका कम परिचालन लागत वाला मॉडल और वितरण सेगमेंट। विश्लेषकों का कहना है कि इन कारकों से एसबीआई लाइफ को मुनाफा और शेयरधारक वैल्यू में मजबूत तेजी बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसी तरह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और म्युचुअल फंड व्यवसाय (एसबीआई ऐसेट मैनेजमेंट) ने अच्छी बाजार भागीदारी हासिल की है। इससे आय और मूल्यांकन को मदद मिलेगी।

इसके अलावा, बैंक द्वारा परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ बेहतर परिचालन प्रदर्शन किए जाने की संभावना है और इस संबंध में बड़ा प्रावधान कवर पहले ही पेश किया जा चुका है। लेकिन कुछ दबावग्रस्त कंपनियों (जैसे दीवान हाउसिंग फाइनैंस) से जुड़े उसके निवेश की वजह से यह बढ़त प्रभावित हो सकती है।

फिर भी, एसबीआई का मौजूदा मूल्यांकन वित्त वर्ष 2021 के अनुमानित बहीखाते के 1.2 गुना पर अच्छा दिख रहा है।

निर्यात से इप्का को मिली मदद

उज्ज्वल जौहरी

पिछले पखवाड़े सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद इप्का लैबोरेटरीज का शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कंपनी को हाल में अपने सिलवासा संयंत्र के लिए मिले ऑफिशियल एक्शन इनीशिएटेड (ओआईए) दर्जे के बावजूद उसके शेयर का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। निर्माण संयंत्र के निरीक्षण के बाद यूएस एफडीए द्वारा जारी ओआईए दर्जे से संकेत मिलता है कि इस संयंत्र को मौजूदा अच्छी निर्माण प्रणाली के संबंध में अनुपालन की अस्वीकार्य स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। एफडीए द्वारा आयात अलर्ट के तहत पहले से ही शामिल इस संयंत्र के लिए ओआईए दर्जे का मतलब अब यह है कि मंजूरी प्रक्रिया में और विलंब हो सकता है।

एफडीए की आपत्तियों के बाद एमके ग्लोबल के विश्लेषकों ने कहा कि जहां सिलवासा संयंत्र के लिए मंजूरी वित्त वर्ष 2021 तक मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, वहीं उनका वृद्धि का अनुमान अपरिवर्तित बना हुआ है। कंपनी के भारतीय व्यवसाय में 15 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात को इंस्टीट्यूशनल ऐंड ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट्स आपूर्ति से मदद मिली है।

अजय मोहंती

अब चेहरे से पहचान का समय आया

इससे कंपनियों को कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य और गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही कार्यदक्षता बेहतर करने में मदद मिल रही है

टी ई नरसिम्हन

करीब एक वर्ष पहले 30,000 संविदा कर्मियों वाली दक्षिण पूर्व एशिया की एक बड़ी कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम) उपाय विकसित करने वाली चेन्नई स्थित रैमको सिस्टम्स से संपर्क साधा। कंपनी की अपनी अलग समस्या थी। उसका कहना था कि उसकी एक इकाई में प्रवेश द्वार से मशीन तक पहुंचने में कर्मियों को 15 मिनट का समय लगता है जबकि दूसरी इकाई में कर्मियों को 45 मिनट का समय लग रहा है। इसका अर्थ है कि कंपनी को प्रति कर्मचारी रोजाना 30 मिनट कामकाज के घंटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पश्चिम एशिया में स्थित एक कंपनी की दूसरी समस्या है। उसके कर्मचारी अधिकांश समय कामकाज से दूरी बनाने की कोशिश करते रहते थे। विकासशील देशों में एक और समस्या भी देखी जाती है। वहां कई बार कम उम्र के कर्मी या केवल कागजों पर काम करने वाले कर्मी भी पाए जाते हैं।

थर्ड पार्टी एजेंसी से 28,000 कर्मियों को भर्ती करने वाली एक भारतीय खनन फर्म ने हाल ही में पाया कि लगभग 6,000-8,000 कर्मी वास्तव में नहीं वरन कागजों पर ही हैं। हालांकि कंपनी इन सभी के लिए वेतन का भुगतान कर रही है। उनके नाम से दूसरे लोग काम कर रहे थे जिनमें कम उम्र के बच्चे भी थे।

इन समस्याओं के समाधान के लिए रैमको की सिंगापुर इकाई ने चेहरे से पहचान करने वाली एक प्रणाली विकसित की। इससे किसी समय विशेष में व्यक्ति की पहचान करने और उपस्थिति के लिए बनाया गया। कंपनी ने इसके साथ ही ब्रीथ एनालाइजर भी बनाया जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर शराब का सेवन कर तो नहीं आया।

चेहरा पहचान कर कंपनी में उपस्थिति दर्ज

- **रैमको की सिंगापुर इकाई ने चेहरे से पहचान करने वाली एक प्रणाली विकसित की**
- **इससे किसी समय विशेष में व्यक्ति की पहचान करने और उपस्थिति के लिए बनाया गया**
- **कंपनी ने ब्रीथ एनालाइजर भी बनाया जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर शराब का सेवन कर तो नहीं आया**
- **कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की चेहरा पहचानने वाली तकनीक 'फेस एपीआई' का उपयोग करती है**
- **रैमको की चेहरा पहचानने वाली प्रणाली में व्यक्ति की उम्र पहचानने वाली तकनीक भी है**
- **इससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मी अपनी उम्र गलत न बता सके और कम उम्र वाले कर्मियों को काम पर न रखा जाए**

कर्मियों के आने का समय तथा उपस्थिति सभी कंपनियों में एचआर विभाग की मुख्य चुनौती होती है। पारंपरिक तौर पर इसे गैर यांत्रिक तरीके से किया जाता था जिसमें गलत जानकारी की काफी संभावनाएं होती थीं। इसके बाद आए पहचान पत्र और पंच कार्ड की अपनी समस्याएं हैं और कई बार ये खो जाते हैं।

रैमको द्वारा बनाई गई समय और उपस्थिति आधारित चेहरा पहचाने वाली प्रणाली 'रैमको गीक' प्रकाश की गति से काम करके और सभी कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करके इन सभी समस्याओं का समाधान करती है।

कैसे करती है काम

एक बार सभी कर्मचारियों का चेहरा इस प्रणाली में पंजीकृत कराया जाता है और कंपनी में लगे कैमरे व्यक्ति को देखते ही उसके चेहरे की पहचान कर लेते हैं और तत्काल उपस्थिति दर्ज करके उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी जाती है। सिंगापुर स्थित रैमको स्टिम्स की नवोन्मेष लैब के प्रमुख रमेश शिवा सुब्रमण्यम कहते हैं कि बड़े कार्यलयों में अलग-अलग जगह जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है और इस तकनीक के चलते समय की काफी बचत होती है।

कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की चेहरा पहचानने वाली तकनीक 'फेस एपीआई' का उपयोग करती है। क्लाउड आधारित यह तकनीक न सिर्फ चेहरा पहचानने वाले एल्गोरिद्म का उपयोग करती है बल्कि कैमरे द्वारा खींची गई तस्वीर को डेटाबेस से मिलान करने में बहुत से पैमानों का उपयोग करते हुए काफी सटीक होती है। इस तकनीक को सुपरवाइजर के मोबाइल फोन, टेबलेट या सीसीटीवी कैमरे पर भी चलाया जा सकता है जिससे कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज करायी जा सके।

कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग भी इस प्रणाली में अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरी कंपनियों में प्रयोग करने से पहले रैमको ने इस तकनीक का प्रयोग अपने यहां किया। अपने वेब-कैमरों में इसे लगाने के बाद कंपनी को अहसास हुआ कि इस तकनीक को सीधे सीसीटीवी से जोड़ा जा सकता है और उपस्थिति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रणाली को क्लाउड पर विकसित किया गया था लेकिन व्यक्ति के फोटो से मिलान में लगने वाले समय को कम करने के लिए कंपनी ने एआई तकनीक पर काम करने वाली स्टार्टअप हाइपरवर्ज से साझेदारी की है।

हम वापस उस फैक्टरी की ओर लौटते हैं जहां कर्मचारियों के काम के घंटे बेकार हो रहे थे, रैमको ने सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग किया और कर्मचारियों को काम शुरू करने से पहले उस जगह से गुजरते हुए कैमरों की तरफ देखने के लिए कहा गया। चेहरा पहचानने वाली तकनीक प्लांट में कर्मचारी की गतिविधियों पर नजर रखती है और काम शुरू करने में देरी के दूसरे कारणों का भी पता लगता है।

रियल टाइम डेटा

इस तकनीक की एक मुख्य विशेषता यह है कि ये रियल टाइम में डेटा उपलब्ध कराती है। समय आधारित दूसरी प्रणालियों, जैसे बायोमीट्रिक या आईडी कार्ड आदि में आंकड़ों का सिन्क्रोनाइज देरी से होता है और इसके चलते चेहरा पहचानने वाली तकनीक अधिक कारगर दिखाई देती है। रियल टाइम में निगरानी से कार्यक्षमता बेहतर करने में काफी मदद मिलती है।

वहीं, उपस्थिति दर्ज कराने वाली दूसरी तकनीकों के स्थान पर इसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा इस प्रणाली को आईओटी सेंसर और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली से भी जोड़ा जा सकता है। ऑफलाइन होने पर भी यह प्रणाली काम कर सकती है जिससे इंटरनेट की पहुंच से दूर वाली जगहों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका में कई जगहों पर ऐसा किया जा रहा है।

कर्मियों की निजता का ध्यान रखते हुए रैमको इस बात को सुनिश्चित करती है कि सॉफ्टवेयर चित्र के बजाय केवल बाइनरी डेटा ही सहेजे। सॉफ्टवेयर किसी भी व्यक्ति की फोटो को बाइनरी में बदलकर उसका सहेजे गए आंकड़े से मिलान करती है और व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करती है।

रैमको की चेहरा पहचानने वाली प्रणाली में व्यक्ति की उम्र पहचानने वाली तकनीक भी है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मी अपनी उम्र गलत न बता सके और कम उम्र वाले कर्मियों को काम पर न रखा जाए। इससे कंपनी कई शिफ्ट में काम करने वाले कर्मियों की भी पहचान कर पाती है।

नशे की हालत में काम पर आने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए रैमको ने ऑस्ट्रेलिया स्थित कंपनी द्वारा बनाई गई ब्रीथ एनालाइजर ऐप्लिकेशन एल्कोलाइजर के साथ साझेदारी की है। इस विशेषता को आईओटी तकनीक के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे प्रणाली में सेंध लगाने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

अगर किसी कर्मी को मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त पाया जाता है तो उसे कंपनी के सर्वर में बैकएंड पर चिह्नित कर दिया जाता है और वह कंपनी की किसी भी इकाई में प्रवेश नहीं कर सकता। रैमको के अनुसार पश्चिम एशिया की कुछ कंपनियों में इस प्रणाली का उपयोग हो रहा है।

रैमको का कहना है कि चेहरे से पहचान करने वाली प्रणाली और ब्रीथ एनालाइजर लगाने की शुरुआती लागत अधिक हो सकती है लेकिन इससे होने वाले लाभ से खर्चों की भरपाई हो जाती है। शिवा सुब्रमण्यम के अनुसार फिलहाल 25,000 जगहों पर रैमको की चेहरे से पहचान करने वाली प्रणाली का उपयोग हो रहा है और अगले 3-4 महीनों में ये आंकड़े दोगुने होने की उम्मीद है।

कंपनी फिलहाल सामान की पहचान करने वाली प्रणाली पर काम कर रही है जो ग्राहकों को नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और कारखाना परिसर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने में मदद कर सकता है।

कठिन डगर को पार कर एलेक्सा ने बोली हिंदी

विभु रंजन मिश्रा

एमेजॉन के कुछ उत्पाद में एलेक्सा है

आप एलेक्सा से उसके अविष्कारक का नाम पूछिए। एक सेकंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा क्योंकि शायद एमेजॉन लैब में विकसित करने के बाद उसे सबसे पहले यही सिखाया गया होगा। अगर आप एलेक्सा से पूछेंगे कि उसे इतना स्मार्ट किसने बनाया कि वह पल भर में भाषाएं सीख लेती हैं तो आपको कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बिग डेटा जैसी कई नई तकनीकों का नाम सुनने को मिलेगा।

हालांकि वह आपको शायद यह नहीं बता सकेगी कि इन विशेष शिक्षण विधियों से वह प्रतिदिन और स्मार्ट तथा सक्षम बनती जा रही है तथा इन तरीकों को विकसित करने करे लिए एक पूरी टीम पर्दे के पीछे बैठी काम कर रही है। इन प्रयासों के चलते एमेजॉन ने पिछले महीने घोषणा की कि अब एलेक्सा हिंदी भाषा को समझ बोल सकती है।

एलेक्सा की हिंदी परियोजना के पीछे चेन्नई में पैदा हुए प्रेम नटराजन की मुख्य भूमिका है और बेंगलूरु स्थित एमेजॉन मुख्यालय की यात्रा के दौरान बिज़नेस स्टैंडर्ड ने उनसे मुलाकात की। वह लॉस एंजलिस में रहते हैं और एलेक्सा एआई के उपाध्यक्ष तथा एमेजॉन पर नैचुरल लैंग्वेज के प्रमुख के तौर पर कार्यरत हैं।

बोस्टन के टफ्ट्स विश्वविद्यालय से मशीन लर्निंग में पीएचडी करने के बाद उन्होंने अमेरिका में शोध एवं विकास के क्षेत्र की कंपनियों में करीब दो दशक का समय बिताया। इसके अलावा उन्होंने ऑप्टिकल कैरेक्टर, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर भी अध्ययन किया। वर्ष 2015 तक नटराजन एलेक्सा की प्रगति को बाहर से देख रहे थे। जून 2018 में वह एमेजॉन आए और वहां हिंदी भाषा संबंधी परियोजना पर काम शुरू किया। उनकी देखरेख में बेंगलूरु में वैज्ञानिकों, भाषा जानकारों और डेटा वैज्ञानिकों की शोध टीम बनाई गई।

यह काम काफी जटिल था। नटराजन बताते हैं, 'हिंदी के साथ बहुत सी चुनौतियां है। पहली समस्या आंकड़ों की अनुप्लब्धता है। फिर, दूसरी वैश्विक भाषाओं के विपरीत, हिंदी में उच्चारण या लेखन का कोई मानकीकरण नहीं है।'

> 'हिंदी में आंकड़ों की अनुप्लब्धता और दिन प्रतिदिन बदलते उच्चारण तथा शब्दों के चलते हिंदी संबंधी तकनीक विकसित करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा'

आप 'प्यार' शब्द को लीजिए। 'दिल विल प्यार व्यार' फिल्म में इसे 'प्यार' कहा गया तो वहीं 'प्यार का पंचनामा' फिल्म में अंग्रेजी में एक अतिरिक्त 'ए' जोड़ दिया गया। प्यार को अंग्रेजी में लिखने पर एक अतिरिक्त 'ए' लिखने से सर्च इंजन सही खोज नहीं कर पाते। इसी तरह, देवनागरी लिपि में लिखे गए किसी भी शब्द को अलग-अलग जगह भिन्न तरीके से बोला जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग नदी को दरिया बोलते हैं तो कुछ दरीया। इसके अलावा, स्थानीय बोलियां और उच्चारण के चलते चीजें और मुस्किल हो जाती हैं। इस सबका अर्थ है कि उनकी टीम को हिंदी शब्दों के लिए अलग से प्रोसेसिंग प्रणाली विकसित करनी थी और शब्दों का मानकीकरण करना जरूरी था। भारतीय अंग्रेजी समेत दूसरी सभी भाषाओं के लिए एमेजॉन कैटेंटिव टेक्स्ट टू स्पीच (टीटीएस) तकनीक का उपयोग करती है। इसका अर्थ है कि सभी शब्दों को एक श्रृंखला में तैयार कर लिया जाता है या उन्हें विभिन्न हिस्सों में बांटकर एक नई आवाज में जोड़ दिया जाता है।

लेकिन हिंदी के लिए एलेक्सा ने 'न्यूरल टीटीएस' का उपयोग करने का निर्णय लिया जिसे मशीन लर्निंग का सबसे जटिल मॉडल माना जाता है। न्यूरल टीटीएस में इनपुट टेक्स्ट से सीधे स्पीच तैयार की जाती है और आवाज को अधिक प्राकृतिक बनाने की कोशिश होती है। नटराजन की टीम की दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि किसी भी नई फिल्म की रिलीज के बाद हिंदी के कुछ नए शब्द बाजार में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एलेक्सा से कहता है कि पीकू फिल्म का गाना चलाए, तो एलेक्सा के लिए पीकू बिल्कुल नया शब्द है। अगर तकनीक में इस समस्या का समाधान न किया जाए तो इससे ग्राहक अनुभव बेकार हो जाएगा।

नई समस्याएं नए उपाय लेकर आती हैं। नटराजन और उनकी टीम ने शब्दों के बजाए फोनेटिक को आधार बनाकर एक नई तकनीक विकसित की।

नटराजन कहते हैं, 'जब हम शब्दों या ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तो खोज अनुमान की सटीकता कम हो जाती है क्योंकि यह अनावश्यक परिणाम भी दे सकती है। इसका अर्थ है कि आपको सटीकता बढ़ाते हुए समस्या का समाधान करना होगा।' इसका यह भी अर्थ है कि मशीनों से सीखने को स्वचालित करना होगा क्योंकि इस तरह की समस्याओं का समाधान मानव स्तर पर करना काफी जटिल है। नटराजन की टीम ने सीखने की नई तकनीक विकसित करने के लिए डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का सहारा लिया जिससे एलेक्सा की स्वयं सीखने की क्षमता में तेजी लाई जा सके।

मशीन लर्निंग मुख्यत: इनपुट डेटा, स्पीच सिग्नल और ट्रांसस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। एल्गोरिद्म इससे सीखता है और एक मॉडल विकसित करता है। इसके बाद इन्फेरेंस सिग्नल इस मॉडल की सहायता से परिणाम देता है। इस मॉडल के तहत पहले से सीखे गए मॉडल के जरिये इनपुट देने का कोई तरीका नहीं है। वह कहते हैं, 'लेकिन डीप लर्निंग की सहायता से इसे दो तरीकों से सीखने के कारगर माध्यम में बदला जा सकता है। पहला, एक भाषा के दोबारा उपयोग हो सकने वाले संसाधन को दूसरी भाषा में बदलना। दूसरा, अधिक डेटा रखने वाले क्षेत्रों से जानकारी कम डेटा वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित करना।'

सक्रिय लर्निंग में किसी विशेष योग्यता स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण संबंधी डेटा की आवश्यकता नहीं होती। नटराजन कहते हैं, 'हमने कुछ मामलों में देखा है कि प्रशिक्षण के डेटा को काफी कम किया जा सकता है।' यहां स्व-अध्ययन का भी विकल्प होता है और एलेक्सा ग्राहकों के व्यवहार से स्वयं ही सीखती है तथा इस बात की भी जांच करती है कि दी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा एलेक्सा से एबीसीडी गाना चलाने के लिए कहता है और उसे देख रहे माता-पिता आकर कहते हैं कि वह 'अल्फाबेट गाना' चलाने के लिए कह रहा है तो मशीन समझ जाती है कि दोनों एक ही बातें हैं। अगली बार जब बच्चा एबीसीडी गाना चलाने के लिए कहेगा तो वह इसे अल्फाबेट गाने की तरह देखेगी और सही गाना चलाएगी। नटराजन के अनुसार, हिंदी को लॉन्च करने से मिली सीख से शोध एवं विकास टीम को नवाचार के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वह कहते हैं, 'हमने अंग्रेजी के लिए कभी भी फोनेटिक सर्च तकनीक विकसित नहीं की क्योंकि वहीं इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब अब यह उपलब्ध है तो इससे दूसरे देशों के लिए गुणवत्ता सुधार में भी सहायता मिलेगी।'

ड्रोन के सहारे आसान हो रहा खदान में खनन कार्य

वेदांत समूह के स्वामित्व वाली खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान की भूमिगत खदानों में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है

जयजित दास

ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट क्वींसलैंड में स्थित चांदी और सीसे की कैनिंगटन खदान में पहली बार साल 2017 में ड्रोन ने उड़ान भरी। भूमिगत खदानों में ड्रोन की मदद से सर्वे कराने में माहिर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एमीसेंट ने इस ड्रोन को बनाया था। कंपनी ने होवरमैन नामक एक नई प्रणाली विकसित की है जिसकी मदद से ड्रोन को टक्कर से बचाना, जीपीएस के बिना उड़ाना और स्लैम आधारित लाइट डिटेक्शन ऐंड रेंजिंग (लीडार) मैपिंग की जा सकती है।

दो वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ यह प्रयास अब भारत में भी कदम रख रहा है। जुलाई 2019 में वेदांत समूह के स्वामित्व वाली धातु और खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने राजस्थान की भूमिगत खदानों में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में भूमिगत खदानों के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाली वह पहली कंपनी है और इस काम में मदद के लिए उन्होंने भूमिगत ड्रोन तकनीक में माहिर कनाडा स्थित क्लिकमोक्स कंपनी को अपने साथ लिया है। एचजेडएल के मुख्य कार्याधिकारी सुनील दुग्गल कहते हैं, 'हमारा लक्ष्य है कि सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी कार्यों में तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जाए। सिंदेसर खुर्द वाली खदान में डिजिटल खदान का एक प्रोटोटाइप पहले से ही परिचालन में है। हम आने वाले तीन वर्षों में अपनी खदानों में स्वचलित खुदाई और ढुलाई, दूर से ही परिचालन को नियंत्रित करना, रियल टाइम में सामान ट्रैक करना और खदान की निगरानी करने जैसे विभिन्न कार्यों का मानकीकरण करने की योजना पर काम कर रहे हैं।'

फिलहाल एचजेडएल की राजस्थान के सिंदेसर खुर्द की सीसा खदान में इसका परीक्षण चल रहा है। इसके तहत ड्रोन द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों को जांचने का काम किया जा रहा है। गहन परीक्षण और परिणामों की जांच के बाद कंपनी का मानना है कि अब इसे सभी खदानों में पूरी तरह इस्तेमाल करने का समय आ गया है।

एचजेडएल में मुख्य तकनीकी और नवोन्मेष अधिकारी वरुण गोरेन कहते हैं, 'आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि अब बड़े पैमाने पर ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है लेकिन अभी कुछ महीनों तक परीक्षण जारी रहेगा। सिंदेसर खुर्द और आगूचा खदानों में परीक्षण चल रहा है और हम दूसरी जगहों पर भी परीक्षण शुरू करेंगे।' हिंदुस्तान जिंक फिलहाल दृश्यता सीमा तक उड़ान भरने वाले ड्रोन का उपयोग कर रही है और वह अगले वर्ष तक पूर्णतया स्वचलित ड्रोन के उपयोग का इंतजार कर रही है। एचजेडएल की ओंटेरियो स्थित तकनीकी प्रदाता क्लिकमोक्स सॉल्यूशंस इंक ऐसी पहली कंपनी है जिसने 3डी लिडार स्कैनिंग को यूएवी तकनीक के साथ मिला दिया है जिससे भूमिगत खदानों में आसानी से निरीक्षण किया जा सके। कंपनी एक कदम आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण डिजिटल खदान उपाय उपलब्ध करा रही है।

राजस्थान के सिंदेसर खुर्द की सीसा खदान में ड्रोन का इस्तेमाल

खदानों में ड्रोन बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे, स्कैनिंग, पहुंच से दूर वाले क्षेत्रों की जांच और टनल में निगरानी करना। ड्रोन के ऊपर लगा स्कैनर लीडार तकनीक का उपयोग करके चट्टानों की स्कैनिंग करता है और सटीक चित्र लेता है। सतह तक पहुंचने के बाद ड्रोन द्वारा संग्रहीत आंकड़े क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर को प्रसंस्करण के लिए भेज दिए जाते हैं और बैकएंड पर बैठी टीम आंकड़ों की जांच करती है।

> एचजेडएल को उम्मीद है कि ड्रोन तकनीक से होने वाले फायदे जल्द ही दिखाई देने लगेंगे

अपर्याप्त वेंटिलेशन के कारण दुर्गम या असुरक्षित क्षेत्रों में ड्रोन सबसे अधिक सहायक होते हैं। गोरेन बताते हैं, 'मानव सर्वे में आप चट्टानों के पार नहीं जा सकते क्योंकि वहां पत्थरों के गिरने का खतरा रहता है। लेकिन ड्रोन काफी आसानी से ऐसा कर सकता है। अगर आप पारंपरिक तरीके से किए गए सर्वे की तस्वीर को ड्रोन की तस्वीर के साथ तुलना करेंगे तो आपको बहुत अधिक अंतर दिखेगा।' ड्रोन तकनीक अयस्क की रिकवरी के बारे में अधिक जानकारी देने और खदानों में खुदाई का करीबी चित्रण करने में मदद करती है। इसमें लगे सेंसर तापमान और आर्द्रता को रिकॉर्ड करती है और किसी अनहोनी का अनुमान लगाती है जो किसी दूसरे तरीके से करना काफी मुश्किल है।

भूमिगत खदानों में खुली खदानों के मुकाबले काफी जटिल परिस्थितियां होती हैं। सिंदेसर खुर्द और आगूचा खदानों में 500 मीटर से एक किलोमीटर तक खुदाई की जाती है। गोरेन कहते हैं, 'इसका अर्थ है कि ड्रोन को विशेष तौर पर भूमिगत खदानों के हिसाब से बनाना होगा, जिसमें मजबूती भी अहम कारक होगी।' इसलिए, 3डी लेजर स्कैनिंग और मैपिंग प्रणाली से लैस ड्रोन, 'माइनफ्लाई' विशेषतौर पर जीपीएस की अनुप्लब्धता वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। सुगठित और कम वजन वाले इस ड्रोन में 3 डी लेजर स्कैनर, एलईडी लाइट, सोनार सेंसर, एचडी कैमरा और कई निम्न रिजॉल्यूशन वाले कैमरे लगे हैं।

एचजेडएल को उम्मीद है कि ड्रोन तकनीक से होने वाले फायदे जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। कम संसाधन और लगभग पहले जितनी या उससे कम लागत पर कंपनी ने ड्रोन के पूर्ण परिचालन के बाद अपनी उत्पादकता में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।

ऋणदाता खुद कहे तो भी जरूरत से ज्यादा कर्ज न लें

कमजोर साख वाले ग्राहकों को कर्ज देने पर जोर दे रही एनबीएफसी, कर्जदाता ध्यान रखें कि कर्ज लौटाने में चूके तो भुगतना होगा खमियाजा

संजय कुमार सिंह

अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद पड़ने का असर सुरक्षित ऋण यानी आवास ऋण, संपत्ति के बदले ऋण और कार ऋण पर साफ नजर आ रहा है। क्रेडिट कार्ड पर कर्ज या पर्सनल लोन की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है क्योंकि आपात स्थिति से निपटने के लिए या मनाचाहा मगर महंगा सामान खरीदने के लिए लोग ऐसे कर्ज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसयूनियन सिबिल की एक हालिया रिपोर्ट में अनूठी बात पता चली है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज देने वाली संस्थाओं खास तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने बिलो-प्राइम यानी सामान्य से कम साख या कम रेटिंग वाले ग्राहकों को जमकर कर्ज देना शुरू कर दिया है। 2019 की दूसरी तिमाही में क्रेडिट-कार्ड पर बकाया राशि 2018 की दूसरी तिमाही की बकाया राशि से 34.3 फीसदी ज्यादा हो गई थी। ट्रांसयूनियन सिबिल से मिले आंकड़ों के मुताबिक उसी अवधि में पर्सनल लोन में 35 फीसदी इजाफा हुआ था। मगर वाहन ऋण में 10.9 फीसदी, आवास त्रण में 14.5 फीसदी और संपत्ति गिरवी रखकर लिए गए कर्ज में केवल 16.7 फीसदी का इजाफा हुआ था। जाहिर है कि सुरक्षित ऋण में असुरक्षित ऋण के मुकाबले काफी कम इजाफा देखा गया।

बिलो-प्राइम पर जोर

क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन दोनों ही मामलों में ऋणदाताओं ने अपना बाजार बदल लिया है। अब वे बिलो-प्राइम यानी कमजोर साख या कर्ज चुकाने की कमजोर क्षमता वाले ग्राहकों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। 2019 की दूसरी तिमाही में करीब 32.1 फीसदी नए क्रेडिट कार्ड ऐसे ग्राहकों को दिए गए, जिनके साथ जोखिम ज्यादा था। 2018 की दूसरी तिमाही में नए कार्ड पाने वालों में ऐसे ग्राहकों की हिस्सेदारी केवल 26.4 फीसदी थी। पर्सनल लोन की बात करें तो एनबीएफसी ने इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में हरेक ग्राहक को औसतन 41,000 रुपये बतौर कर्ज दिए, जबकि उससे साल भर पहले वे औसतन 1.1 लाख रुपये दे रही थीं। जाहिर है कि एनबीएफसी ग्राहकों को अब बतौर कर्ज कम राशि दे रही हैं। ट्रांसयूनियन सिबिल में उपाध्यक्ष (शोध एवं परामर्श) अभय केलकर कहते हैं, 'अब कम राशि के कर्ज देने पर एनबीएफसी का जोर है ताकि उपभोक्ताओं की बड़ी तादाद उनके पास हो।' ज्यादा जोखिम वाले ग्राहकों की ओर रुझान पर्सनल लोन में ज्यादा देखा गया। इस साल की दूसरी तिमाही में जो नए पर्सनल लोन दिए गए, उनमें करीब 44.8 फीसदी बिलो-प्राइम ग्राहकों को दिए गए थे, जबकि 2018 की दूसरी तिमाही में नए पर्सनल लोन में ऐसे ग्राहकों की संख्या केवल 36.4 फीसदी थी। ट्रांसयूनियन सिबिल के आंकड़े बताते हैं एनबीएफसी से जारी नए पर्सनल लोन में तकरीबन 50 फीसदी बिलो-प्राइम ग्राहकों को ही गए थे।

इस तरह एनबीएफसी समेत सभी कर्ज देने वाली संस्थाएं कमजोर साख वाले ग्राहकों को रिझाने में लगी हुई हैं। पैसाबाजार डॉटा कॉम के मुख्य कार्याधिकारी और सह-संस्थापक नवीन कुकरेजा कहते हैं, 'आवास त्र्ऋण और वाहन ऋण जैसी सुरक्षित कर्ज वाली श्रेणियों में जो सुस्ती नजर आ रही है, शायद उसकी भरपाई के लिए ही ऋणदाता ऐसे ग्राहकों को ज्यादा कर्ज दे रहे हैं।'

कर्जदारों के क्रेडिट स्कोर सुधारने में महारत रखने वाले विशेषज्ञ और 'अनलॉक द पावर ऑफ योर क्रेडिट स्कोर' किताब के लेखक अरुण राममूर्ति समझाते हैं, 'कई एनबीएफसी ने फिनटेक कंपनियों के साथ भागीदारी की है। फिनटेक कंपनियों ने वैकल्पिक स्कोरिंग मॉडल तैयार किए हैं जिनके आधार पर वे उन लोगों को ऋण देती हैं जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता है या फिर क्रेडिट स्कोर काफी कमजोर होता है। इससे संबंधित विश्लेषण का प्रबंधन फिनटेक कंपनी द्वारा किया जाता है जबकि उधारी प्रक्रिया एनबीएफसी के बहीखाते के जरिये होती है।'

क्रेडिट स्कोर का दायरा 300 से 900 के बीच होता है। 651-700 का क्रेडिट स्कोर वालों को नियर-प्राइम के तौर पर शामिल किया जाता है जबकि 300-650 के दायरे में स्कोर को सबप्राइम श्रेणी में रखा गया है।

कैसे सुधारें क्रेडिट स्कोर

- सभी बकाया रकम का भुगतान करें
- यदि आपके लिए सामान्य तरह के ऋण संभव नहीं रह गए हों तो क्रेडिट कार्ड पर ध्यान दें
- इसे विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें। क्रेडिट लिमिट का 30-40 प्रतिशत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें
- जब आपका स्कोर कम हो तो ऋणों के लिए ज्यादा पूछताछ से परहेज करें
- इस तरह की पूछताछ को ऋण भूख के संकेत के तौर पर देखा जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर और कमजोर हो सकता है

ऋण का करें प्रबंधन

इस तरह के बदलावों का मतलब है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन बिलो-प्राइम श्रेणियों में ग्राहकों के लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। इन ग्राहकों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे सिर्फ इस वजह से बहुत ज्यादा ऋण न लें कि ऋण आसानी से उपलब्ध है। केलकर कहते हैं, 'मासिक किस्तों (ईएमआई) का कुल योग व्यक्ति की सकल मासिक आय के 30-40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।' वह कहते हैं कि जो लोग पहले से ही घर और कार ऋण ले चुके हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ऋण लेकर अपना कर्ज बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए।

समय पर पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुकाने पर जुर्माने के तौर पर हर महीने 2 प्रतिशत तक की भारी ब्याज दर का भुगतान करना पड़ सकता है। कुकरेजा का कहना है, 'कर्जदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने बचत खातों में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर अपनी ईएमआई की स्वत: निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए।' क्रेडिट कार्ड धारकों को सिर्फ उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि वे अगले बिल तक चुका सकें। भुगतान चूक की स्थिति में गैर-भुगतान वाली रकम पर 47 प्रतिशत तक का भारी भरकम सालाना शुल्क चुकाना पड़ता है। यदि कर्जदार बकाया न्यूनतम रकम भी चुकाने में विफल रहता है तो उस पर 1,000 रुपये का विलंबित भुगतान शुल्क लग सकता है।

क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को 30 प्रतिशत से अधिक के क्रेडिट इस्तेमाल अनुपात को पार करने से बचना चाहिए। यह अनुपात कार्ड पर मौजूदा कुल क्रेडिट सीमा के लिए इस्तेमाल प्रतिशत है। कुकरेजा का कहना है, '30 प्रतिशत अनुपात को पार करना ऋण भूख का संकेत माना जाता है और इससे क्रेडिट ब्यूरो को क्रेडिट स्कोर घटाने में मदद मिलती है।' बिलो-प्राइम कर्जदार द्वारा भुगतान चूक से उसका क्रेडिट स्कोर और कमजोर पड़ जाएगा। राममूर्ति कहते हैं, 'कमजोर क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि ग्राहक भविष्य में औपचारिक ऋण के किसी स्वरूप तक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं रह जाएगा।' उनका कहना है कि आज किसी का क्रेडिट स्कोर ऋण से ज्यादा मायने रखता है। कंपनियां प्रमुख नौकरियों और निदेशक की जिम्मेदारी के लिए भी संभावनाओं का स्कोर देखती हैं।

कर्ज बोझ घटाएं

जिस व्यक्ति का कर्ज बोझ निर्धारित एवं विवेकपूर्ण सीमा को पार कर गया है, उसे तुरंत इसे घटाने के कदम उठाने चाहिए। एक विकल्प है लिक्विड परिसंपत्तियों की बिक्री करना। अन्य है अतिरिक्त खर्च में कमी लाना, जैसे महंगे हॉलिडे पैकेज, बाहर खाना आदि।

ज्यादा कर्ज के बोझ से दबे लोगों को ऋण समेकन विकल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने के लिए अच्छा तरीका कम ब्याज दर वाले नए ऋण लेना और इसका इस्तेमाल ऊंची ब्याज दर वाले ऋणों को चुकाने में करना। कम ब्याज दर के साथ साथ लंबी अवधि के ऋण से मासिक अदायगी बोझ घटेगा और इससे ऊंची दरों से बचने में मदद मिलेगी। ऊंची ब्याज दरों पर पर्सनल लोन लेने वाले लोग अपना बकाया कम ब्याज दर वाले अन्य बैंक में स्थानांतरित करा सकते हैं। इसी तरह तय तारीख तक पूरा बकाया चुकाने में परेशानी महसूस कर रहे क्रेडिट कार्ड धारक भी अपनी बकाया राशि को लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर ईएमआई में तब्दील करा सकते हैं।

कई तरह के ऋण या बड़े क्रेडिट कार्ड बकाया से जुड़े मौजूदा आवास ऋण ग्राहक टॉप-अप होम लोन ले सकते हैं। ये ऋण कम ब्याज दरों (8.55-11.95 प्रतिशत) और लंबी अवधि (7-30 वर्ष) के लिए होते हैं।

वसीयत में कोडिसिल के जरिये कर सकते हैं छोटे-मोटे बदलाव

सरबजीत के सेन

क्या आपने वसीयत लिखी है, जिसमें अपने जीवनकाल के बाद अपनी संपत्तियों के बंटवारे की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं? नई वसीयत लिखना, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, पुरानी वसीयत को खत्म करना और नई वसीयत को सुरक्षित जगह पर रखना एक लंबी प्रक्रिया है और ज्यादातर लोग इससे बचना चाहेंगे। क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है? यह तरीका कोडिसिल (परिशिष्ट) लिखना हो सकता है।

कोडिसिल वसीयतकर्ता द्वारा मौजूदा वसीयत में कुछ संशोधन करने के लिए तैयार किया जाने वाला दस्तावेज है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में वरिष्ठ समूह उपाध्यक्ष और प्रमुख (न्यास एवं एस्टेट योजना) नेहा पाठक कहती हैं, 'कोडिसिल वसीयत का विकल्प नहीं है। यह एक संशोधन है, इसलिए इसे हमेशा वसीयत के सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए। इस पर वसीयतकर्ता और कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गवाह वसीयत या कोडिसिल के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं।' अगर कोई अदालत किसी वसीयत को निरस्त करती है तो इससे जुड़ी कोडिसिल भी निरस्त हो जाती हैं।

आम तौर पर कोडिसिल का इस्तेमाल छोटे-मोटे बदलावों के लिए किया जाता है। इनहेरिटेंसनीड्स डॉट कॉम के संस्थापक और इनिशिएटर रजत दत्ता ने कहा, 'अगर बदलाव 'ऑबजेक्ट मैटर (वसीयत में दी जाने वाली संपत्तियों) या 'सबजेक्ट मैटर' (प्राप्तकर्ता) में है तो वसीयतकर्ता मूल वसीयत मे कोडिसिल के जरिये संशोधन कर सकता है।'

प्रारूप की प्रक्रिया

कोडिसिल लिखने की प्रक्रिया वसीयत लिखने के समान ही है। इस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग बेहतर रहेगी। हालांकि कानून में इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग यह साबित करने में मदद करती है कि वसीयत और कोडिसिल वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के अपनी मनमर्जी से लिखी है। इसे लिखे जाने की वजह भी बताई जानी चाहिए। कोडिसिल में सभी बदलावों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। पहले पैराग्राफ में ही यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह किस चीज से संबंधित है। इसमें वसीयत के उस खंड, पैराग्राफ या ऑबजेक्ट का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसे वसीयतकर्ता संशोधित या हटाना चाहता है। इसमें साफ तौर पर यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि वसीयत में कहां और क्या जोड़ा जाना है। हर कीमत पर अस्पष्टता से बचा जाना चाहिए।

> हालांकि अगर आपको बड़े बदलाव करने हैं तो पूरी तरह एक नई वसीयत लिखना होगा बेहतर

दत्ता कहते हैं कि यह जरूरी है कि कोडिसिल में क्लोजर क्लॉज के रूप में निम्न होने चाहिए- 'अगर... तारीख को हस्ताक्षरित कोडिसिल का कोई बयान ... तारीख को हस्ताक्षरित मेरी पिछली वसीयत और टेस्टामेंट का विरोधाभासी है तो इस कोडिसिल की बातें लागू होंगी। अन्य विषयों में मैं मेरी पिछली वसीयत और टेस्टामेंट की फिर से पुष्टि और पुनर्प्रकाशन करता हूं।'

वसीयत की तरह कोडिसिल को भी पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी वसीयत का पंजीकरण कराया है तो कोडिसिल को भी पंजीकृत कराएं। दत्ता ने कहा, 'इससे कोडिसिल को ज्यादा प्रामाणिकता मिलेगी और मुकदमेबाजी से मिलने में मदद मिलेगी। अगर वसीयत (आंशिक या पूरी तरह) की जगह कोडिसिल लेती है, जो पंजीकृत नहीं है तो वसीयत को पंजीकृत कराने का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।'

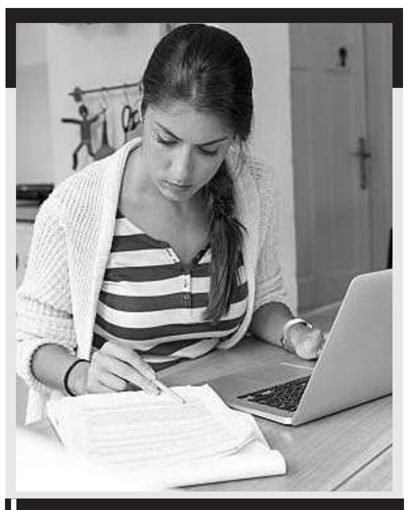

कब बनाएं कोडिसिल

- अगर परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है और आप उस नए बच्चे को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देना चाहते हैं
- अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और आप उसका हिस्सा किसी अन्य को देना चाहते हैं
- अगर आपने भूखंड जैसी कोई नई संपत्ति खरीदी है
- वसीयत में किसी अस्पष्टता को दूर करने में। उदाहरण के लिए अगर किसी वसीयतकर्ता ने अपनी जमीन अपने बेटों के नाम लिखी है, लेकिन यह नहीं लिखा कि कौनसा भूखंड किस बेटे को मिलना चाहिए

कब बनाए नई वसीयत का प्रारूप

कोडिसिल का इस्तेमाल छोटे-मोटे बदलावों के लिए करना बेहतर है। अगर आप अपनी वसीयत को पूरी तरह बदलने जा रहे हैं तो नई वसीयत लिखने पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने अपनी मूल वसीयत में अपना पूरा पैसा अपने बेटों को देने का फैसला किया था और अब इसे धमार्थ के लिए देना चाहते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है और इसके लिए नई वसीयत की जरूरत है। कई बार लाभार्थी वही रहते हैं, लेकिन वसीयतकर्ता उनकी हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव करना चाहता है। ऐसी स्थिति में भी नई वसीयत लिखना तर्कसंगत है।

अगर आपने बीते समय में बहुत सी कोडिसिल लिखी हैं या आपकी संपत्ति में अहम बदलाव आया है तो नई वसीयत लिखी जानी चाहिए। बहुत सी कोडिसिल वसीयत के आसानी से क्रियान्वयन में बाधक बनती हैं क्योंकि एक्जीक्यूटर के लिए सभी इच्छाओं को लागू करना पेचीदा होता है। पाठक ने कहा, 'बहुत सी कोडिसिल से लाभार्थियों में भ्रम पैदा होता है और अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। अगर बहुत सी कोडिसिल हैं तो पुरानी वसीयत और कोसिसिल को रद्द करना और ऐसी नई वसीयत लिखना ज्यादा तर्कसंगत होगा, जिसमें सभी संशोधन शामिल होंगे।' वह कहते हैं कि पहले की वसीयत और कोडिसिल को नष्ट किया जाना चाहिए।

कई जगहों पर रखें रकम ताकि बात बिगड़े तो तकलीफ हो कम

आपातकाल के लिए रखी गई रकम को विभिन्न योजनाओं में लगाना चाहिए। तीन से छह महीने के खर्च के लिए रकम आपातकालीन कोष में रखनी चाहिए

बिंदिशा सारंग

एचडीएफसी बैंक के ग्राहक पिछले सोमवार को हैरत में पड़ गए, जब नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। यह सिलसिला दो दिन तक जारी रहा और दोनों में से कोई भी सुविधा काम नहीं कर सकी। बैंक ने दावा किया कि यह तकनीकी गड़बड़ी है और उसे दूर करने की कोशिश जारी है। लेकिन लाखों ग्राहकों को इस गड़बड़ी की मार झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा दिक्कत शायद वेतनभोगी वर्ग को हुई होगी क्योंकि महीने की शुरुआत थी और अधिकतर लोगों का वेतन उसी समय खातों में आता है।

नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ही नहीं कुछ शाखाओं पर भी दिक्कत देखी गई। मुंबई में प्रमाणित वित्तीय योजनाकार पंकज मठपाल बैंक की एक शाखा पर पहुंचे। उन्होंने बताया, 'शनिवार को कुछ शाखाओं पर भी सर्वर डाउन थे और लेनदेन नहीं हो पा रहा था। मैंने दूसरी शाखा में जाने का मन बनाया, लेकिन मुझे बताया गया कि उन शाखाओं में भी यही गड़बड़ी है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा दूसरा बैंक खाता भी है।' मठपाल के सामने कोई आपात स्थिति नहीं थी, लेकिन सोमवार तक हजारों लोग भौंचक्के रह गए थे क्योंकि वे अपने घर में काम करने वालों या ड्राइवरों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। कुछ लोग नेट बैंकिंग के जरिये बिल चुकाते थे। वे वक्त पर बिल नहीं चुका सके और कुछ लोग अपने परिवारों को ऑनलाइन रकम नहीं भेज सके। मुंबई की मनीषा एस (अनुरोध पर नाम बदला हुआ) बताती हैं, 'मेरा सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, जहां मेरा वेतन आता है। मैंने आपात स्थिति के लिए कुछ रकम भी उसी खाते में रख दी है। मैं दूसरे शहर में रहने वाले अपने परिवार को कुछ रकम भेजना चाहती थी, लेकिन नहीं भेज पाई।' जो एचडएफसी बैंक के साथ हुआ, उससे सबक मिलता है कि आपात स्थिति के लिए रकम जमा करना ही काफी नहीं है। उसे अलग-अलग जगहों पर जमा करना ज्यादा जरूरी है।

कई खाते खोलिए

वित्तीय योजनाकार हमेशा विविधीकरण पर जोर देते हैं। मठपाल समझाते हैं, 'कम से कम दो बैंक खाते रखिए - एक किसी निजी बैंक में और दूसरा सरकारी बैंक में।' अगर आप किसी एक खाते का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप दूसरे खाते में मौजूद रकम निकाल सकेंगे।

मठपाल कहते हैं, 'याद रखिए, अगर एटीएम काम कर रहे हों तो भी आपके हाथ बंधे रहेंगे क्योंकि एटीएम से एक दिन में एक निश्चित सीमा तक ही रकम निकाली जा सकती है। इसलिए अगर दो अलग-अलग बैंकों में आपके खाते हैं तो आपको दो जगह से रकम निकाल पाएंगे यानी दोगुनी रकम निकालने की सुविधा आपके पास होगी। इसलिए दो खाते खुलवाना हमेशा अच्छा रहेगा।' लेकिन उत्साह में दो से ज्यादा बचत खाते खुलवाने न पहुंच जाएं क्योंकि इससे आप अपनी रकम का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे।

नकदी का जवाब नहीं

सबसे ज्यादा तरलता नकदी में होती है, जो फौरन काम आती है। इसीलिए आपात स्थिति के लिए जो भी रकम आपने इकट्ठी की है, उसका एक हिस्सा घर में नकदी के रूप में रखा होना चाहिए। मुंबई में प्रमाणित वित्तीय योजनाकार किरण तैलंग का सुझाव है, 'मुंबई जैसे महानगर में अगर आप घर पर 15-20 हजार रुपये नकद रखते हैं तो आपका काम चल जाना चाहिए।' मगर ध्यान रहे कि आपको अनुशासन नहीं खोना है और आपात स्थितियों के लिए रखी रकम खर्च नहीं करनी है।

आपात कोष बनाएं

- तकनीकी गड़बड़ी के कारण एचडएफसी बैंक का सर्वर डाउन होने से लेनदेन नहीं हो पाया
- इससे सबक मिलता है कि आपात स्थिति के लिए रकम जमा करना ही काफी नहीं है
- रकम को अलग-अलग जगहों पर जमा करना ज्यादा जरूरी है
- संभव हो तो तीन से छह महीने का खर्च आपातकालीन कोष के रूप में अलग रखना चाहिए

लिक्विड फंड

आपात स्थिति से निपटने के लिए जमा रकम का कुछ हिस्सा आप घर में रख लेते हैं और बाकी हिस्सा बैंकों में अपने खातों में डाल देते हैं। लेकिन क्या बैंक खातों के अलावा कोई और विकल्प भी है? जवाब है, हां। इस रकम को लिक्विड फंडों में भी डाला जा सकता है। मठपाल कहते हैं, 'बचत खाते के डेबिट कार्ड की ही तरह निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड जैसे लिक्विड फंडों के साथ भी एक डेबिट कार्ड आता है। इस डेबिट कार्ड की मदद से आप अपने लिक्विड फंड में रकम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। एक दिन में आप योजना में मौजूद रकम का अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं और यह रकम 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लिक्विड फंड योजना से कोई भी व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपये निकाल सकता है।' दिलचस्प है कि इस कार्ड का इस्तेमाल खरीदारी के लिए भी किया जा सकता है। आप एक दिन में कुल जमा राशि की 50 फीसदी रकम के बराबर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

म्युचुअल फंड भुनाएं

दिक्कत यह है कि ज्यादातर लिक्विड फंडों के साथ डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं होती। इसलिए तैलंग कुछ अलग किस्म का मशविरा देते हैं। उनका कहना है, 'अपनी फंड कंपनी में हमेशा कई बैंक खातों वाला पंजीकरण फॉर्म भरिए ताकि जब भी आप फंड भुनाएं तो उससे मिली रकम किसी एक खाते में नहीं जाए बल्कि उसी खाते में भेजी जाए, जिसमें आप चाहते हों।' आप म्युचुअल फंड में पंजीकरण के समय अधिकतम 5 बैंक खाते जुड़वा सकते हैं। आप जो भी यूनिट बेचेंगे, उससे आने वाली रकम इनमें से किसी भी खाते में भेजी जा सकती है। मगर ध्यान रहे कि एक से अधिक खाते खुलवाने का विकल्प आपको उसी वक्त मिलेगा, जब आप पंजीकरण फॉर्म भर रहे हैं और आपको यह सेवा शुरू कराने के लिए अग्रिम यानी पहले से ही अनुरोध करना पड़ेगा।

जहां तक संभव हो, तीन से छह महीने का खर्च आपातकालीन कोष के रूप में अलग रख लेना चाहिए। तैलंग कहते हैं, 'आपात स्थितियों के लिए जो भी रकम आपने बचाई है, उसे किस-किस जगह रखना है, यह पूरी तरह आपकी पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है। कई लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिक्विड फंड में डालना चाहेंगे और बाकी रकम दोनों बैंक खातों में रखना पसंद करेंगे। साथ ही अधिक से अधिक 20,000 रुपये नकदी के रूप में घर पर रखने की भी उनकी इच्छा होगी। हो सकता है कि वरिष्ठ नागरिक इस राशि का बड़ा हिस्सा अपने बैंक बचत खातों में रखना चाहें।' ज्यादातर लोगों के लिए रकम बांटने का आदर्श अनुपात यह हो सकता है कि 55 फीसदी रकम लिक्विड फंडों में डाली जाए, 20-25 फीसदी दोनों बचत खातों में रखी जाए और 2 से 5 फीसदी रकम नकदी के रूप में घर में रख ली जाए।

शक्तिकांत दास: शांति से काम को अंजाम

आरबीआई और सरकार के बीच कई मौकों पर मतभेद रहे, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने इन्हें सार्वजनिक नहीं होने दिया

आईएमएफ ने 13 अप्रैल को कहा-

'भारत की औसत वृद्धि दर पिछले कुछ वर्षों के दौरान 7.5 फीसदी रही है, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। लेकिन भारत को 7.5 फीसदी से अधिक दर से वृद्धि की जरूरत है। असल में भारत को गरीबी की समस्या खत्म करने के लिए करीब 8 फीसदी की दर से बढ़ने की जरूरत है।'

'क्षेत्रीय या बहुपक्षीय वित्तीय सुरक्षाओं की मौजूदा स्थिति ऐसे उतार-चढ़ाव से आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा उभरते बाजारों को अहम केंद्रीय बैंकों से विनिमय की सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत से उभरते बाजारों पर मुद्रा में भारी उतार-चढ़ाव के स्पष्ट वृहद आर्थिक असर नजर आ रहे हैं।'

आरबीआई गवर्नर के रूप में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-

'मैं आरबीआई और सरकार के बीच टकराव से जुड़े मसलों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हर संस्थान को अपनी स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए।'

'मैं एक संस्थान के रूप में आरबीआई की स्वायत्तता और विश्वसनीयता बनाए रखूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह यथावत बनी रहे।'

5 दिसंबर को मौद्रिक नीति समीक्षा में

'सरकार और आरबीआई वृद्धि को फिर से तेज करने का राष्ट्रीय उद्देश्य हासिल करने के लिए आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे। यह किसी एक संस्था की समस्या नहीं है।'

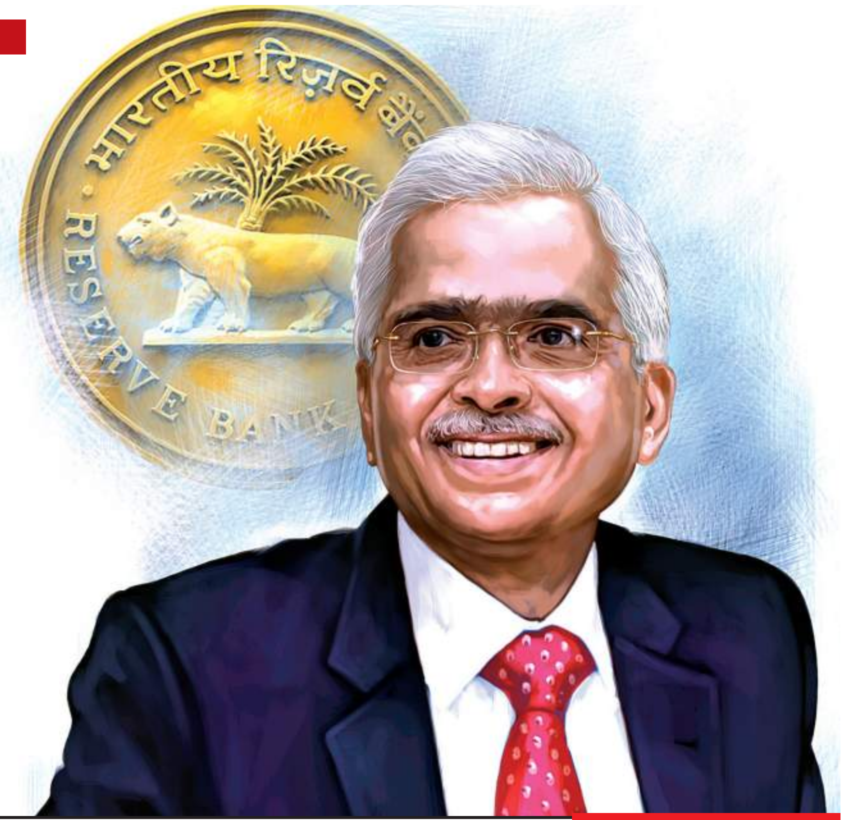

अनूप रॉय

ऊर्जित पटेल के इस्तीफे के एक दिन के भीतर केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास को 11 दिसंबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का गवर्नर नियुक्ति किया गया। उस समय अत्यधिक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक को वित्त मंत्रालय के विभाग में तब्दील किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे।

दास को आरबीआई का गवर्नर बने करीब एक साल हो गया है और पहले की चर्चाएं अब कमजोर पड़ गई हैं। आरबीआई पर नजर रखने वाले और अंदर के लोगों का कहना है कि दास अपने प्रतिभाशाली पूर्ववर्तियों की तरह शांति से अपने काम को अंजाम देने वाले साबित हुए हैं। केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने का आग्रह करते हुए कहा, 'यह संभव है कि जब आप आरबीआई में आएं तो सरकारी आदमी हों। लेकिन छह महीने पद पर रहने के बाद आप पर आरबीआई का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और आप खुद को आरबीआई का गवर्नर बनने से नहीं रोक पाते हैं।'

दास बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं हैं। असल में वह प्रशिक्षण के लिहाज से अर्थशास्त्री नहीं हैं। केवल वह वित्त मंत्रालय से जुड़े रहे हैं। लेकिन आरबीआई के पर्यवेक्षकों का कहना है कि उन्होंने स्वाभाविक रुझान दिखाए हैं, जिन्होंने मौजूदा समस्याओं के सबसे उचित समाधान मुहैया कराए हैं। ये समस्याएं पिछले एक साल के दौरान बहुतायत में रही हैं क्योंकि आर्थिक वृद्धि घटकर 2012-13 के निचले स्तरों पर आ गई है, क्षमता उपयोग घटा है और बैंक ऋण में वृद्धि भी धीरे-धीरे घटने लगी है।

आरबीआई के कर्मचारी दास को एक सज्जन, मृदुभाषी और संतुलित व्यक्ति मानते हैं, जिनसे उनके कनिष्ठ सहयोगी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दास आरबीआई की कैंटीन में जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। कर्मचारियों को सेल्फी के लिए कभी निराश नहीं करते हैं। कार्यक्रमों में दोनों हाथ जोड़कर कर्मचारियों का अभिवादन करते हैं और लंबे समय से बरकरार पेंशन के मुद्दों का समाधान निकालकर उनका भरोसा जीतते हैं।

इसके अलावा वह अपने सहयोगियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई सुरक्षित हाथों में है और यह वित्त मंत्रालय के दखल का केंद्र नहीं बनेगा। वह अपने सहयोगियों को चिंतित नहीं होने का भरोसा देते हैं।

ऐक्सिस बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य ने कहा, 'गवर्नर दास ने मौद्रिक नीति, ऋण देने, बैंकिंग नियमन या पूंजी खाते को उदार बनाने जैसे कई मसलों में नपे-तुले उपाय लागू किए हैं। उन्होंने सरकार के साथ नीतिगत मसलों पर प्रभावी समन्वय किया है।'

दास की अगुआई में आरबीआई के लिए वृद्धि हमेशा एक प्रमुख एजेंडा रहा है। उन्होंने अपनी पहले संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने वादा किया था कि वह जितना संभव हो सकेगा, उतना मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे, आरबीआई की स्वायत्तता बनाए रखेंगे। लेकिन 'सरकार न केवल एक भागीदार है बल्कि देश एवं अर्थव्यवस्था को चलाती है और प्रमुख नीतिगत फैसले लेती है। इसलिए सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत जरूरी है।'

दास ने कहा था कि महंगाई का लक्ष्य करना आरबीआई का काम है। लेकिन आरबीआई अधिनियम में वृद्धि का भी जिक्र है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को तेज बनाए रखना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी वजह से मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई गिरकर डेढ़ फीसदी आने पर भी दरों को ऊंची रखने की नीति नहीं अपनाई। फरवरी से दास की अगुआई में आरबीआई ने पांच बार में दरों में 135 आधार अंक की कटौती की है।

दास के गवर्नर बनने के तुरंत बाद आरबीआई ने द्वितीयक बाजार से बॉन्ड खरीदारी के जरिये बैंकिंग प्रणाली में तीन लाख करोड़ रुपये की नकदी झोंकी है। उन्होंने छह बैंकों को प्रतिबंधात्मक त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर निकाला है। हालांकि दास ने फंसे ऋण नहीं दिखाने वाले बैंक प्रबंधन को लेकर कोई उदारता नहीं दिखाई है। आरबीआई लगातार उन बैंकों पर जुर्माने लगा रहा है, जो बैंकिंग दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने मौद्रिक बाजार की दरें 137 आधार अंक घटाकर इनका लाभ ग्राहकों तक सुनिश्चित करने की कोशिश की है। बैंकों के पूरी तरह अपने पोर्टफोलियो को बाजार आधारित बेंचमार्कों के दायरे में लाने से ऋण दरों में यह असर दिखेगा। दास की अगुआई में आरबीआई की यह भी उपलब्धि है। दास सार्वजनिक तौर पर सरकार के साथ मतभेद जाहिर करने में यकीन नहीं रखते। जब उनसे सरकार के उन कदमों के बारे में सवाल किए गए जिस पर आरबीआई को एतराज हो सकता था तब उनका एक ही जवाब होता था, 'हमें इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहना है उसके बारे में सरकार को सूचना दे दी गई है।' जबकि ऊर्जित पटेल मीडिया के कई सवालों का जवाब देते थे हालांकि उनके जवाब भी तयशुदा ही होते थे।

दिक्कत की बात यह भी है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में सरकार की राजकोषीय फिजूलखर्ची पर कुछ भी नहीं कहा जाता। विश्लेषक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार राजकोषीय स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहती है उस पर दास और आरबीआई को पूरा यकीन है। वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में संशोधन भी मौजूदा रुझानों के असर को महसूस करने के बाद किया गया था।

लेकिन दिसंबर में आरबीआई ने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। इसने चुप्पी साध ली और मंदी से जुझने के लिए गेंद सरकार के पाले में डालने को तरजीह दी।

उनका कहना है कि वृद्धि दर बढ़ाने के राष्ट्रीय स्तर के प्रयास में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में एक करीबी तालमेल होना जरूरी है इनमें समन्वय जरूरी है। हालांकि यह बात देर से महसूस हुई है कि अगर चीजें गलत होती हैं जिसकी ज्यादा संभावना दिख रही है तब केंद्रीय बैंक को काफी सावधानी बरतनी होगी।

एलऐंडटी फाइनैंस ग्रुप की मुख्य अर्थशास्त्री रूपा रेगे नित्सुरे ने बताया, 'दास ने सलाहकारी प्रक्रिया फिर से शुरू की। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह आरबीआई में ऐसे वक्त में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जब मौद्रिक नीति एक सीमा के बाद प्रभावी नहीं हो सकती है।' केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, 'आरबीआई के गवर्नर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते। वह एनबीएफसी संकट से सफलतापूर्वक निपटे और सहकारी बैंक से जुड़े संकट को भी उन्होंने बड़ी चतुराई से संभाला।' विचार-विमर्श की प्रक्रिया का एक नतीजा यह हुआ कि ऊर्जित पटेल के कार्यकाल के दौरान आरबीआई द्वारा एक दिन के डिफॉल्ट को लेकर जो परिपत्र जारी हुआ था उसे दास ने पूरी तरह बदल दिया। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मसौदे से जुड़े 7 जून के संशोधित परिपत्र से बैंकों को यह प्रोत्साहन मिला है कि वे व्यवहारिक रूप से पूरी सक्षमता के साथ फंसे कर्जों का हरसंभव समाधान कर सकें। दास और उनके मातहत सहयोगी किसी भी अहम मुद्दे पर अपने विचार सार्वजनिक नहीं करते। सरकार और बाजार के बड़े दबाव के बावजूद डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने एनबीएफसी को राहत देने के लिए कोई नरमी नहीं दिखाई। कृषि ऋण से जुड़ी समिति की अध्यक्षता करने वाले एम के जैन ने केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों को लताड़ा। दास ने अपनी तरफ से सार्वजनिक बैंकों के बोर्ड में तात्कालिक सुधार और बैंकों तथा गैर बैंकिंग संस्थानों में कॉरपोरेट प्रशासन मानक में सुधार की गुहार लगाई।

सरकार ने दास के नेतृत्व वाले आरबीआई पर इस बात के लिए भरोसा दिखाया कि आवास वित्त कंपनियों का नियमन केंद्रीय बैंक द्वारा होना चाहिए न कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। दास के कार्यकाल के दौरान ही आरबीआई ने गैर-बैंकिंग नियनम पर पूरा नियंत्रण बनाया।

लेकिन क्या सरकार के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है? सूत्रों का कहना है कि सरकार और आरबीआई के बीच काफी मतभेद हैं। आरबीआई की अधिशेष राशि का हस्तांतरण सरकार के खाते में करने और सॉवरिन बॉन्ड जारी करने का मुद्दा बेहद विवादास्पद रहा। इन दोनों ही मुद्दों पर दास के नेतृत्व में आरबीआई ने बड़ी कुशलता से अपना दबाव बनाए रखा।

दास ने 11 दिसंबर को आरबीआई का गवर्नर बनने के बाद पहले संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा था, 'आरबीआई एक बड़ा संस्थान है और इसकी एक लंबी और समृद्ध विरासत है। मैं एक संस्थान के तौर पर आरबीआई की स्वायत्तता और विश्वसनीयता को बनाए रखूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसकी अखंडता बनी रहे।' विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि वह अपनी बातों पर टिके हुए हैं।

अब तक का सफर

11 दिसंबर 2018 : आरबीआई के 25वें गवर्नर घोषित, अगले दिन कार्यभार संभाला।

जनवरी 2019 : ईसीबी, रुपये में कीमत वाले बॉन्डों के नियमों में रियायत।

फरवरी : वर्ष 2019 की पांच दर कटौतियों में से पहली कटौती। नीतिगत रुख को बदलकर तटस्थ किया गया। विदेशी रुपया बाजारों के लिए कार्यबल का गठन

मार्च : एक नीतिगत औजार के रूप में विदेश मुद्रा विनिमय की शुरुआत की गई।

जून : दर में कटौती, नीतिगत रुख बदलकर उदार कर दिया।

7 जून : बैंकों द्वारा ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किए जाने के लिए संशोधित खाका जारी किया गया, एक दिन का डिफॉल्ट को खत्म किया गया।

जुलाई : एनएचबी से आवास वित्त के नियमन का अधिकार आरबीआई के पास आया।

सितंबर : पीएमसी बैंक संकट सामने आया, आरबीआई ने निकासी पर रोक लगाई

नवंबर : आरबीआई ने डीएचएफएल के बोर्ड अपने हाथ में लिया।

दिसंबर : दास के अधीनस्थ मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी के बाद पहली बार दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया।

शोध के लिए पुरस्कार दान देंगे नोबेल विजेता

बीएस संवाददाता

इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजित बनर्जी, एस्टर डफ्लो और माइकल क्रेमर अर्थव्यवस्था क्षेत्र में विकास के लिए किए जाने वाले शोध के लिए अपनी इनाम राशि दान में देंगे। यह राशि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रशासित वाइस फंड को दी जाएगी। वर्ष 2019 के लिए एस्टर डफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले बनर्जी ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह नोबेल पुरस्कार आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे समुदाय के लिए है।' एक अमेरिकी समाचार पत्र ने बनर्जी के हवाले से लिखा, 'हम इनाम राशि को इस तरह से उपयोग में लाने से काफी खुश हैं जिससे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं खोल रहे हैं।'

तीनों अर्थशास्त्रियों को लगभग 6.5 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। इसे वर्ष 2035 तक शोध कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

हार्वर्ड, एमआईटी, बोस्टन विश्वविद्यालय, स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय और यूसी बार्कली संस्थानों में स्नातक, परास्नातक छात्रों और कनिष्ठ तथा वरिष्ठ संकाय वाली फैकल्टी को आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए वाइस फंड दिया जाता है।

इन तीनों ने इस साल वैश्विक गरीबी मिटाने के लिए अपने प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस का कहना है कि इन तीनों अर्थशास्त्रियों का कार्य दिखाता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में छोटे तथा अधिक सटीक सवालों में परिभाषित करने पर गरीबी की समस्याओं से निपटना आसान हो जाता है। मुंबई में जन्मे बनर्जी फिलहाल अमेरिका स्थित मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय प्रोफेसर हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद साल 1988 में हावर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की।

डफ्लो वर्ष 1972 में पेरिस में पैदा हुई थीं और उन्होंने वर्ष 1999 में एमआईटी से पीएचडी पूरी की। बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने 'पूअर इकोनॉमिक्स' नामक पुस्तक भी लिखी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह पहली और सबसे युवा महिला हैं। इनके अलावा, वर्ष 1964 में जन्मे क्रेमर ने वर्ष 1992 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की थी।

शोध पर जोर

- अभिजित बनर्जी के साथ ही उनकी पत्नी एस्टर डफ्लो और माइकल क्रेमर भी दान करेंगे नोबेल पुरस्कार की इनामी राशि
- तीनों अर्थशास्त्रियों को पुरस्कार में मिली थी **6.5** करोड़ रुपये की धनराशि
- इसे वर्ष **2035** तक शोध कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा

क्लीनिकल परीक्षण की तस्वीर...

पृष्ट 1 का शेष

एक अधिकारी का कहना है कि सरकार स्थायी परीक्षण केंद्र खोलना चाहती है ताकि वे केवल दवाओं के परीक्षण पर ही ध्यान दें। इसके लिए आईसीएमआर से संबद्ध संस्थानों पर निगाह है। आईसीएमआर भारत में जैव-चिकित्सा शोध का संवर्द्धन एवं समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है। यह देश में सूक्ष्मजीव-रोधी दवाओं के प्रतिरोध (एएमआर) की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंतित है। एएमआर का मतलब एक बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अन्य सूक्ष्मजीवों की वह क्षमता है जो एंटीबायोटिक का असर नहीं होने देती है। अधिकारी कहते हैं, 'भारत में जल्द परीक्षण कराने का फायदा यह होगा कि नई दवाएं हमारे मरीजों को जल्दी मिलेंगी। एएमआर की समस्या बड़ी होती जा रही है और हमें उस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है।'हालत यह है कि आज अधिकतर दवा कंपनियां नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास पर काम ही नहीं कर रही हैं। आज इस्तेमाल हो रही आधी एंटीबायोटिक दवाओं की खोज 1950 के दशक में ही हुई थी। एंटीबायोटिक विकास पर नजर रखने वाले थिंक टैंक 'प्यू' के मुताबिक जून 2019 तक 42 नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास की प्रक्रिया चल रही थी। समस्या यह है कि नई एंटीबायोटिक दवाएं उपलब्ध होने पर भी केवल गिने-चुने देशों में ही उनका पंजीकरण होता है।

वैश्विक एंटीबायोटिक शोध एवं विकास भागीदारी के प्रवक्ता कहते हैं कि औषधि क्षेत्र में सबसे अहम खोज रही एंटीबायोटिक ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, लेकिन अब इनका तिलिस्म खत्म हो रहा है। प्रवक्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से छाती का सामान्य संक्रमण या ऑपरेशन भी काफी खतरनाक होने लगे हैं। जब तक नई तरह की एंटीबायोटिक दवाएं नहीं विकसित होती हैं, तब तक हम पर सामान्य बीमारी के भी जानलेवा होने का खतरा मंडराता रहेगा।' प्रवक्ता ने कहा कि नई दवाओं के शोध एवं विकास में भारत की भूमिका काफी अहम देखते हुए आईसीएमआर के साथ करार किया गया है।

क्लिनिकल परीक्षण उद्योग से जुड़े भरत दोशी आईसीएमआर के संबद्ध संस्थानों में दवाओं के परीक्षण के प्रस्ताव को सकारात्मक कदम मानते हैं। दोशी कहते हैं, 'इस पहल को सरकार का समर्थन होने से परीक्षण में शामिल पक्षों और समाज के बीच पारदर्शिता एवं भरोसे का अहसास जगेगा।'

लोक सभा में आज आएगा नागरिकता संशोधन विधेयक

केंद्र सरकार दोनों सदनों में विधेयक के पारित कराने का कर रही प्रयास, विपक्षी दलों ने बताया संविधान के खिलाफ

अर्चिस मोहन

गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करेंगे और विधेयक पर इसी दिन चर्चा भी होगी। रविवार शाम जारी लोकसभा की कार्यसूची में यह बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह विधेयक लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी परित हो जाए। विधेयक बुधवार को राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। संसद का यह सत्र शुक्रवार को समाप्त हो रहा है।

इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। हालांकि विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए विपक्षी दलों के पास दोनों सदनों में सदस्य संख्या की कमी है लेकिन फिर भी पार्टियों ने फैसला किया है कि वे विभिन्न रणनीतियों के साथ विधेयक का विरोध करने के अपने कारणों को उजागर करने का प्रयास करेंगे।

विधेयक का विरोध करने के पीछे विपक्षी दलों का मुख्य तर्क यह है कि विधेयक संविधान की आत्मा के खिलाफ जाता है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'वे (सरकार) संख्या में अधिक (संसद में सदस्य संख्या) हैं लेकिन उनकी संवैधानिक नैतिकता काफी कम है।'

लोकसभा में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होना महात्मा गांधी के विचारों के पर मोहम्मद अली जिन्ना की सोच की जीत को चिह्नित करेगा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना 'भारत में एक पूरे समुदाय को बाहर निकालने तथा बांटने के लिए एक राजनीतिक कवायद' है जो भारत को 'पाकिस्तान के हिंदुत्व स्वरूप' में तब्दील कर देगा।

विपक्षी दलों के सदस्य इस बात को रखेंगे कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 में वर्णित समानता एवं धार्मिक भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तृणमूल कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया है कि इस विधेयक को पेश नहीं किया जाना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि विधेयक में कुछ निर्धारित देशों तथा धर्मों के स्थान पर इसे 'सभी पड़ोसी देशों के शरणार्थी' किया जाए। फिलहाल, विधेयक में कहा गया है कि इस्लाम को छोड़कर सभी धर्मों के सताए गए लोगों को नागरिकता दी जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोक सभा में पेश करेंगे विधेयक

विपक्षी दलों के सदस्य इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि विधेयक नागरिकता के लिए अनेक ऐसे नियम ला रहा है जो असंवैधानिक और आदिवासी लोगों के हितों के विपरीत हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) असम में विफल हो गई लेकिन सरकार इसे फिर भी 27 राज्यों में लागू करना चाहती है। असम में बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के हिंदुओं समेत कुल 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए और गोरखा समुदायों को एनआरसी सूची में अपने नाम नहीं मिले। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे विधेयक का विरोध करेंगे और उन्हें अपने-अपने राज्यों में एनआरसी की जरूरत नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वे विधेयक के खिलाफ वोट करेंगे या सदन से बाहर चले जाएंगे।

वहीं, भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कर्तव्यबद्ध है क्योंकि वे धार्मिक आधार पर देश को विभाजित करने के फैसले के कारण 'पीड़ित' हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक कानून 'आप्रवासियों (असम से निष्कासन)' अधिनियम वर्ष 1950 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया था। संभावना है कि शिवसेना सरकार के पक्ष में मतदान करे और साथ ही तेलंगाना राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दल भी सरकार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं।